इसे वेबसाइट **www.govtpress.mp.gov.in**
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 6] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 6 फरवरी 2026—माघ 17, शक 1947

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

मैं, स्नेहा गजभिये (SSNEHAA GAJBHIYE) पत्नी राकेश गजभिये, पता—म.नं. 232, सी सेक्टर, सर्वधरम कॉलोनी, कोलार रोड, तहसील हुजूर, जिला भोपाल (म.प्र.). मेरा नाम विवाह से पहले स्नेहलता गोडवाले (SNEHLATA GODBOLE) था, जबकि मेरा विवाह के बाद नाम स्नेहा गजभिये (SSNEHAA GAJBHIYE) हो गया है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे ड्रायविंग लायसेंस, आधार कार्ड एवं आयकर कार्ड, शैक्षिणिक दस्तावेजों में अंकित मेरा नाम स्नेहलता गोडवाले (SNEHLATA GODBOLE) के स्थान पर स्नेहा गजभिये (SSNEHAA GAJBHIYE) के नाम से ही जाना—पहचाना एवं लिखा—पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम
(स्नेहलता गोडबोले)
(SNEHLATA GODBOLE)

नया नाम
(स्नेहा गजभिये)
(SSNEHAA GAJBHIYE).

(G-968)

नाम परिवर्तन

मैं, राहुल पाटीदार, मेरे पुत्र का नाम आधार कार्ड में सम्राट पाटीदार दर्ज हो गया है, जो कि त्रुटिपूर्ण है, जबकि मेरे पुत्र के जन्म प्रमाण—पत्र स्कूल की मार्कशीट व अन्य दस्तावेजों में मेरे पुत्र का नाम समर्थ पाटीदार है, जो कि सही है. अतः प्रकाशन उपरान्त सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में मेरे पुत्र का सही नाम समर्थ पाटीदार (SAMARTH PATIDAR) के नाम से जाना—पहचाना एवं लिखा—पढ़ा, दर्ज किया जावे.

आवेदक
(राहुल पाटीदार)
पिता— ओमप्रकाश पाटीदार
निवासी— ग्राम लिम्बाडा, देंदला,
जिला शाजापुर (म.प्र.).

(G-969)

नाम परिवर्तन

मैं, दिवान सिंह, मेरी पुत्री का नाम आधार कार्ड में जया दर्ज हो गया है, जो कि त्रुटिपूर्ण है, जबकि मेरी पुत्री के जन्म प्रमाण–पत्र, स्कूल की मार्कशीट व अन्य दस्तावेजों में मेरी पुत्री का नाम जयश्री है, जो कि सही है. अतः प्रकाशन उपरान्त सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में मेरी पुत्री का सही नाम जयश्री (JAYSHREE) से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

आवेदक

(दिवान सिंह)

पिता– नगजीराम

निवासी– ग्राम पलासीसोन, पोस्ट देंदला,

जिला शाजापुर (म.प्र.).

(G-970)

नाम परिवर्तन

मैं, संजय कुमार पाटीदार, मेरे पुत्र का नाम आधार कार्ड में श्री राम पाटीदार दर्ज हो गया है, जो कि त्रुटिपूर्ण है, जबकि मेरे पुत्र के जन्म प्रमाण–पत्र स्कूल की मार्कशीट व अन्य दस्तावेजों में मेरे पुत्र का नाम जतिन पाटीदार है, जो कि सही है. अतः प्रकाशन उपरान्त सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में मेरे पुत्र का सही नाम जतिन पाटीदार (JATIN PATIDAR) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढा, दर्ज किया जावे.

आवेदक

(संजय कुमार पाटीदार)

पिता– रतन सिंह पाटीदार

निवासी– ग्राम चौसला कुलमी

जिला शाजापुर (म.प्र.).

(G-971)

नाम परिवर्तन

मैं, दिशा दावरा पति निखिलेश दावरा DISHA DAWRA W/o. NIKHILESH DAWRA, निवासी–वार्ड 04, चचाई रोड, दुर्गा मंदिर के पास, अनूपपुर, जिला अनूपपुर (म.प्र.). मेरी शैक्षणिक दस्तावेजों में एवं अन्य अभिलेखों में मेरा नाम शिवानी आहूजा SHIVANI AHUJA लिखा गया है. जिसका मेरे द्वारा त्याग कर दिया गया है. वर्तमान में मेरा नाम दिशा दावरा पति निखिलेश दावरा DISHA DAWRA W/o. NIKHILESH DAWRA के नाम से जाना–पहचाना जावे. अतः प्रकाशन उपरान्त समस्त शासकीय व प्राइवेट अभिलेखों में मेरा नाम दिशा दावरा पति निखिलेश दावरा लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(शिवानी आहूजा)	**(दिशा दावरा)**
(SHIVANI AHUJA)	(DISHA DAWRA).

(G-972)

नाम परिवर्तन

मैं, सुरेन्द्र खराडी पिता नानूराम खराडी, निवासी– ग्राम नरसिंह देवला, तहसील सरदारपुर, जिला धार (म.प्र.). अपने पुत्र संजय खराडी उसके पूर्व नाम संदीप खराडी के उपयोग को पूर्णतः त्यागता हूँ, और उसके स्थान पर सही नाम संजय खराडी किया जावे. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे पुत्र को सही नाम संजय खराडी के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

आवेदक

(सुरेन्द्र खराडी)

पिता– नानूराम खराडी.

(G-973)

नाम परिवर्तन

मैं, लालबाबू चौधरी पिता मीठौआ चौधरी, निवासी–वार्ड नं. 16, सिन्दुरी, तह. सोहागपुर, जिला शहडोल (म.प्र.). मेरी पुत्री रागनी चौधरी की कक्षा 8वीं की अंकसूची व जन्म प्रमाण–पत्र में मेरी पुत्री का नाम रागनी चौधरी दर्ज है, जो कि सही है. मेरी पुत्री के आधार कार्ड में मेरी पुत्री का नाम खुशी चौधरी दर्ज है, जो कि गलत है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरी पुत्री का सही नाम रागनी चौधरी के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

आवेदक

(लालबाबू चौधरी)

पिता– मीठौआ चौधरी.

(G-974)

नाम परिवर्तन

मेरी कक्षा 10वीं की अंकसूची में मेरे पिताजी का नाम निलेश पी अग्रवाल (NILESH P. AGRAWAL) व माताजी का नाम प्राची निलेश अग्रवाल (PRACHI NILESH AGRAWAL) दर्ज है. जबकि मेरे पिताजी का सही नाम निलेश अग्रवाल (NILESH AGRAWAL) व माताजी का सही नाम प्राची अग्रवाल (PRACHI AGRAWAL) है, जो कि मेरे शैक्षणिक अभिलेखों के अतिरिक्त अन्य दस्तावेजों में दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त मुझे इसी नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

प्रार्थिनी

(प्रनील अग्रवाल)

आत्मज– श्री निलेश अग्रवाल

निवासी– 76/5, कॉलेज रोड, जवाहर वार्ड नम्बर 26, गंज, बैतूल (म.प्र.).

(G-975)

नाम परिवर्तन

मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम गोविंद पटेल दर्ज है. मैं, अपने आधार कार्ड में अपना नाम हरगोविंद पटेल दर्ज करवाना चाहता हूँ. अतः प्रकाशन उपरांत मुझे मेरे सभी शासकीय/अशासकीय/व्यक्तिगत दस्तावेजों में हरगोविंद पटेल के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

(गोविंद पटेल)

नया नाम

(हरगोविंद पटेल)

पुत्र– स्व. चमरू लाल पटेल

निवासी– म.नं. 3192, नया गांव, साँई नगर, पोस्ट विद्युत नगर भटोली, जबलपुर (म.प्र.).

(G-976)

नाम परिवर्तन

मेरे पुत्र का सही नाम सत्यम अस्ताया पिता प्रेम सिंह अस्ताया (SATYAM ASTAYA S/o. PREM SINGH ASTAYA), निवासी– ग्राम लालाखेडी, पोस्ट फरड, तहसील कालापीपल, जिला शाजापुर (म.प्र.). मेरे पुत्र के आधार कार्ड में उसका नाम त्रुटिवश सतीश पिता प्रेम सिंह (SATISH S/o. PREM SINGH) दर्ज हो गया है, जो कि गलत है. मेरे पुत्र का सही नाम मेरे पुत्र के जन्म प्रमाण–पत्र में दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरांत मेरे पुत्र को सत्यम अस्ताया पिता प्रेम सिंह अस्ताया (SATYAM ASTAYA S/o. PREM SINGH ASTAYA) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

आवेदक

(प्रेम सिंह अस्ताया).

(G-977)

नाम परिवर्तन

मैं, रमेश गुंडिया, पिता श्री पांगू गुंडिया, निवासी ग्राम उमरिया वजंत्री, पोस्ट खरदू बड़ी, तहसील झाबुआ, जिला झाबुआ (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड एवं कुछ अन्य दस्तावेजों में मेरा नाम त्रुटिवश तितारा गुंडिया (Titara Gundiya) अंकित हो गया है, जबकि मेरा सही नाम रमेश गुंडिया (Ramesh Gundiya) है, जो कि मेरे अन्य अभिलेखों, पहचान–पत्रों एवं व्यक्तिगत दस्तावेजों में सही अंकित है. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में मुझे रमेश गुंडिया (Ramesh Gundiya) के नाम से ही जाना एवं पहचाना जाएगा तथा समस्त शासकीय/अशासकीय अभिलेखों में दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(तितरा गुंडिया)	**(रमेश गुंडिया)**
(Titara Gundiya)	(Ramesh Gundiya).

(G-978)

नाम परिवर्तन

मेरा सही नाम सादिका (SADIQA) है. यही नाम मेरे जन्म प्रमाण–पत्र, शैक्षणिक दस्तावेजों में दर्ज है, जबकि मेरे आधार कार्ड में नाम नौशीन (NOUSHEEN) दर्ज है, जो कि गलत है. सादिका (SADIQA) और नौशीन (NOUSHEEN) दोनों नाम मुझ एक ही महिला के हैं. अतः प्रकाशन उपरांत मेरे आधार कार्ड एवं समस्त शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में मेरा नाम नौशीन (NOUSHEEN) के स्थान पर सादिका (SADIQA) दर्ज किया जावे एवं भविष्य में मुझे सादिका (SADIQA) के नाम से जाना–पहचाना, लिखा–पढ़ा जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(नौशीन)	**(सादिका)**
(NOUSHEEN)	(SADIQA)

पत्नी-- शोहेब खान
निवासी– हनुमान बांध रोड, मॉर्डन क्लिनिक,
तारागंज, लश्कर, ग्वालियर (म.प्र.).

(G-979)

नाम परिवर्तन

मेरा सही नाम राजू भदौरिया (RAJU BHADORIA) है. यही नाम मेरे आधार कार्ड, पैनकार्ड कार्ड, बैंक पासबुक आदि में दर्ज है, जबकि मेरी भारतीय जीवन बीमा पॉलिसी में मेरा नाम राय सिंह भदौरिया (RAI SINGH BHADORIYA) एवं शैक्षणिक दस्तावेजों में मेरा नाम राय सिंह (RAI SINGH) दर्ज है. राय सिंह भदौरिया/राय सिंह और राजू भदौरिया मुझ एक ही व्यक्ति के नाम हैं. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरी भारतीय जीवन बीमा पॉलिसी एवं समस्त शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में मेरा नाम राय सिंह भदौरिया/राय सिंह के स्थान पर राजू भदौरिया (RAJU BHADORIA) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(राय सिंह भदौरिया/राय सिंह)	**(राजू भदौरिया)**
	(RAJU BHADORIA)

पुत्र– बल राम सिंह
निवासी– ग्राम अछाई, तहसील गोरमी,
जिला भिण्ड (म.प्र.).

(G-980)

नाम परिवर्तन

मेरा सही नाम महेश कुमार (MAHESH KUMAR) है. यही नाम पुराने आधार कार्ड, वोटर कार्ड, शैक्षणिक दस्तावेजों आदि में दर्ज है, जबकि मेरे द्वारा आधार कार्ड अपडेट कराते समय त्रुटिवश मेरा नाम प्रदीप (PRDIP) दर्ज हो गया है. महेश कुमार (MAHESH KUMAR) और प्रदीप (PRDIP) दोनों नाम मुझ एक ही व्यक्ति के हैं. अतः प्रकाशन उपरांत मेरे समस्त शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में मेरा नाम प्रदीप (PRDIP) के स्थान पर महेश कुमार (MAHESH KUMAR) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम
(प्रदीप)
(PRDIP)

नया नाम
(महेश कुमार)
(MAHESH KUMAR)
पुत्र– मुन्नीलाल
निवासी– ग्राम जनौरा, जिला भिण्ड (म.प्र.).

(G-981)

नाम परिवर्तन

मेरी पुत्री का सही नाम पार्णिती शर्मा (PARINITI SHARMA) है. यही नाम उसके जन्म प्रमाण–पत्र शैक्षणिक दस्तावेजों आदि में दर्ज है, जबकि मेरी पुत्री के आधार कार्ड में त्रुटिवश उसका नाम मिल्की शर्मा (MILKI SHARMA) दर्ज हो गया है. पर्णिती शर्मा (PARINITI SHARMA) और मिल्की शर्मा (MILKI SHARMA) दोनों नाम मेरी पुत्री के हैं. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरी पुत्री को मिल्की शर्मा (MILKI SHARMA) के स्थान पर पर्णिती शर्मा (PARINITI SHARMA) दर्ज किया जावे एवं भविष्य में उसे पर्णिती शर्मा (PARINITI SHARMA) पुत्री मनोज शर्मा के नाम से जाना–पहचाना, लिखा–पढ़ा जावे.

आवेदक
(मनोज शर्मा)
पुत्र– सूर्यकांत शर्मा
निवासी– म.नं. 192, वार्ड क्र. 14, इन्द्रापुरम,
जिला शिवपुरी (म.प्र.).

(G-982)

नाम परिवर्तन

मेरा सही नाम कृष्णांश समाधिया (KRISHNANSH SAMADHIYA) है. यही नाम मेरे वोटर कार्ड, शैक्षणिक दस्तावेजों आदि में दर्ज है, जबकि मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम कृष्णा समाधिया (KRISHNA SAMADHIYA) दर्ज हो गया है. कृष्णांश समाधिया (KRISHNANSH SAMADHIYA) और कृष्णा समाधिया (KRISHNA SAMADHIYA) दोनों नाम मुझ एक ही व्यक्ति के हैं. अतः प्रकाशन उपरांत मेरे समस्त शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में मेरा नाम कृष्णा समाधिया (KRISHNA SAMADHIYA) के स्थान पर कृष्णांश समाधिया (KRISHNANSH SAMADHIYA) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम
(कृष्णा समाधिया)
(KRISHNA SAMADHIYA)

नया नाम
(कृष्णांश समाधिया)
(KRISHNANSH SAMADHIYA)
पुत्र– चतुर्भुज शर्मा
निवासी– काली माता मंदिर के पास, अहीर मोहल्ला,
झांसी रोड, शिवपुरी (म.प्र.).

(G-983)

नाम परिवर्तन

मेरे पुत्र का सही नाम आदित्य श्रीवास (ADITYA SHRIVAS) है यही नाम उसके जन्म प्रमाण–पत्र, शैक्षणिक दस्तावेजों आदि में दर्ज है, जबकि मेरे पुत्र के आधार कार्ड में त्रुटिवश उसका नाम अर्जुन (ARJUN) दर्ज हो गया है. आदित्य श्रीवास (ADITYA SHRIVAS) और अर्जुन (ARJUN) दोनों नाम मेरे पुत्र के हैं. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे पुत्र के समस्त शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में उसका नाम अर्जुन (ARJUN) के स्थान पर आदित्य श्रीवास (ADITYA SHRIVAS) दर्ज किया जावे एवं भविष्य में उसे आदित्य श्रीवास (ADITYA SHRIVAS) पुत्र बटुरी सिंह के नाम से जाना--पहचाना एवं लिखा--पढ़ा जावे.

आवेदक

(बटुरी सिंह)

पुत्र-- बद्री प्रसाद

निवासी– ह.नं. 45, खेरिया, खेरिया मानहेड,

गोरमी, जिला भिण्ड (म.प्र.).

(G-984)

नाम परिवर्तन

मेरे पुत्र का सही नाम शोएब खान (SOIB KHAN) है. यही नाम उसके जन्म प्रमाण–पत्र, शैक्षणिक दस्तावेजों आदि में दर्ज है, जबकि मेरे पुत्र के आधार कार्ड में त्रुटिवश उसका नाम सोहेव (SOHEV) दर्ज हो गया है. शोएब खान (SOIB KHAN) और सोहेब (SOHEV) दोनों नाम मेरे पुत्र के हैं. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे पुत्र के समस्त शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में उसका नाम सोहेव (SOHEV) के स्थान पर शोएब खान (SOIB KHAN) दर्ज किया जावे एवं भविष्य में उसे शोएब खान (SOIB KHAN) पुत्र साकिर खान के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा--पढ़ा जावे.

आवेदक

(साकिर खान)

पुत्र-- शहीद खान

निवासी-- वार्ड क्र. 26, एम.जे.एस. के पीछे,

सरोज नगर, भिण्ड (म.प्र.).

(G-985)

नाम परिवर्तन

मेरा नाम इन्दु गुप्ता (INDU GUPTA) पत्नी श्री राजेन्द्र कुमार गुप्ता, पता–रामकला नगर, मुरार, ग्वालियर (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में अंकित है. मेरा सही नाम इन्दु लता गुप्ता (INDU LATA GUPTA) पत्नी श्री राजेन्द्र कुमार गुप्ता है, जो मेरी अंकसूची व पैन कार्ड पर अंकित है. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में मुझे इन्दु लता गुप्ता (INDU LATA GUPTA) पत्नी श्री राजेन्द्र कुमार गुप्ता के नाम से जाना--पहचाना एवं लिखा–पढ़ा एवं दर्ज किया जावे.

प्रार्थिनी

(इन्दु गुप्ता)

पत्नी– श्री राजेन्द्र कुमार गुप्ता

निवासी– रामकला नगर, मुरार,

जिला– ग्वालियर (म.प्र.).

(G-986)

नाम परिवर्तन

मेरे पुत्र का नाम नवीन कुमावत पिता पुखराज कुमावत है, किन्तु त्रुटिवश उसके आधार कार्ड में उसका नाम नक्शा dqekor firk iq[kjkt dqekor ¼NAKSHA KUMAWAT S/o. PUKHRAJ KUMAAWT) हो गया है, जो कि गलत है. उसका सही नाम नवीन कुमावत पिता पुखराज कुमावत (NAVEEN KUMAWAT S/o. PUKHRAJ KUMAWAT) है. अतः प्रकाशन उपरान्त इसी नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

आवेदक

(पुखराज कुमावत)

निवासी– 101, सत्यम् अपार्टमेंट,
12, सर्वसंपन्न नगर, इन्दौर (म.प्र.).

(G-987)

नाम परिवर्तन

मेरा नाम अश्विनी कुमार शर्मा पिता बालचंद शर्मा है. त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम अश्विनी शर्मा (ASHWIN SHARMA) हो गया है, जो कि गलत है. मेरा सही नाम अश्विनी कुमार शर्मा (ASHWINI KUMAR SHARMA) पिता बालचंद शर्मा है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे समस्त दस्तावेजों में यही नाम दर्ज किया जावे एवं इसी नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(अश्विनी कुमार)	**(अश्विनी कुमार शर्मा)**
(ASHWIN SHARMA)	(ASHWINI KUMAR SHARMA)
	पिता– बालचंद शर्मा.

(G-988)

नाम परिवर्तन

मेरा नाम रूद्रांशी नामदेव पिता अल्पेश नामदेव (RUDRANSHI NAMDEV D/o. ALPESH NAMDEV) है. त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम रूद्राक्षी (RUDRANKSHI) दर्ज हो गया है, जो कि गलत है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरा सही नाम रूद्रांशी नामदेव के नाम से मुझे जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(रूद्राक्षी)	**(रूद्राशी नामदेव)**
(RUDRANKSHI)	(RUDRANSHI NAMDEV)
	पिता– अल्पेश नामदेव
	(D/o. ALPESH NAMDEV).

(G-989)

नाम परिवर्तन

मेरे पुत्र का सही नाम प्रियांश गौड पिता नितिन गौड (PRIYANSH GOUD S/o. NITIN GOUD) है. त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड में लावेश (LAVESH) दर्ज हो गया है, जो कि गलत है. अतः प्रकाशन उपरान्त उसका सही नाम प्रियांश गौड पिता नितिन गौड (PRIYANSH GOUD S/o. NITIN GOUD) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

आवेदक

(नितिन गौड)

निवासी– 750, अशोक नगर,
एरोड्रम रोड, इन्दौर (म.प्र.).

(G-990)

नाम परिवर्तन

मेरा नाम सोनिया वर्मा पिता छगनलाल वर्मा (SONIA VERMA D/o. CHHAGANLAL VERMA) है. त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम भारती (BHARTI) दर्ज हो गया है, जो कि गलत है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरा सही नाम सोनिया वर्मा पिता छगनलाल वर्मा (SONIA VERMA D/o. CHHAGANLAL VERMA) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

प्रार्थिनी

(सोनिया वर्मा)

निवासी– 37, श्यामा चरण शुक्ल नगर,
जिला इन्दौर (म.प्र.).

(G-991)

नाम परिवर्तन

मेरा नाम जेनब पटेल पति दिलावर पटेल (JENAB PATEL W/o. DILAWAR PATEL) है. त्रुटिवश मेरे पुत्र के जन्म प्रमाण–पत्र में मेरा नाम जीनत दर्ज हो गया है, जबकि जेनब एवं जीनत ये दोनों नाम मेरे स्वयं के हैं. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे समस्त दस्तावेजों में मेरा नाम जेनब पटेल है मुझे इसी नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

आवेदक

(जेनब पटेल)

निवासी– 41, ग्राम बांक, सिरपुर,
तहसील व जिला इन्दौर (म.प्र.).

(G-992)

नाम परिवर्तन

मेरा नाम मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश सुनिता (SUNEETA) अंकित हो गया है, जबकि मेरा सही नाम रामकन्या गुर्जर (RAMKANYA GURJAR) है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे समस्त शासकीय व अशासकीय अभिलेखों में मेरा सही नाम रामकन्या गुर्जर (RAMKANYA GURJAR) लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

(सुनिता)

नया नाम

(रामकन्या गुर्जर)

निवासी– 285, ग्राम दुधिया भट्टी,
तहसील व जिला इन्दौर (म.प्र.).

(G-993)

नाम परिवर्तन

मेरी पुत्री का सही नाम अबीरा वर्मा (ABEERA VERMA) पिता रजत वर्मा है. मेरी पुत्री के आधार कार्ड में त्रुटिवश उसका नाम अनिशा वर्मा (ANISHA VERMA) पिता रजत वर्मा दर्ज हो गया है, जो की गलत है. मेरी पुत्री का नाम अबीरा वर्मा (ABEERA VERMA) पिता रजत वर्मा है, जो उसके शैक्षणिक दस्तावेजों में अंकित है, जो कि सही है. अतः प्रकाशन उपरांत भविष्य में मेरी पुत्री के सभी शासकीय/अशासकीय/व्यक्तिगत दस्तावेजों में अबीरा वर्मा (ABEERA VERMA) पिता रजत वर्मा के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

आवेदक

(रजत वर्मा)

पता– एम.आई.जी. 99, साई हेवन सिटी,
होशंगाबाद, जिला नर्मदापुरम (म.प्र.).

(G-994)

उपनाम परिवर्तन

मैंने अपना नाम परिवर्तन कर राहुल जायसवाल (Rahul Jaiswal) के स्थान पर राहुल जायसवाल चौकसे (Rahul Jaiswal Chouksey) कर लिया है. अतः मेरे समस्त शासकीय व अशासकीय अभिलेखों में मेरा नाम राहुल जायसवाल चौकसे (Rahul Jaiswal Chouksey) लिखा व पढ़ा जावे. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में मुझे इसी नये नाम से जाना-पहचाना एवं लिखा-पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम
(राहुल जायसवाल)
(Rahul Jaiswal)

नया नाम
(राहुल जायसवाल चौकसे)
(Rahul Jaiswal Chouksey)
निवासी- 129/3, नंदा नगर
जिला इन्दौर (म.प्र.).

(G-995)

नाम परिवर्तन

मेरा सही नाम सन्जा बाई (SANJA BAI) पति मुन्ना लाल (MUNNA LAL), निवासी- 154, नई आबादी, नावदा, उमरिया जिला इन्दौर (म.प्र.). मेरे दस्तावेजों में त्रुटिवश मेरा नाम कमला बाई (KAMLA BAI) पति सालिकराम (SALIKRAM) दर्ज हो गया है, जो कि गलत है. मेरा सही नाम सन्जा बाई (SANJA BAI) पति मुन्ना लाल (MUNNA LAL) है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे समस्त शासकीय, अशासकीय अभिलेखों में मेरा सही नाम सन्जा बाई (SANJA BAI) पति मुन्ना लाल (MUNNA LAL) के नाम से जाना-पहचाना एवं लिखा पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम
(कमला बाई)
(KAMLA BAI)
पति- सालिकराम
(SALIKRAM)

नया नाम
(सन्जा बाई)
(SANJA BAI)
पति- मुन्ना लाल
(MUNNA LAL).

(G-996)

नाम परिवर्तन

मेरा नाम नेपाल सिंह पिता श्री रामस्वरूप, निवासी पोस्ट कुंडाली, कुंडली, रायसेन (म.प्र.). मेरी पुत्री के आधार कार्ड में त्रुटिवश नाम ररिता आदिवासी पिता श्री नेपालसिंह (RARITA ADIVASI D/o. NEPALDINGH) अंकित हो गया है, जो कि गलत है. मेरी पुत्री का सही नाम उसके जन्म प्रमाण-पत्र एवं शैक्षणिक दस्तावेजो में दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरांत मेरी पुत्री का नाम रजिता पुत्री श्री नेपाल सिंह (RAJITA D/o. NEPAL SINGH) के नाम से जाना-पहचाना व लिखा-पढ़ा, दर्ज किया जावे.

आवेदक
(नेपाल सिंह)
पिता- श्री रामस्वरूप.

(G-997)

नाम परिवर्तन

मेरा नाम याशा अलीम पत्नी श्री मो. आरिफ, निवासी– शॉप नं. 06, रेनी वाली गली, राज मल होटल के पास, न्यू सब्जी मंडी, हुजूर, भोपाल जी.पी.ओ., भोपाल (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम अमरीन पत्नी श्री राजा खा (AMREEN W/o. RAJA KHA) अंकित हो गया है, जो कि गलत है. मेरा सही नाम पति के आधार कार्ड एवं शैक्षणिक दस्तावेजों में दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरांत मेरा नाम याशा अलीम पत्नी श्री मो. आरिफ (YASHA ALEEM W/o. MOHD ARIF) के नाम से जाना–पहचाना व लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(अमरीन)	**(याशा अलीम)**
(AMREEN)	(YASHA ALEEM)
पत्नी– श्री राजा खा	पत्नी– श्री मो. आरिफ
(W/o. RAJA KHA)	(W/o. MOHD ARIF)

(G-998)

नाम परिवर्तन

मैं, गुडिया पत्नी श्री विकास नाथ, निवासी–लाल बहादुर शास्त्री वार्ड, बैरसिया, जिला भोपाल (म.प्र.). मेरा सही नाम गुड़िया (Gudia) है, आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम पूजा उर्फ गुड़िया (Pooja Urf Gudia) अंकित हो गया है. अतः प्रकाशन उपरांत अपने सही नाम गुड़िया (Gudia) से जानी–पहचानी जाऊंगी एवं सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में मेरा यहीं नाम रहेगा.

पुराना नाम	नया नाम
(पूजा उर्फ गुड़िया)	**(गुड़िया)**
(Pooja Urf Gudia)	(Gudia).

(G-999)

नाम परिवर्तन

मैं, भारत सोनी आत्मज श्री नेमीचंद, निवासी–उगली चौक, तहसील शुजालपुर, जिला शाजापुर (म.प्र.). मेरा सही नाम भारत सोनी (Bharat Soni) है, आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम राकेश (Rakesh) अंकित हो गया है. अतः प्रकाशन उपरांत अपने सही नाम भारत सोनी (Bharat Soni) से जाना–पहचाना जाऊंगा एवं सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में मेरा यही नाम रहेगा.

पुराना नाम	नया नाम
(राकेश)	**(भारत सोनी)**
(Rakesh)	(Bharat Soni).

(G-1000)

नाम परिवर्तन

मैं, राजू पवार पुत्र श्री चंदूलाल पवार, निवासी– ग्राम कोटरा, राजगढ़, (म.प्र.). मेरी पुत्री का सही नाम विधी (Vidhi) है, आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरी पुत्री का नाम बिधी नाथ (Bidhi Nath) अंकित हो गया है. अतः प्रकाशन उपरांत अपने सही नाम विधी (Vidhi) से जाना–पहचाना जायेगा एवं सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में मेरी पुत्री का यही नाम रहेगा.

आवेदक

(राजू पवार)

पुत्र-- चंदूलाल पवार.

(G-1001)

नाम परिवर्तन

मैं, सुगन बाई अहिरवार पत्नी श्री मनोहर, निवासी–ग्राम गणेशपुर, पोस्ट खरदोनकला, जिला शाजापुर (म.प्र.). मेरा सही नाम सुगन बाई अहिरवार (Sugan Bai Ahirwar) है, आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम सोनी पाण्डे (Soni Pandey) अंकित हो गया है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरा सही नाम सुगन बाई अहिरवार (Sugan Bai Ahirwar) से जानी–पहचानी जाऊंगी एवं सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में मेरा यहीं नाम दर्ज किया जावे.

आवेदिका

(सुगन बाई अहिरवार)

(Sugan Bai Ahirwar)

(G-1002)

नाम परिवर्तन

मैं, महेंद्र अहिरवार आत्मज श्री सीताराम अहिरवार, निवासी–ग्राम गणेशपुर, पोस्ट खरदोनकला, जिला शाजापुर (म.प्र.). मेरा सही नाम महेंद्र अहिरवार (Mahendra Ahirwar) है. आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम जसरथ सिंह (Jasrath Singh) अंकित हो गया है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरा सही नाम महेंद्र अहिरवार (Mahendra Ahirwar) के नाम से जाना–पहचाना एवं सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में मेरा यही दर्ज किया जावे.

प्रार्थी

(महेंन्द्र अहिरवार)

(Mahendra Ahirwar).

(G-1003)

नाम परिवर्तन

मैं, अनिल मेहतर पुत्र श्री प्रकाशचंद्र, निवासी-- विकलांग कालोनी, तहसील कालापीपल, जिला शाजापुर (म.प्र.). मेरा सही नाम अनिल मेहतर (Anil Mehatar) है. आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम आशीष कुमार मेवाडा (Ashish Kumar Mevada) अंकित हो गया है. अतः प्रकाशन उपरांत मेरा सही नाम अनिल मेहतर (Anil Mehatar) के नाम से जाना--पहचाना एवं सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में मेरा यही नाम दर्ज किया जावे.

प्रार्थी

(अनिल मेहतर)

(Anil Mehatar).

(G-1004)

नाम परिवर्तन

मैं, कुवँर सिंह पिता श्री बीरन, निवासी– म.नं. 22, वार्ड नं. 02, ग्राम देवरी कला, पंचायत कोहनी देवरी, कोहनी, करोंदी मल, पोस्ट कोहनी देवरी, शाहपुरा, जिला डिंडोरी (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश नाम राम कुमार पिता श्री वीरन (RAM KUMAR S/o. VEERAN) अंकित हो गया है, जो कि गलत है. मेरा सही नाम मेरे वोटर आई.डी. कार्ड में दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरांत मेरा नाम कुवँर सिंह पिता श्री बीरन (KUWAR SINGH S/o. BEERAN) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा--पढ़ा, दर्ज किया जावे.

प्रार्थी

(कुवँर सिंह)

(KUWAR SINGH)

पिता– श्री बीरन

(S/o. BEERAN).

(G-1005)

उपनाम परिवर्तन

मैं, श्रीमती वर्णिता काशिव पत्नी श्री विभोर काशिव, हाल निवासी– 124, अमृत एक्लेव, अयोध्या बायपास रोड, भोपाल (म.प्र.). मेरा विवाह पूर्व नाम वर्णिता पारे पुत्री चन्द्रकान्त पारे रेल्वे सर्विस अभिलेख में दर्ज है, विवाह हो जाने के पश्चात् मेरा उपनाम परिवर्तित हो गया है. अब मैं, वर्णिता काशिव पत्नी श्री विभोर काशिव के नाम से जानी–पहचानी जाती हूँ. अतः प्रकाशन उपरान्त यही नाम मेरे समस्त शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(वर्णिता पारे)	**(वर्णिता काशिव)**
पुत्री– चन्द्रकान्त पारे	पत्नी– श्री विभोर काशिव.

(G-1006)

नाम परिवर्तन

मैं, हेमन्त राने पिता श्री परसराम राने, निवासी– खेड़ीसाँवलीगढ़, तह. व जिला बैतूल (म.प्र.). मेरे पुत्र अक्षत राने का जन्म प्रमाण–पत्र में सही नाम अक्षत राने दर्ज है, जो कि सही है. आधार कार्ड में त्रुटिवश पुत्र का नाम अछत राने दर्ज हो गया है, जो कि गलत है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे पुत्र को उसके सही नाम अक्षत राने के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

आवेदक

(हेमन्त राने)

पिता– परसराम राने.

(G-1007)

नाम परिवर्तन

मैं, कनक भागवानी (KANAK BHAGWANI) पत्नी श्री सुरेश कुमार, निवासी–248, लक्ष्मन नगर, निर्मल नर्सरी, विध्या सागर विद्यालय के पास, बैरागढ़, जिला भोपाल (म.प्र.). मेरे कुछ दस्तावेजों मे मेरा नाम चम्पा, चम्पा भागवानी एवं कनक भागवानी (KANAK BHAGWANI) पत्नी श्री सुरेश कुमार दर्ज है. उक्त नाम मेरे स्वयं के हैं. अतः प्रकाशन उपरान्त जहां कहीं भी मेरा नाम चम्पा, चम्पा भागवानी दर्ज है, उसके स्थान पर मुझे कनक भागवानी (KANAK BHAGWANI) पत्नी श्री सुरेश कुमार के नाम से जाना--पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(चम्पा/चम्पा भागवानी)	**(कनक भागवानी)**
(CHAMPA/CHAMPA BHAGWANI)	(KANAK BHAGWANI)
	पत्नी– श्री सुरेश कुमार.

(G-1008)

नाम परिवर्तन

मैं, देवराव अम्बुलकर (DEVRAO AMBULKAR) आत्मज श्री बिसन अम्बुलकर (BISAN AMBULKAR), निवासी– ग्राम एवं पोस्ट पोनी, तहसील मुलताई, जिला बैतूल (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम देवराज अम्बुलकर (DEVRAJ AMBULKAR) आत्मज श्री बिसन अम्बुलकर (BISAN AMBULKAR) दर्ज है, जबकि अन्य दस्तावेजों में मेरा नाम देवराव अम्बुलकर (DEVRAO AMBULKAR) आत्मज श्री बिसन अम्बुलकर (BISAN AMBULKAR) दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त जहां कहीं भी मेरा नाम देवराज (DEVRAJ AMBULKAR) आत्मज श्री बिसन अम्बुलकर (BISAN AMBULKAR) दर्ज है. उसके स्थान पर मेरा नाम देवराव अम्बुलकर (DEVRAO AMBULKAR) आत्मज श्री बिसन अम्बुलकर (BISAN AMBULKAR) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(देवराज अम्बुलकर)	**(देवराव अम्बुलकर)**
(DEVRAJ AMBULKAR)	(DEVRAO AMBULKAR)
	आत्मज– श्री बिसन अम्बुलकर
	(BISAN AMBULKAR).

(G-1009)

नाम परिवर्तन

मैं, सूरत सिंह सिसोदिया आ. मूलचंद, निवासी– आरबी 2/213/ए, रेलवे कॉलोनी, डीआरएम ऑफिस के पास, हबीबगंज, हुजूर, भोपाल (म.प्र.). मेरे शासकीय/अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में त्रुटिवश मेरा नाम सूरत सिंह (SURAT SINGH) अंकित हो गया है, जो कि गलत है. मेरा सही नाम मेरी पुत्री की मार्कशीट एवं राशन कार्ड में दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरांत मेरा नाम सूरत सिंह सिसोदिया (SURAT SINGH SISODIYA) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(सूरत सिंह)	**(सूरत सिंह सिसोदिया)**
(SURAT SINGH)	(SURAT SINGH SISODIYA).

(G-1010)

नाम परिवर्तन

मैं, सुरेश कारपेंटर पिता श्री कालूराम कारपेंटर, निवासी– घोडाखेड़ा, पोस्ट चाटूखेड़ा, थाना खुजनेर, चाटूखेडा, राजगढ़ (म.प्र.). मेरे पुत्र के आधार कार्ड में त्रुटिवश नाम (SHAYAM BABU C/o. REKHA BAI KARPENTER) अंकित हो गया है, जो कि गलत है. मेरे पुत्र का सही नाम उसके जन्म प्रमाण–पत्र में दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरांत मेरे पुत्र का नाम श्याम कारपेंटर पिता श्री सुरेश कारपेंटर (SHYAM CARPENTER S/o. SURESH CARPENTER) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

आवेदक

(सुरेश कारपेंटर)

पिता– श्री कालूराम कारपेंटर.

(G-1011)

उपनाम परिवर्तन

मैं, किशोर कुमार उईके पुत्र हरभजन उईके, निवासी– एन.जी.ओ. 03, पुलिस लाइन, नेहरू नगर, भोपाल (म.प्र.). मेरी सेवा पुस्तिका में मेरा नाम त्रुटिवश किशोर कुमार मरकाम अंकित हो गया है, जब कि मेरा सही नाम किशोर कुमार उईके है, जो कि मेरे शैक्षणिक दस्तावेजों, आधार कार्ड, पैन कार्ड एवं समग्र आई.डी. आदि में अंकित है. अतः मेरी सेवा पुस्तिका में त्रुटिवश अंकित नाम किशोर कुमार मरकाम के स्थान पर सही नाम किशोर कुमार उईके अंकित किया जावे तथा जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(किशोर कुमार मरकाम)	**(किशोर कुमार उईके).**

(G-1012)

CHANGE OF NAME

I, MONICA JAIN NEE ADVANI W/o. ARUN JAIN here by Declare That I have changed My name as MONICA JAIN W/o. ARUN JAIN so, from now and in future I will be known by my new name as MONICA JAIN W/o. ARUN JAIN

Old Name	New Name
(MONICA JAIN NEE ADVANI)	**(MONICA JAIN)**

W/o. ARUN JAIN
Add.- B-64, DLF Gardencity, Phase 1,
AB Road, Bypass Mangliya, PO Maglia,
Dist. Indore (M.P.).

(G-1013)

CHANGE OF NAME

I, RUKSANA BEE W/o. MOHAMMAD WAHID here by Declare That I have changed My name as RUBINA W/o. MOHAMMAD WAHID So, from now and in future I will be known by my new name as RUBINA W/o. MOHAMMAD WAHID

Old Name New Name

(RUKSANA BEE) **(RUBINA)**

W/o. MOHAMMAD WAHID
Add.- Jamat Khane ke pass 3,
Lohar Path, Indore (M.P.).

(G-1014)

CHANGE OF NAME

It is to bring kind Notice to the people that my Son previous name Sarthak Hada S/o. Kundan Hada has been changed to Sarthak Singh Chouhan, father of Kundan Singh Hada, guardian of mother Sushma Chouhan Therefore, in future my Son will be known by the her new name only.

Applicant

Mother- (Sushma Chouhan)
Father- Kundan Singh Hada
Add.- 09, New Gori Nagar,
Indore (M.P.).

(G-1015)

CHANGE OF NAME

I, JYOTI PANDIT W/o. DEEPAK PANDIT here by Declare That I have changed My name as UJWALA PANDIT W/o. DEEPAK PANDIT so, from now and in future I will be known by my new name as UJWALA PANDIT W/o. DEEPAK PANDIT

Old Name New Name

(JYOTI PANDIT) **(UJWALA PANDIT)**

W/o. DEEPAK PANDIT
Add.- Behind Central Bank,
20/5, Yashwant Niwas Road,
Indore (M.P.).

(G-1016)

CHANGE OF NAME

I, SALMA BAI ABDUL RASOOL D/o. ABDUL RASOOL RASSIWALA here by Declare That I have changed My name as SALMA MAJOR W/o. ABBAS ALI MAJOR So, from now and in future I will be known by my new name as SALMA MAJOR W/o. ABBAS ALI MAJOR

Old Name New Name

(SALMA BAI ABDUL RASOOL) **(SALMA MAJOR)**

D/o. ABDUL RASOOL RASSIWALA

W/o. ABBAS ALI MAJOR
Add.- 156, SHREE KANWAR COLONY,
WARD NO. 08, BARWAHA,
WEST NIMAR (M.P.).

(G-1017)

नाम परिवर्तन

मैं, सिद्धनाथ गोयल पिता टेकचंद गोयल (SIDDHANATH GOYAL S/o. TEKCHAND GOYAL), निवासी– एच/9, संत आशाराम नगर, बागसेवनिया, फेस–1, हुजूर, भोपाल (म.प्र.). मेरे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सर्विस रिकॉर्ड में मेरा नाम सिद्धनाथ टेकचंद गोयल (SIDDHANATH TEKCHAND GOYAL) अंकित हो गया है, जो कि मेरा ही नाम है. मेरा सही नाम सिद्धनाथ गोयल पिता टेकचंद गोयल (SIDDHANATH GOYAL S/o. TEKCHAND GOYAL) मेरे आधार कार्ड व अन्य दस्तावेजों में दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरांत मेरा नाम सिद्धनाथ गोयल पिता टेकचंद गोयल (SIDDHANATH GOYAL S/o. TEKCHAND GOYAL) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(सिद्धनाथ टेकचंद गोयल)	**(सिद्धनाथ गोयल)**
(SIDDHANATH TEKCHAND GOYAL)	(SIDDHANATH GOYAL)
	पिता– टेकचंद गोयल
(G-1018)	(S/o. TEKCHAND GOYAL).

नाम परिवर्तन

मैं, नरेन्द्र कुमार चौहान पिता मोहन लाल चौहान (NARENDRA KUMAR CHAUHAN S/o. MOHAN LAL CHAUHAN), निवासी–145/2ए, साकेत नगर, हुजूर, भोपाल (म.प्र.). मेरे शैक्षणिक दस्तावेजों व समस्त अन्य दस्तावेजों में मेरा नाम नरेन्द्र कुमार व नरेन्द्र चौहान (NARENDRA KUMAR & NARENDRA CHAUHAN) अंकित है, जो की गलत है. मेरा सही नाम नरेन्द्र कुमार चौहान पिता मोहन लाल चौहान (NARENDRA KUMAR CHAUHAN S/o. MOHAN LAL CHAUHAN) है, जो कि मेरे आधार कार्ड, पैन कार्ड में दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरा नाम नरेन्द्र कुमार चौहान पिता मोहन लाल चौहान (NARENDRA KUMAR CHAUHAN S/o. MOHAN LAL CHAUHAN) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(नरेन्द्र कुमार व नरेन्द्र चौहान)	**(नरेन्द्र कुमार चौहान)**
(NARENDRA KUMAR & NARENDRA CHAUHAN)	(NARENDRA KUMAR CHAUHAN)
	पिता– मोहन लाल चौहान
	(S/o. MOHAN LAL CHAUHAN).

(G-1019)

नाम परिवर्तन

मैं, अनमोल सिंह मेवाड़ा पिता श्री फुलसिंह मेवाड़ा, निवासी– ग्राम 36, मदाना छोटी पाती, तहसील गुलाना, जिला शाजापुर (म.प्र.). मेरे शैक्षणिक दस्तावेज 8वीं, 10वीं, 12वीं व स्नातक उपाधि बी. कॉम एवं कम्प्टूर डिप्लोमा (डी.सी.ए./सी.पी.सी.टी.) अंकसूचियों इत्यादि दस्तावेजों में मेरे पिताजी का नाम श्री लखनसिंह मेवाड़ा (LAKHAN SINNGH MEWADA) एवं माताजी का नाम सोदर बाई (SODAR BAI) त्रुटिवश अंकित हो गया है, मेरे पिता का सही नाम श्री फुलसिंह मेवाड़ा व माताजी का नाम सुल्तान बाई है. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में शासकीय/अर्द्धशासकीय/व्यक्तिगत दस्तावेजों में मेरे पिताजी को फुलसिंह मेवाड़ा (POOLSINGH MEWADA) व माताजी का नाम सुल्तान बाई (SULTAN BAI) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

आवेदक

(अनमोल सिंह मेवाड़ा)

पिता– श्री फुलसिंह मेवाड़ा.

(G-1020)

नाम परिवर्तन

मैं, रामचरण पुत्र श्री सुखराम परमार, निवासी– लहारपुर, तहसील कोलार, जिला भोपाल (म.प्र.). मेरे राजस्व अभिलेखों कम्प्यूटरीकृत खसरे में त्रुटिवश मेरा नाम रामचंद पिता सुखराम अंकित है, जबकि मेरा सही नाम राम चरण पिता श्री सुखराम परमार है, जो कि मेरे आधार कार्ड एवं पैन कार्ड इत्यादि में अंकित है. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में मेरे समस्त दस्तावेजों में मेरा सही नाम राम चरण पिता श्री सुखराम परमार के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

आवेदक

(रामचरण)

पुत्र– श्री सुखराम परमार.

(G-1021)

नाम परिवर्तन

मेरी पुत्री के आधार कार्ड में उसका नाम शिवानी कुशवाहा है परन्तु त्रुटिवश उर्मिला काछी अंकित हो गया है. मैं, अपनी पुत्री का नाम शिवानी कुशवाहा कराना चाहता हूँ. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरी पुत्री को शिवानी कुशवाहा के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

आवेदक

(योगेन्द्र सिंह काछी)

आत्मज– श्री धरम सिंह काछी

निवासी– म.नं. 24, ग्राम सगरा,

तहसील गोटेगांव, जिला नरसिंहपुर (म.प्र.).

(G-1022)

नाम परिवर्तन

मेरा नाम राकेश इनवाती आत्मज श्री कालीराम इनवाती, निवासी–ग्राम राजढाना, पोस्ट वसूरिया खुर्द हर्रई, छिंदवाडा (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश राधेश्याम इनवाती (Radheshyam Inwati) दर्ज हो गया है, जो कि गलत है. मेरे वोटर आई.डी. कार्ड, समग्र आई.डी. एवं अंकसूची में मेरा सही नाम राकेश इनवाती (Rakesh Invati) दर्ज है. राधेश्याम इनवाती (Radheshyam Inwati) एवं राकेश इनवाती (Rakesh Invati) दोनों एक ही व्यक्ति के नाम हैं. अतः प्रकाशन उपरान्त मुझे राकेश इनवाती (Rakesh Invati) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

(राधेश्याम इनवाती)

(Radheshyam Inwati)

नया नाम

(राकेश इनवाती)

(Rakesh Invati)

(G-1023)

नाम परिवर्तन

मेरा नाम खुमेर सिंह (Khumer Singh) था, परन्तु अब मुझे मेरे नये नाम खुमेर सिंह मेवाडा (Khumer Singh Mewada) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

(खुमेर सिंह)

(Khumer Singh)

नया नाम

(खुमेर सिंह मेवाडा)

(Khumer Singh Mewada)

निवासी– एस/36, वल्लभ नगर,

अवधपुरी भेल, भोपाल (म.प्र.).

(G-1024)

नाम परिवर्तन

मैं, कल्पना नामदेव पति मयंक नामदेव, निवासी– सोनकच्छ, जिला देवास (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में त्रृटिवश मेरा नाम "रूबी नामदेव" (RUBEE NAMDEV) अंकित हो गया है, जबकि मेरा सही नाम "कल्पना नामदेव" (KALPANA NAMDEV) है, जो कि मेरे मतदाता पहचान–पत्र में अंकित है. अतः प्रकाशन उपरान्त से मुझे "कल्पना नामदेव" (KALPANA NAMDEV) के नाम से हीं जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(रूबी नामदेव)	**(कल्पना नामदेव).**

(G-1025)

नाम परिवर्तन

मेरे पुत्र का नाम वेदान्त सिंह चंदेला पिता श्याम बाबू (VEDANT SINGH CHANDELA S/o. SHYAM BABU), निवासी– 160, सिद्धपूर, ग्राम सिद्धपूर, माखनपुर मंखपुर पन्ना (म.प्र.). मेरे पुत्र के आधार कार्ड में त्रुटिवश श्यामदित्य चंदा पिता श्यामबाबू पटेल (SHYAMADITYA CHANDA S/o. SHYAMBABU PATEL) अंकित हो गया है, जो कि गलत है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे पुत्र का सही नाम वेदान्त सिंह चंदेला पिता श्याम बाबू (VEDANT SINGH CHANDELA S/o. SHYAM BABU) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

आवेदक

(श्याम बाबू)

पिता– श्री चन्द्र प्रकाश.

(G-1026)

उपनाम परिवर्तन

मैं, श्रीमती रेखा पत्नी स्व. श्री जगत सिंह, निवासी–101, चम्बल कालोनी, मोतीझील, पुरानी छावनी, ग्वालियर (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम राजश्री कुशवाह पति लक्ष्मण सिंह कुशवाह दर्ज हो गया है, जो कि गलत है, जबकि मेरा सही नाम श्रीमती रेखा पत्नी श्री जगत सिंह है, जो कि मेरे अन्य शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरांत मुझे मेरे सही नाम श्रीमती रेखा पत्नी श्री जगत सिंह के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(राजश्री कुशवाह)	**(रेखा)**
पत्नी– लक्ष्मण सिंह कुशवाह	पत्नी– श्री जगत सिंह.

(G-1027)

नाम परिवर्तन

मैं, प्रतीक चौकिकर पुत्र विलीन चौकिकर, निवासी–229, बोड़खी वार्ड नं. 17, आमला, देपोत, बैतूल (म.प्र.). मेरे शैक्षणिक दस्तावेजों में त्रुटिवश मेरा नाम प्रतीक कुमार (PRATIK KUMAR) पुत्र विलीन कुमार (VILIN KUMAR) दर्ज हो गया है, जो कि गलत है, जबकि मेरे समस्त दस्तावेजों में मेरा सही नाम प्रतीक चौकिकर (PRATIK CHOUKIKAR) पुत्र विलीन चौकिकर (VILIN CHOUKIKAR) दर्ज है, जो कि सही है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे सभी शासकीय/अशासकीय/व्यक्तिगत दस्तावेजों में सही नाम प्रतीक चौकिकर (PRATIK CHOUKIKAR) पुत्र विलीन चौकिकर (VILIN CHOUKIKAR) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(प्रतीक कुमार)	**(प्रतीक चौकिकर)**
(PRATIK KUMAR)	(PRATIK CHOUKIKAR)
पुत्र– विलीन कुमार	पुत्र– विलीन चौकिकर
(VILIN KUMAR)	(VILIN CHOUKIKAR).

(G-1028)

नाम परिवर्तन

मैं, श्री संजय बुच पुत्र श्री जगदीश बुच, निवासी– ग्राम कालपी, पोस्ट रहटगांव, ग्राम पंचायत गाड़ामोड़, जनपद पंचायत टिमरनी, तहसील रहटगांव, उप तहसील टिमरनी, जिला हरदा (म.प्र.). मेरे पुत्र के आधार कार्ड में मेरे पुत्र का नाम त्रुटिवश नारायण बुच (NARAYAN BUCH) दर्ज हो गया है, जबकि मेरे पुत्र का सही नाम यश बुच (YASH BUCH) दर्ज है. मेरे पुत्र की कक्षा दसवीं की अंकसूची, जन्म प्रमाण–पत्र एवं परिवार आई.डी. में मेरे पुत्र का सही नाम यश बुच (YASH BUCH) है. मेरे पुत्र का सही नाम यश बुच (YASH BUCH) शासकीय/अशासकीय अभिलेखों में दर्ज किया जावे.

आवेदक

(G-1029) **(संजय बुच).**

नाम परिवर्तन

मेरा सही नाम शाहाना फिरोजा पत्नी नसीम हो चुका है. पूर्व में मेरे शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में त्रुटिवश शहाना, शहाना बेगम पुत्री अ. सत्तार, पत्नी मोह. नसीम खान, फिरोजा पत्नी नसीम, अंकित कर दिया गया है जबकि विवाह के बाद मैंने मेरा नाम फिरोजा रख लिया है. अब वर्तमान में मेरा सही नाम शाहाना फिरोजा पत्नी नसीम SHAHANA FIROZA W/o. NASEEM है और मैं, इसी नाम से जानी पहचानी जाती हूँ, जो कि सही है. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में मुझे शाहाना फिरोजा पत्नी नसीम (SHAHANA FIROZA W/o. NASEEM) के नाम से ही जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम
(शहाना, शहाना बेगम, फिरोजा)
पुत्री– अ. सत्तार

नया नाम
(शाहाना फिरोजा)
पत्नी– नसीम.

(G-1030)

नाम परिवर्तन

पूर्व में मेरा नाम मो. आसिफ आत्मज अब्दुल रहमान (MOHD. ASIF S/o. ABDUL REHMAN) था, जो कि मेरे शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में अंकित है. वर्तमान में मैंने अपना नाम परिवर्तन कर लिया है और अब मेरा नाम अब्दुल वहीद आत्मज अब्दुल रहमान (ABDUL WAHEED S/o. ABDUL REHMAN) हो चुका है. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में मुझे अब्दुल वहीद आत्मज अब्दुल रहमान (ABDUL WAHEED S/o. ABDUL REHMAN) के नाम से ही जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम
(मो. आसिफ)

नया नाम
(अब्दुल वहीद)
आत्मज– अब्दुल रहमान
निवासी–124, भीम नगर मजार के सामने,
न्यू विधानसभा, तहसील हुजूर,
जिला भोपाल (म.प्र.).

(G-1031)

CHANGE OF SURNAME

I, hereby declare that, I, have changed my name from "Gayatri Devi" To "Gayatri Devi Nain". Henceforth I shall be known as "Gayatri Devi Nain" for all purposes.

Old Name
(Gayatri Devi)

New Name
(Gayatri Devi Nain)
Add.- 1517, Napier Town,
Subhadra Kumari Chouhan, Ward,
Dist. Jabalpur (M.P.).

(G-1032)

CHANGE OF NAME

I, Hereby declare that my correct name is Ramesh Kumar, but in some of my documents and share certificates my name and Surname is written as Rameshchand Agrawal and some where Ramesh Kumar Patni, so I, want to correct or remove my surnames. Henceforth my name shall be read and written as Ramesh Kumar for all purposes.

Old Name

(Rameshchand Agrawal/ Ramesh Kumar Patni)

New Name

(Ramesh Kumar)

Add.- 54/2, Parsi Mohalla
Chawani, Indore (M.P.).

(G-1033)

CHANGE OF NAME

I Hereby declare that my correct name and name's spelling is Reshma Bee but in my Aadhar card my name's spelling is written Resham Beef and some of other documents Reshama Bee. So I want to correct and same it everywhere as Reshma Bee. Henceforth my name shall be read and written as Reshma Bee for all purposes.

Old Name

(Resham Beef/Reshama Bee)

New Name

(Reshma Bee)

Add.- 36, Silavatpura
Indore (M.P.).

(G-1034)

CHANGE OF SURNAME

I Hereby declare that my correct name is Kanta Bai Navlakha, but in some of my documents and share certificates my name is written as Kanta Bai Nocakha, in which my surname's spelling is written wrong. Henceforth my name shall be read and written as Kanta Bai Navlakha for all purposes.

Old Name

(Kanta Bai Nocakha)

New Name

(Kanta Bai Navlakha)

Add.- 177, Narayana Road,
Mahidpur Distt. Ujjain (M.P.).

(G-1035)

नाम परिवर्तन

पूर्व में मेरा नाम शक्ति प्रजापत था जिसे परिवर्तित कर अशोक कर लिया है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे आधार कार्ड सहित समस्त शासकीय व अशासकीय दस्तावेजों में मेरा सही नाम अशोक ही लिखा–पढ़ा एवं दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

(शक्ति प्रजापत)

नया नाम

(अशोक)

पुत्र– मानसिंह

निवासी–कलारिया, इन्दौर (म.प्र.).

(G-1036)

CHANGE OF SURNAME

I Hereby declare that my correct surname is Vinod Kumawat but in some of my documents and share certificates my surname is written Vinod Shokal. So I want to correct or change it from Vinod Shokal To Vinod Kumawat. Henceforth my surname shall be read and written as Vinod Kumawat for all purposes.

Old Name | New Name

(Vinod Shokal) | **(Vinod Kumawat)**

Add.- 12-A, Vidhya Nagar,
Bhanwarkua, Distt. Indore (M.P.).

(G-1037)

CHANGE OF SURNAME

I Hereby declare that my correct surname is Yashpal Kumawat but in some of my documents and share certificates my surname is written Yashpal Shokal. So I want to correct or change it from Yashpal Shokal To Yashpal Kumawat. Henceforth my surname shall be read and written as Yashpal Kumawat for all purposes.

Old Name | New Name

(Yashpal Shokal) | **(Yashpal Kumawat)**

Add.- 12-A, Vidhya Nagar,
Bhanwarkua, Distt. Indore (M.P.).

(G-1038)

नाम परिवर्तन

मेरा सही नाम सुभाष चंद जैन (Subhash Chand Jain) है, किन्तु मेरे शेयर सर्टिफिकेट्स सहित कुछ अन्य दस्तावेजों में मेरा नाम सुभाष जैन (Subhash Jain) लिखा गया है, जो कि मेरा गलत नाम है. अतः प्रकाशन उपरान्त शेयर सर्टिफिकेट्स सहित सभी शासकीय व अशासकीय दस्तावेजों में मुझे मेरे सही नाम सुभाष चंद जैन (Subhash Chand Jain) के नाम से ही लिखा–पढ़ा एवं दर्ज किया जावे.

पुराना नाम | नया नाम

(सुभाष जैन) | **(सुभाष चंद जैन)**

(Subhash Jain) | (Subhash Chand Jain).

(G-1039)

CHANGE OF NAME

I Hereby declare that my correct name is Vishal Patni but in some of my documents and share certificates my name is written Rinku Patni. So I want to change it from Rinku Patni To Vishal Patni. Henceforth my name shall be read and written as Vishal Patni for all purposes.

Old Name | New Name

(Rinku Patni) | **(Vishal Patni)**

Add.- 54/2, Parsi Mohalla,
Chawani, Indore (M.P.).

(G-1040)

उपनाम परिवर्तन

पूर्व में मेरा नाम संदीप गेहलोद पिता श्री सुंदर सिंह गेहलोद था, जो कि बदलकर संदीप गेहलोत पिता श्री सुंदर सिंह (SANDEEP GEHLOT S/o. SUNDAR SINGH) हो गया है. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना–पहचाना व सम्बोधित किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(संदीप गेहलोद)	**(संदीप गेहलोत)**
पिता– श्री सुंदर सिंह गेहलोद	पिता– श्री सुंदर सिंह
	पता– ग्राम पुंजापुरा, बागली, देवास (म.प्र.).

(G-1041)

नाम परिवर्तन

मेरे पुत्र का सही नाम यश जाटव (YASH JATAV) है. यही नाम उसके जन्म प्रमाण–पत्र, शैक्षणिक दस्तावेजों में दर्ज है, जबकि मेरे पुत्र के आधार कार्ड में त्रुटिवश उसका नाम यशवरधन (YASHVARDHAN) दर्ज हो गया है. यश जाटव (YASH JATAV) और यशवरधन (YASHVARDHAN) दोनों नाम मेरे पुत्र के हैं. अतः प्रकाशन उपरांत मेरे पुत्र के शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में उसका नाम यशवरधन (YASHVARDHAN) के स्थान पर यश जाटव (YASH JATAV) पुत्र महेन्द्र कुमार के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

आवेदक

(महेन्द्र कुमार)

पिता– शंकर लाल

पता– 23/775, गौतम नगर,

थाटीपुर, ग्वालियर (म.प्र.).

(G-1042)

नाम परिवर्तन

मेरा नाम शमा (SHAMA) जो कि गलत है, जिसे बदलकर मैंने अपना नाम अफसाना उस्मानी (AFSANA USMANI) रख लिया है. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में मुझे मेरे नये नाम अफसाना उस्मानी (AFSANA USMANI) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(शमा)	**(अफसाना उस्मानी)**
(SHAMA)	(AFSANA USMANI)
	पुत्री– सलीम खान
	पता– उस्मानी मस्जिद के सामने,
	गेंडे वाली सड़क, गिर्द ग्वालियर,
	लश्कर, ग्वालियर (म.प्र.).

(G-1043)

नाम परिवर्तन

मैं, राजकुमार नामदेव आत्मज श्री हरिकिशन नामदेव, निवासी– 272/ए, अशोका गार्डन, रायसेन रोड, भोपाल (म.प्र.) मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम बालकृष्ण नामदेव पिता श्री रामप्रसाद नामदेव (BALKRISHN NAMDEV S/o. RAM PRASAD NAMDEV) दर्ज है, जो कि गलत है, जबकि मेरे वोटर कार्ड एवं समस्त दस्तावेजों में मेरा नाम राजकुमार नामदेव पिता श्री हरिकिशन नामदेव (RAJKUMAR NAMDEV S/o. HAREEKISHAN NAMDEV) दर्ज है, जो कि सही है. अतः प्रकाशन उपरांत सभी शासकीय/अशासकीय/व्यक्तिगत दस्तावेजों में मेरा नाम राजकुमार नामदेव पिता श्री हरिकिशन नामदेव (RAJKUMAR NAMDEV S/o. HAREEKISHAN NAMDEV) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(बालकृष्ण नामदेव)	**(राजकुमार नामदेव)**
(BALKRISHN NAMDEV)	(RAJKUMAR NAMDEV)
पिता– श्री रामप्रसाद नामदेव	पिता– श्री हरिकिशन नामदेव
(S/o. RAM PRASAD NAMDEV)	(S/o. HAREEKISHAN NAMDEV).

(G-1044)

नाम परिवर्तन

मैं, कौशल प्रसाद किरार आ. श्री ओमकार प्रसाद किरार, निवासी–ग्राम डोभी, तेन्दुखेडा, नरसिंहपुर (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम कौशल प्रसाद पिता श्री ओंकार प्रसाद किरार (KOUSHAL PRASAD S/o. ONKAR PRASAD KIRAR) अंकित हो गया है, जो कि गलत है. मेरा सही नाम मेरे वोटर आई.डी. कार्ड में दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरांत मेरा नाम कौशल प्रसाद किरार आ. श्री ओमकार प्रसाद किरार (KOUSHAL PRASAD KIRAR S/o. OMKAR PRASAD KIRAR) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(कौशल प्रसाद)	**(कौशल प्रसाद किरार)**
(KOUSHAL PRASAD)	(KOUSHAL PRASAD KIRAR)
पिता– श्री ओंकार प्रसाद किरार	आत्मज– श्री ओमकार प्रसाद किरार
(S/o. ONKAR PRASAD KIRAR)	(S/o. OMKAR PRASAD KIRAR).

(G-1045)

नाम परिवर्तन

मैं, भेरू लाल पिता श्री बालकिशन, निवासी– वार्ड नं. 15, बीनागंज, पोस्ट बीनागंज, जिला गुना (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम जगदीश लोधा पिता श्री बाबूलाल (JAGDISH LODHA C/o. BABULAL) अंकित हो गया है जो कि गलत है. मेरा सही नाम पैन कार्ड में दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरांत मेरा नाम भेरू लाल पिता श्री बालकिशन (BHERU LAL S/o. BALKISHAN) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(जगदीश लोधा)	**(भेरू लाल)**
(JAGDISH LODHA)	(BHERU LAL)
पिता– बाबूलाल	पिता– श्री बालकिशन
(C/o. BABULAL)	(S/o. BALKISHAN).

(G-1046)

नाम परिवर्तन

मैं, लक्ष्मण सिंह लोधी पिता श्री मुलाम सिंह लोधी, निवासी– ग्राम परसवाड़ा, पोस्ट राखीभैसा, थाना थेमी, तहसील गोटेगांव, जिला नरसिंहपुर (म.प्र.). मेरा (पूर्व) नाम लक्ष्मण सिंह लोधी जो मेरे समस्त शैक्षणिक एवं शासकीय दस्तावेजों में दर्ज है, किन्तु मुझे लक्ष्मण सिंह लोधी के अतिरिक्त सत्येन्द्र सिंह लोधी के नाम से भी जाना–पहचाना जाता है. मैंने अपने (पूर्व) नाम में परिवर्तन कर लिया है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे समस्त शैक्षणिक दस्तावेजों, शासकीय/अशासकीय अभिलेखों तथा सत्येन्द्र सिंह लोधी के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(लक्ष्मण सिंह लोधी)	**(सत्येन्द्र सिंह लोधी).**

(G-1047)

नाम परिवर्तन

मैं, कल्पना कुलकर्णी पत्नी स्व. जयवंत कुलकर्णी, निवासी– वार्ड नं.–15, पंडित कॉलोनी, सनावद, खरगोन (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश कल्पना कुलकर्णी अंकित हो गया है, जबकि मेरा सही नाम अपर्णा जयवंत कुलकर्णी है. मेरा सही नाम मेरे अन्य दस्तावेजों परिचय–पत्र में मेरा सही नाम अपर्णा जयवंत कुलकर्णी ही अंकित है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे सही नाम अपर्णा जयवंत कुलकर्णी (APARNA JAYWANT KULKARNI) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(कल्पना कुलकर्णी)	**(अपर्णा जयवंत कुलकर्णी).**

(G-1048)

नाम परिवर्तन

मेरा सही नाम उर्मिला है, जो कि खसरा, बैंक का खाता आदि दस्तावेजों में दर्ज है. आधार कार्ड में मेरा नाम उतलाबाई दर्ज है. उर्मिला और उतलाबाई मुझ एक ही महिला के नाम हैं. अतः प्रकाशन उपरात्त मेरे समस्त शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में मेरा नाम उतलाबाई (UTALABAEE) के स्थान पर उर्मिला (URMILA) दर्ज जावे व भविष्य में मुझे उर्मिला (URMILA) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(उतलाबाई)	**(उर्मिला)**
(UTALABAEE)	(URMILA).

निवासी– 70, बेहटा मुरार, ग्वालियर (म.प्र.).

(G-1049)

नाम परिवर्तन

मेरे पुत्र का सही नाम कृष्णा वर्मा (KRISHNA VERMA) पिता मनीष वर्मा है, जो कि उसके शैक्षणिक दस्तावेजों में अंकित है, किन्तु मेरे पुत्र के आधार कार्ड में त्रुटिवश उसका नाम क्रिश (KRISH) पिता मनीष दर्ज हो गया है, अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में मेरे पुत्र के सभी दस्तावेजों में उसका सही नाम कृष्णा वर्मा (KRISHNA VERMA) पिता मनीष वर्मा लिखा–पढ़ा जावे एवं इसी नाम से जाना–पहचाना व अंकित किया जावे.

आवेदक

(मनीष वर्मा)

निवासी– 141, धरनावद, कलारिया,
इन्दौर (म.प्र.).

(G-1050)

नाम परिवर्तन

पूर्व में मेरा नाम दुर्गाप्रसाद गौर (DURGAPRASAD GOUR) पिता ओमप्रकाश था, जो मेरे कुछ शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में अंकित है मैंने अपना नाम परिवर्तित कर दुर्गेश गौर (DURGESH GOUR) पिता ओमप्रकाश गौर कर लिया है, जो मेरे वोटर कार्ड में अंकित है. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में मेरे सभी दस्तावेजों में दुर्गाप्रसाद गौर के स्थान पर मेरा परिवर्तित नाम दुर्गेश गौर (DURGESH GOUR) पिता ओमप्रकाश गौर लिखा–पढ़ा जावे एवं इसी नाम से जाना–पहचाना व अंकित किया जावे.

पुराना नाम
(दुर्गाप्रसाद गौर)
(DURGAPRASAD GOUR)

नया नाम
(दुर्गेश गौर)
(DURGESH GOUR)
पिता– ओमप्रकाश गौर
निवासी– 60, चैनपुर, तहसील खालवा,
जिला खण्डवा (म.प्र.).

(G-1051)

नाम परिवर्तन

मेरे पुत्र का सही नाम साहिल (SAHIL) पिता सावन है, जो कि उसके जन्म प्रमाण–पत्र में अंकित है. मेरे पुत्र के आधार कार्ड में त्रुटिवश उसका नाम गौतम (GAUTAM) पिता सावन दर्ज हो गया है. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में मेरे पुत्र के सभी दस्तावेजों में उसका सही नाम साहिल (SAHIL) पिता सावन के नाम से लिखा–पढ़ा जावे एवं इसी नाम से जाना–पहचाना व अंकित किया जावे.

आवेदक
(सावन)
निवासी– वार्ड नं. 06, खाती भोन्डिया,
पीथमपुर, धार (म.प्र.).

(G-1052)

नाम परिवर्तन

मेरा सही नाम असगर पटेल (ASGAR PATEL) पिता अकबर पटेल है, जो कि मेरे कुछ शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में दर्ज है, किन्तु मेरे आधार कार्ड एवं पासपोर्ट पर त्रुटीवश मेरा नाम अजगर पटेल (AJAGAR PATEL) पिता अकबर दर्ज हो गया है. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में मेरे सभी दस्तावेजों में मेरा सही नाम असगर पटेल (ASGAR PATEL) पिता अकबर पटेल लिखा–पढ़ा जावे एवं इसी नाम से जाना–पहचाना व अंकित किया जावे.

पुराना नाम
(अजगर पटेल)
(AJAGAR PATEL)

नया नाम
(असगर पटेल)
(ASGAR PATEL)
पिता– अकबर पटेल
निवासी– 118, बडला कॉलोनी,
खजराना, इन्दौर (म.प्र.).

(G-1053)

नाम परिवर्तन

पूर्व मे मेरा नाम शहनाज एहमद हिलाल (SHAHNAZ AHMED HILAL) पति सोहेल एहमद हिलाल था, जो कि मेरे कुछ शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों पर दर्ज है, मैंने अपना नाम परिवर्तित कर मेरा नाम शहनाज़ हिलाल (SHEHNAZ HILAL) पति सोहेल एहमद हिलाल कर लिया है. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में मेरे सभी दस्तावेजों में शहनाज़ एहमद हिलाल के स्थान पर मेरा परिवर्तित नाम शहनाज़ हिलाल (SHEHNAZ HILAL) पति सोहेल एहमद हिलाल के नाम से लिखा–पढ़ा जावे एवं इसी नाम से जाना–पहचाना व अंकित किया जावे.

पुराना नाम
(शहनाज़ एहमद हिलाल)
(SHAHNAZ AHMED HILAL)

नया नाम
(शहनाज़ हिलाल)
(SHEHNAZ HILAL)
पिता– सोहेल एहमद हिलाल
निवासी– 129, वार्ड नं. 5, आजाद मार्ग,
सनावद, खगोन (म.प्र.).

(G-1054)

नाम परिवर्तन

पूर्व मे मेरा नाम राहुल कुमार अहिरवार (RAHUL KUMAR AHIRWAR) पिता धन्ना लाल था, जो मेरे कुछ शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों पर अंकित है, किन्तु मैंने अपना नाम परिवर्तित कर राहुल कुमार सूर्यवंशी (RAHUL KUMAR SURYAVANSHI) पिता धन्ना लाल कर लिया है. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में मेरे सभी दस्तावेजों पर मेरा परिवर्तित नाम राहुल कुमार सूर्यवंशी (RAHUL KUMAR SURYAVANSHI) पिता धन्ना लाल लिखा–पढ़ा जावे एवं इसी नाम से जाना–पहचाना व सम्बोधित किया जावे.

पुराना नाम

(राहुल कुमार अहिरवार)

(RAHUL KUMAR AHIRWAR)

नया नाम

(राहुल कुमार सूर्यवंशी)

(RAHUL KUMAR SURYAVANSHI)

पिता– धन्ना लाल

निवासी– 86, साई राम कॉलोनी,

राऊ, इन्दौर (म.प्र.).

(G-1055)

नाम परिवर्तन

मेरा नाम निमिषा पुरोहित (Nimisha Purohit) पिता सत्यनारायण पुरोहित है, जो की मेरे आधार कार्ड/पैन कार्ड पर दर्ज है, किन्तु मेरे शैक्षणिक दस्तावेजों पर त्रुटिवश मेरा नाम निमिषा सत्यनारायण पुरोहित (Nimisha Satyanarayan Purohit) पिता सत्यनारायण पुरोहित दर्ज हो गया है, अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में मेरे सभी दस्तावेजों पर मेरा सही नाम निमिषा पुरोहित (Nimisha Purohit) पिता सत्यनारायण पुरोहित लिखा–पढ़ा जावे एवं मुझे इसी नाम से जाना–पहचाना व सम्बोधित किया जावे.

पुराना नाम

(निमिषा सत्यनारायण पुरोहित)

(Nimisha Satyanarayan Purohit)

नया नाम

(निमिषा पुरोहित)

(Nimisha Purohit)

पिता– सत्यनारायण पुरोहित

निवासी– 226, कृष्णा पार्क कॉलोनी,

बांगड़दा, इन्दौर (म.प्र.).

(G-1056)

नाम परिवर्तन

मैं, पदम सिंह यादव पुत्र श्री भंवरसिंह, निवासी–म.नं. 106, वार्ड कं 13, दुलवा, जामनेर जिला देवास (म.प्र.). मेरा नाम पदम सिंह यादव (Padam Singh Yadav) है, परंतु आधार कार्ड में मेरा नाम पदम सिंह गुर्जर (Padam Singh Gurjar) अंकित हो गया है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरा नाम पदम सिंह यादव (Padam Singh Yadav) से जाना–पहचाना जाउंगा एवं मेरे एवं बच्चों के सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में मेरा यहीं नाम रहेगा.

पुराना नाम

(पदम सिंह गुर्जर)

(Padam Singh Gurjar)

नया नाम

(पदम सिंह यादव)

(Padam Singh Yadav)

पिता– भंवर सिंह.

(G-1057)

नाम परिवर्तन

मेरा नाम पूर्व में "अनुराधा तोमर पति श्री सबल सिंह तोमर" था, परन्तु अब मैं, "भूरा बाई तोमर पति श्री सबल सिंह तोमर" के नाम से जानी–पहचानी जाती हूं साथ ही समस्त व्यवहार भविष्य में "भूरा बाई तोमर पति श्री सबल सिंह तोमर" के नाम से ही किया जावेगा.

पुराना नाम
(अनुराधा तोमर)

नया नाम
(भूरा बाई तोमर)
पति– श्री सबल सिंह तोमर
निवासी– 318, श्रीमंगल नगर,
इन्दौर (म.प्र.).

(G-1058)

नाम परिवर्तन

मैं, यास्मीन मुकादम (YASMEEN MUKADAM) पत्नी तौफीक हुसैन मुकादम (TAUFEEQUE HUSSAIN MUKADAM), निवासी–186, कमरी मार्ग, उज्जैन (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम यासमीन (YASAMEEN) की हिन्दी एवं अंग्रेजी में स्पेलिंग त्रुटिपूर्ण लिखा गया है, जो गलत है. जबकि मेरे अन्य शासकीय दस्तावेजों में मेरा नाम यास्मीन मुकादम (YASMEEN MUKADAM) सही लिखा हुआ है तथा वर्तमान में भी मुझे यास्मीन मुकादम (YASMEEN MUKADAM) के नाम से जाना–पहचाना जाता है. अर्द्धशासकीय विभागों एवं बैंक के खाते के संचालन आदि में मेरे द्वारा यास्मीन मुकादम (YASMEEN MUKADAM) पत्नी तौफीक हुसैन मुकादम (TAUFEEQUE HUSSAIN MUKADAM) के नाम का उपयोग किया जाएगा. अतः मेरे सभी शासकीय/अशासकीय/व्यक्तिगत एवं समस्त दस्तावेजों में सही नाम यास्मीन मुकादम (YASMEEN MUKADAM) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम
(यासमीन)
(YASAMEEN)

नया नाम
(यास्मीन मुकादम)
(YASMEEN MUKADAM)

(G-1059)

CHANGE OF NAME

I SHAHINA have changed my name to SHAHINA ANSARI W/O A KADEER and now I would be known as SHAHINA ANSARI W/O A KADEER

Old Name
(SHAHINA)

New Name
(SHAHINA ANSARI)
Add.- 97/1, NAYAPURA,
INDORE (M.P.).

(G-1060)

PUBLIC NOTICE

U/S. 72 OF THE INDIAN PARTNERSHIP ACT. 1932

Notice is hereby given that the firms "SANKALP DEVELOPERS" of Raisen vide Reg. No. 01/03/01/0333/19 year 2018-2019 date of Registration 17/01/2019 undergone the following changes:- (1) That Abhishek Soni S/o Shri Mahesh Kumar Soni And Pradeep Soni S/o Shri Madan Lal Ji Soni have expressed his desire to join the partnership firm and work together as partner and remaining partners are agreed with them w.e.f. 19/01/2026. (2) That Santosh Kumar S/o Shri Ram Lal Sahu And Narendra Soni S/o. Shri Karodi Lal Soni in pursuance to his desire to retire from the partnership firm w.e.f. 22/01/2026.

SANKALP DEVELOPERS
ASHISH SONI
(Partner)
Add.- Near Sheetal garden,
Vidisha Road, Raisen (M.P.).

(G-1061)

PUBLIC NOTICE

U/S. 72 OF THE INDIAN PARTNERSHIP ACT. 1932

Notice is hereby given that the firm "M/s SUBH LAXMI PLANNERS AND DEVELOPERS" of Bhopal Vide Reg. No. 01/01/01/00230/13 Date of Registration 02/09/2013 undergone the following changes:-

That Shyam Lal Malviya S/o Shri Sita Ram Malviya is pursuance his desire to retire from the partnership firm And Address of the Firm is shifted at Tulip-633, New Minal Residency, J. K. Road, Bhopal. w.e.f. 31/12/2025.

M/s. SUBH LAXMI PLANNERS
AND DEVELOPERS

Vaibhav Malviya
(Partner)
Add.- Tulip 633, New Minal Residency,
J. K. Road, Bhopal (M.P.).

(G-1062)

नाम परिवर्तन

मैं, अनुष्का राजपूत पुत्री कप्तान राजपूत, निवासी– ग्राम परसोन, तह. मालथोन, जिला सागर (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड मे त्रुटिवश मेरा नाम अनुष्ता राजपूत (Anushtha Rajpoot) दर्ज हो गया है, जो कि गलत है, जबकि मेरा सही नाम अनुष्का राजपूत (Anushka Rajpoot) है, जो कि मेरे कक्षा 10वीं की अंकसूची में दर्ज है, जो कि सही है. अतः प्रकाशन उपरांत मुझे मेरे सही नाम अनुष्का राजपूत (Anushka Rajpoot) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(अनुष्ता राजपूत)	**(अनुष्का राजपूत)**
(Anushtha Rajpoot)	(Anushka Rajpoot).

(G-1063)

नाम परिवर्तन

मेरा नाम विकास पिता श्री राम करन, निवासी– विलेज अमझरा, तहसील हुजूर, जमोनिया कला भोपाल, जमुनिया कलां (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम संतोष पिता श्री राम करन (SANTOSH S/o. RAM KARAN) अंकित हो गया है, जो कि गलत है. मेरे सही नाम शैक्षणिक दस्तावेजों में दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरा सही नाम विकास पिता श्री राम करन (VIKASH S/o. RAM KARAN) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(संतोष)	**(विकास)**
(SANTOSH)	(VIKASH)
	पिता– श्री राम करन
	(S/o. RAM KARAN).

(G-1064)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि हमारी फर्म मेसर्स रचना ट्रेडर्स जिसका पंजीयन क्रमांक 02/40/01/0091/21 है जिसमें भागीदार क्रमांक (1) सुखवीर सिंह ठाकूर पुत्र श्री आशाराम सिंह, निवासी– हनुमान कॉलोनी, गुना (2) श्रीमती नेहा शर्मा पत्नी श्री गिरीश शर्मा, निवासी–सिंसोदिया कालोनी, गुना (3) तृप्ति गोलारिया पत्नी श्री सौरभ शाक्य, निवासी– प्रियादर्शनी कॉलोनी, शिवपुरी थे. दिनांक 14 जुलाई 2021 को श्रीमती तृप्ति गोलारिया पत्नी श्री सौरभ शाक्य, निवासी–प्रियादर्शनी कॉलोनी, शिवपुरी स्वेच्छा से उक्त फर्म से रिटायर्ड (अलग) हो गई व इसी दिन श्रीमती रंजना ठाकुर पत्नी श्री राजीव ठाकुर, निवासी– हनुमान कॉलोनी, गुना फर्म में सम्मिलित हो गई है. दिनांक 9 अक्टूबर 2025 को उक्त फर्म में मोनिका चौरसिया पत्नी श्री राहुल चौरसिया, निवासी–मटकरी कॉलोनी, गली नं. 3, गुना फर्म में सम्मिलत हो गई है. अतः उक्त फर्म में (1) श्री सुखवीर सिंह पुत्र श्री आशाराम सिंह (2) श्रीमती नेहा शर्मा पत्नी श्री गिरीश शर्मा (3) श्रीमती रंजना ठाकुर पत्नी श्री राजीव ठाकुर (4) मोनिका चौरसिया पत्नी श्री राहुल चौरसिया इस प्रकार उक्त फर्म में चार भागीदार के रूप में रहेंगें.

मेसर्स रचना ट्रेडस

सुखवीर सिंह

पुत्र– श्री आशाराम सिंह

(भागीदार)

हनुमान कॉलोनी, गुना.

(G-1065)

नाम परिवर्तन

मुझे सोनू जोशी के नाम से जाना जाता था, अब विवाह उपरांत मैंने मेरा नाम बदलकर सीमा जोशी कर लिया है. अतः प्रकाशन उपरान्त से मुझे मेरे नए नाम सीमा जोशी पति सुनील जोशी के नाम से जाना–पहचाना, लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

(सोनू जोशी)

पिता– जगदीश कुमार जोशी

नया नाम

(सीमा जोशी)

पति– सुनील जोशी

पता– रिलायंस फ्रेश 123, शिरडीपुरम,

मन्दाकिनी कॉलोनी के पीछे, कोलार रोड,

भोपाल (म.प्र.).

(G-1066)

नाम परिवर्तन

मैं, पिंकी जोतवानी (PINKY JOTWANI) पत्नी श्री दिनेश जोतवानी (DINESH JOTWANI), मेरा नाम पिंकी जोतवानी (PINKY JOTWANI) है, जो मेरे शासकीय तथा अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में लिखा गया है, जबकि मेरे पुत्र हरप्रीत जोतवानी (HARPREET JOTWANI) के शैक्षणिक प्रमाण–पत्रों में मेरा नाम गलती से पिंकी जोतवानी (PINKY JOTWANI) के स्थान पर पूजा जोतवानी (POOJA JOTWANI) लिख गया है, जो कि गलत है. अतः मेरे पुत्र हरप्रीत जोतवानी (HARPREET JOTWANI) के शैक्षणिक प्रमाण–पत्रों में मेरा सही नाम पिंकी जोतवानी (PINKY JOTWANI) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

प्रार्थिनी

(पिंकी जोतवानी)

पत्नी – श्री दिनेश जोतवानी

पता– एल 70, सेक्टर 5, कटारा हिल्स,

हुजूर, भोपाल (म.प्र.).

(G-1067)

नाम परिवर्तन

मेरा नाम राधेश्याम उईके (RADHESHYAM UIKE) जो कि गलत है. जिसे बदलकर मैंने अपना सही नाम राधेलाल (RADHELAL) रख लिया है. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में मुझे मेरे सही नाम राधेलाल (RADHELAL) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम
(राधेश्याम उईके)
(RADHESHYAM UIKE)

नया नाम
(राधेलाल)
(RADHELAL)
आत्मज– श्री कुंवरसिंह
पता– म.नं. 41/2, मेन रोड लांगोटी, वार्ड नं. 4, लांगोटी, खण्डवा (म.प्र.).

(G-1068)

नाम परिवर्तन

मैं, इन्दर सिंह आत्मज श्री भगवत सिंह, निवासी– ग्राम निशाना, शाजापुर (म.प्र.). मेरे पुत्र का सही नाम सुरेन्द्र राजपूत (Surendra Rajput) है आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरे पुत्र का नाम सुरेश सिंह अंकित हो गया है, अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे पुत्र को उसके सही नाम सुरेन्द्र राजपूत (Surendra Rajput) के नाम से जाना–पहचाना एवं सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में मेरे पुत्र का यही नाम रहेगा.

आवेदक
(इन्दर सिंह).

(G-1069)

नाम परिवर्तन

मेरी पुत्री का नाम किरण महावर पिता रामकेलाश महावर (KIRAN MAHAVAR D/o. RAMKELASH MAHAVAR), निवासी– पोस्ट खुरी, बिन्याखेड़ी, बीया खेड़ी, ब्यावरा, राजगढ़ (म.प्र.). मेरी पुत्री के आधार कार्ड में त्रुटिवश नाम राधा महावर पिता मनोज महावर (RADHA MAHAWAR D/o. MANOJ MAHAWAR) अंकित हो गया हैं, जो कि गलत है. मेरी पुत्री का सही नाम उसके शैक्षणिक दस्तावेजों में भी दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरी पुत्री का नाम सही किरण महावर पिता रामकेलाश महावर (KIRAN MAHAVAR D/o. RAMKELASH MAHAVAR) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

आवेदक
(रामकेलाश महावर)
पुत्र– प्रभु लाल महावर.

(G-1070)

नाम परिवर्तन

मेरी पुत्री का नाम अस्मिता सिसौदिया पुत्री पंकज सिसौदिया (ASMITA SISODIYA D/o. PANKAJ SISODIYA), निवासी– ग्राम गुलखेड़ी, पोस्ट पिपलिया, रसोड़ा, करोदी, जिला राजगढ़ (म.प्र.). मेरी पुत्री के आधार कार्ड में त्रुटिवश नाम इस्मिता पुत्री पंकज सिसौदिया (ISMITA D/o. PANKAJ SISODIYA) अंकित हो गया हैं, जो कि गलत है. मेरी पुत्री का सही नाम उसके शैक्षणिक दस्तावेजों, जन्म प्रमाण–पत्र में भी दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरी पुत्री का नाम सही अस्मिता सिसौदिया पुत्री पंकज सिसौदिया (ASMITA SISODIYA D/o. PANKAJ SISODIYA) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

आवेदक
(पंकज सिसौदिया).

(G-1071)

नाम परिवर्तन

मेरे पुत्र का नाम जितेंद्र नरवान पुत्र भगवान सिंह नरवान (JITENDRA NARBAN S/o. BHAGWAN SINGH NARBAN), निवासी– ग्राम पोलाखेड़ा, पोस्ट परोलिया थाना, जीरापुर, जिला राजगढ़ (म.प्र.). मेरे पुत्र के आधार कार्ड में त्रुटिवश नाम जीतू पुत्र भगवान सिंह (JEETU S/o. BHAGWAN SINGH) अंकित हो गया हैं, जो कि गलत है. मेरे पुत्र का सही नाम उसके शैक्षणिक दस्तावेजों, जन्म प्रमाण–पत्र में भी दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे पुत्र का सही नाम जितेंद्र नरवान पुत्र भगवान सिंह नरवान (JITENDRA NARBAN S/o. BHAGWAN SINGH NARBAN) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

आवेदक

(G-1072) **(भगवान सिंह).**

नाम परिवर्तन

मेरी पुत्री का नाम राधिका सिंह पुत्री चंपा सिंह (RADHIKA SINGH D/o. CHAMPA SINGH), निवासी मकान नंबर 301, निर्मलम 3, फोलोर आशिमा रायल, सिटी, भोपाल (म.प्र.). मेरी पुत्री के आधार कार्ड में त्रुटिवश नाम नुपुर सिंह पुत्री शैलेन्द्र सिंह (NUPUR SINGH D/o. SHAILENDRA SINGH) अंकित हो गया हैं, जो कि गलत है. मेरी पुत्री का सही नाम उसके जन्म प्रमाण–पत्र में भी दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरी पुत्री का सही नाम राधिका सिंह पुत्री चंपा सिंह (RADHIKA SINGH D/o. CHAMPA SINGH) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

आवेदक

(G-1073) **(चंपा सिंह).**

नाम परिवर्तन

मेरा सही नाम रिता सस्तिया पिता आकरिया सस्तिया (RITA SASTIYA D/o. AKARIYA SASTIYA) निवासी– 17, गायनिया, फलिया, साकडी, सोण्डवा, अलीराजपुर (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम रेनटी सस्तिया पिता आकरिया (RENTI SASTIYA D/o. AKARIYA) दर्ज हो गया है. जो कि गलत है. मेरा सही नाम रिता सस्तिया पिता आकरिया सस्तिया (RITA SASTIYA D/o. AKARIYA SASTIYA) है, जो कि मेरे जन्म प्रमाण–पत्र व निर्वाचन आयोग कार्ड में भी दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरा नाम रिता सस्तिया पिता आकरिया सस्तिया (RITA SASTIYA D/o. AKARIYA SASTIYA) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(रेनटी सस्तिया)	**(रिता सस्तिया)**
(RENTI SASTIYA)	(RITA SASTIYA)
पिता– आकरिया	पिता– आकरिया सस्तिया
(D/o. AKARIYA)	(D/o. AKARIYA SASTIYA).

(G-1074)

नाम परिवर्तन

मेरा सही नाम सुखचैन सिंह पिता हरीसिंह (SUKHCHAIN SINGH S/o. HARISINGH), निवासी– 111/2, सनखेडा, ग्राम सनखेडा, बाड़ी, रायसेन (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम सुकेन्द्र सिंह पिता हरी सिंह (SUKENDRA SINGH S/o. HARI SINGH) दर्ज हो गया है, मेरा सही नाम सुखचैन सिंह पिता हरीसिंह (SUKHCHAIN SINGH S/o. HARISINGH) है. जो कि मेरे निर्वाचान आयोग कार्ड व बैंक पासबुक में दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरा सही नाम सुखचैन सिंह पिता हरीसिंह (SUKHCHAIN SINGH S/o. HARISINGH) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(सुकेन्द्र सिंह)	**(सुखचैन सिंह)**
(SUKENDRA SINGH)	(SUKHCHAIN SINGH)
पिता– हरी सिंह	पिता– हरीसिंह
(S/o. HARI SINGH)	(S/o. HARISINGH).

(G-1075)

नाम परिवर्तन

मैं, नीरज पुत्र मोती, निवासी– ग्राम मवास्या, पोस्ट तिनस्या, वेस्ट निमाड, खरगोन (म.प्र.). मेरे पुत्र के आधार कार्ड में त्रुटिवश गणेश (GANESH) नाम दर्ज हो गया है, जो कि गलत है, जबकि मेरे पुत्र के जन्म प्रमाण–पत्र एवं शैक्षणिक दस्तावेजों में सुमित राठौर (SUMIT RATHORE) नाम दर्ज है, जो कि सही है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे पुत्र के समस्त दस्तावेजों में सही नाम सुमित राठौर (SUMIT RATHORE) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

आवेदक

(नीरज)

पुत्र– मोती.

(G-1076)

नाम परिवर्तन

मैं, रानू वशिष्ठ पत्नी श्री हरीश वशिष्ठ, निवासी LIG–171, A वार्ड नं. 12, इन्दिरा नगर मंडीदीप, तहसील गौहरगंज, जिला रायसेन (म.प्र.). मेरी पुत्री दिया वशिष्ठ की कक्षा 10वीं की अंकसूची एवं स्कूल रिकॉर्ड में त्रुटिवश DIYA VASISHTHA (माता) RANI VASISHTHA (पिता) HARISH VASISHTHA दर्ज हो गया है, जो कि गलत है,. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में मेरी पुत्री के सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय समस्त दस्तावेजों में सही नाम DIYA VASHISTHA (माता) RANU VASHISTHA (पिता) HARISH VASHISTHA के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

आवेदिका

(रानू वशिष्ठ)

पत्नी– श्री हरीश वशिष्ठ.

(G-1077)

नाम परिवर्तन

मेरा नाम रचना मुकाती पिता मांगीलाल मुकाती (RACHANA MUKATI D/o. MANGILAL MUKATI) था, अतः प्रकाशन उपरान्त मुझे सपना चौधरी पति श्री त्रिलोक चौधरी (SAPANA CHOUDHARY W/o. TRILOK CHOUDHARY) के नाम से ही जानी–पहचानी जाऊंगी.

पुराना नाम	नया नाम
(रचना मुकाती)	**(सपना चौधरी)**
पिता– मांगीलाल मुकाती	पति– श्री त्रिलोक चौधरी.

(G-1078)

नाम परिवर्तन

मेरा नाम रितु गौर पिता चतुर्भुज गौर (RITU GOUR D/o. CHATURBHUJ GOUR), निवासी– बाबई, अमरावद कलां, रायसेन, बाड़ी (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश नाम गुडिया पिता चतुर्भुज (GUDIYA D/o. CHATURBHUJ) अंकित हो गया है, जो कि गलत है, मेरा सही नाम मेरे जन्म प्रमाण–पत्र व शैक्षणिक दस्तावेजों अंकसूची एवं जाति प्रमाण–पत्र में दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरा सही नाम रितु गौर पिता चतुर्भुज गौर (RITU GOUR D/o. CHATURBHUJ GOUR) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(गुडिया)	**(रितु गौर)**
(GUDIYA)	(RITU GOUR)
पिता– चतुर्भुज.	पिता– चतुर्भुज गौर
(D/o. CHATURBHUJ)	(D/o. CHATURBHUJ GOUR).

(G-1079)

नाम परिवर्तन

मेरे पुत्र का नाम आशीष सेहरिया पिता कल्लू सिंह (ASHISH SAHRIYA S/o. KALLU SINGH), निवासी– ग्राम पुरा जागिर, तहसील शमशावाद, पोस्ट आगरा, जागीर, अगरबारखेड़ा बी.ओ., विदिशा (म.प्र.). मेरे पुत्र के आधार कार्ड में त्रुटिवश नाम अशोक पिता कल्लू (ASHOK S/o. KALLU) अंकित हो गया हैं, जो कि गलत है. मेरे पुत्र का सही नाम उसके शैक्षणिक दस्तावेजों में दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे पुत्र का सही नाम आशीष सेहरिया पिता कल्लू सिंह (ASHISH SAHRIYA S/o. KALLU SINGH) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

आवेदक

(कल्लू सिंह)

पिता– चन्दन.

(G-1080)

नाम परिवर्तन

मेरे पुत्र का सही नाम नैतिक गुप्ता पिता सतीष गुप्ता (NAITIK GUPTA S/o. SATISH GUPTA) है. मेरे पुत्र के आधार कार्ड में त्रुटिवश सचिन गुप्ता पिता सतीष गुप्ता (SACHIN GUPTA S/o. SATISH GUPTA) दर्ज हो गया है, जो कि गलत है. मेरे पुत्र का सही नाम नैतिक गुप्ता पिता सतीष गुप्ता (NAITIK GUPTA S/o. SATISH GUPTA) उसके जन्म प्रमाण–पत्र में दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे पुत्र को नैतिक गुप्ता पिता सतीष गुप्ता (NAITIK GUPTA S/o. SATISH GUPTA) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

आवेदक

(सतीष गुप्ता)

आत्मज– कौशल प्रसाद

निवासी– वार्ड नं. 02, निगहरी,

पोस्ट ऑफिस निगहरी, निघरी उमरिया (म.प्र.).

(G-1081)

नाम परिवर्तन

मेरा नाम केकडिया मेडा पिता भीमा (KEKADIYA MEDA S/o. BHEEMA), निवासी– 23, कालीदेवी, ग्राम कालीदेवी, रामा झाबुआ (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम टेटिया पिता भीमा मेडा (TETIYA S/o. BHEEMA MEDA) अंकित हो गया है, जो की गलत है. मेरा सही नाम मेरे निर्वाचन आयोग कार्ड व जन्म प्रमाण–पत्र में दर्ज है. केकडिया मेडा पिता भीमा (KEKADIYA MEDA S/o. BHEEMA) व टेटिया पिता भीमा मेडा (TETIYA S/o. BHEEMA MEDA) यह दोनों नाम मेरे स्वयं के है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरा सही नाम केकडिया मेडा पिता भीमा (KEKADIYA MEDA S/o. BHEEMA) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(टेटिया)	**(केकडिया मेडा)**
(TETIYA)	(KEKADIYA MEDAR)
पिता– भीमा मेडा	पिता– भीमा
(S/o. BHEEMA MEDA)	(S/o. BHEEMA).

(G-1082)

नाम परिवर्तन

मेरी पुत्री का नाम रितवी जैन पिता दीपक जैन (RITIVI JAIN D/o. DEEPAK JAIN), निवासी– ग्राम 309, तृतीय तल गिरीराज हेरीटेज, माधव क्लब रोड, तेजंकर अस्पताल के पास, उज्जैन (म.प्र.). मेरी पुत्री के आधार कार्ड में त्रुटिवश नाम सी रितवी जैन पिता दीपक जैन (C RITIVI JAIN D/o. DEEPAK JAIN) अंकित हो गया है, जो कि गलत है, मेरी पुत्री का सही नाम उसके शैक्षणिक दस्तावेजों में दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरी पुत्री का नाम रितवी जैन पिता दीपक जैन (RITIVI JAIN D/o. DEEPAK JAIN) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

आवेदिका
(रीचा जैन)
पत्नी– दीपक जैन.

(G-1083)

नाम परिवर्तन

मेरे पुत्र का नाम पंकज पिता गिरधारी (PANKAJ S/o. GIRDHARI), निवासी– ग्राम गडवाय, पोस्ट विकरामपुर, देवास (म.प्र.). मेरे पुत्र के आधार कार्ड में त्रुटिवश नाम यश पिता गिरधारी (YASH S/o. GIRDHARI) अंकित हो गया हैं. जो की गलत है, मेरे पुत्र का सही नाम उसके जन्म प्रमाण–पत्र में दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे पुत्र का नाम पंकज पिता गिरधारी (PANKAJ S/o. GIRDHARI) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

आवेदक
(गिरधारी).

(G-1084)

नाम परिवर्तन

मैं, आभास दुवे पिता श्री पुष्पेन्द्र कुमार दुवे, निवासी– ग्राम उदयपुर, पोस्ट बरकोला, तह. अजयगढ़, जिला पन्ना (म.प्र.). पूर्व में मुझे ऋषी कुमार दुवे पिता पुष्पेन्द्र कुमार दुवे के नाम से जाना–पहचाना जाता था. अब वर्तमान में मैं, आभास दुवे पिता श्री पुष्पेन्द्र कुमार दुवे के नाम से जाना–पहचाना जाता हूँ. अतः प्रकाशन उपरान्त मुझे मेरे सही नाम आभास दुवे पिता श्री पुष्पेन्द्र कुमार दुवे के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(ऋषी कुमार दुवे)	**(आभास दुवे)**
	पिता– पुष्पेन्द्र कुमार दुवे.

(G-1085)

नाम परिवर्तन

मेरा नाम ओम प्रकाश पिता श्री दिलीप सिंह, निवासी–तूकोगंज, पोस्ट गुलावता, तहसील सारंगपुर, जिला राजगढ, तुकोगंज, गुलाव्ता, राजगढ (म.प्र.). मेरे पुत्र के आधार कार्ड में त्रुटिवश उसका नाम कृष्ण पिता प्रकाश (KRASHN S/o. PRAKASH) अंकित हो गया है, जो कि गलत है. मेरे पुत्र का सही नाम उसके जन्म प्रमाण–पत्र एवं शैक्षणिक दस्तावेजों में दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे पुत्र का नाम कृष्णा गोपाल पिता श्री ओमप्रकाश (KRISHNA GOPAL S/o. OMPRAKASH) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(कृष्ण)	**(कृष्णा गोपाल)**
(KRASHN)	(KRISHNA GOPAL)
पिता– प्रकाश	पिता– श्री ओमप्रकाश
(S/o. PRAKASH)	(S/o. OMPRAKASH).

(G-1086)

नाम परिवर्तन

मैं, टिंकू राजपूत आत्मज श्री सोनार सिंह, निवासी– ग्राम निशाना नयापुरा, शुजालपुर, जिला शाजापुर (म.प्र.). मेरा सही नाम टिंकू राजपूत (TINKU RAJPUT) है, जो कि आधार कार्ड के आलावा सभी दस्तावेजों में दर्ज है, आधार कार्ड में त्रुटीवश मेरा नाम टीनू कुमारी (Tinu Kumari) दर्ज हो गया है, जो कि गलत है. अतः प्रकाशन उपरान्त मुझे मेरे सही नाम टिंकू राजपूत (TINKU RAJPUT) के नाम से जाना–पहचाना जावे एवं भविष्य में सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(टीनू कुमारी)	**(टिंकू राजपूत)**
(Tinu Kumari)	(TINKU RAJPUT).

(G-1087)

नाम परिवर्तन

मैं, मनोज कुमार शर्मा आत्मज श्री बालाराम शर्मा, निवासी– ग्राम गोहेपुरा, सरदार नगर, जिला सीहोर (म.प्र.). मेरी पुत्री का सही नाम गायत्री शर्मा (GAYATRI SHARMA) है. आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरी पुत्री का नाम गाथरी (GATHRI) दर्ज हो गया है, जो कि गलत है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरी पुत्री को उसके सही नाम गायत्री शर्मा (GAYATRI SHARMA) के नाम से जाना–पहचाना जावेगा एवं भविष्य में सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में दर्ज किया जावे.

आवेदक

(मनोज कुमार शर्मा)

आत्मज– श्री बालाराम शर्मा.

(G-1088)

नाम परिवर्तन

मेरा नाम सौरभ मांझी पिता श्री सुरेन्द्र, निवासी– 115, मंगलेश्वर रोड, ग्वालियर लोहामण्डी एसओ, ग्वालियर (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम (SORAV MAJHI S/o. SURENDRA MANJHI) अंकित हो गया है, जो कि गलत है, मेरा सही नाम शैक्षणिक दस्तावेजों एवं निर्वाचन कार्ड तथा स्थानीय मूल निवासी प्रमाण–पत्र में दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरा नाम सौरभ मांझी पिता श्री सुरेन्द्र (SAURABH MANJHI S/o. SURENDRA) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(SORAV MAJHI)	**(सौरभ मांझी)**
(S/o. SURENDRA MANJHI)	(SAURABH MANJHI)
	पिता– श्री सुरेन्द्र
	(S/o. SURENDRA).

(G-1089)

नाम परिवर्तन

मेरा नाम कैलाश दुबे आत्मज श्री लक्ष्मी प्रसाद, निवासी– हफीसली, मोकलपुर, सागर (म.प्र.). मेरी पुत्री के आधार कार्ड में त्रुटिवश नाम (SWETA D/o. KAILASH) अंकित हो गया है, जो कि गलत है. मेरी पुत्री का सही नाम उसके जन्म प्रमाण–पत्र एवं शैक्षणिक दस्तावेजों में दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरी पुत्री का नाम शैफाली दुबे पुत्री श्री कैलाश दुबे (SHAIFALI DUBEY D/o. KAILASH DUBEY) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(SWETA)	**(शैफाली दुबे)**
(D/o. KAILASH)	(SHAIFALI DUBEY)
	पुत्री– श्री कैलाश दुबे
(G-1090)	(D/o. KAILASH DUBEY).

नाम परिवर्तन

मेरा नाम दिनेश प्रजापति पिता श्री शंकर लाल प्रजापति, निवासी–वार्ड नं. 04, सुदामा गार्डन के पास, नसरूल्लागंज, सीहोर (म.प्र.). मेरी पुत्री के आधार कार्ड में त्रुटिवश नाम शिमरन जलान्द्रे पुत्री श्री दिनेश जलान्द्रे (SHIMRAN JALANDRE D/o. DINESH JALANDRE) अंकित हो गया है, जो कि गलत है. मेरी पुत्री का सही नाम उसके जन्म प्रमाण पत्र एवं शैक्षणिक दस्तावेजों में दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरी पुत्री का नाम प्रियांशी प्रजापति पुत्री श्री दिनेश प्रजापति (PRIYANSHI PRAJAPATI D/o. DINESH PRAJAPATI) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(शिमरन जलान्द्रे)	**(प्रियांशी प्रजापति)**
(SHIMRAN JALANDRE)	(PRIYANSHI PRAJAPATI)
पुत्री– श्री दिनेश जलान्द्रे	पुत्री– श्री दिनेश प्रजापति
(D/o. DINESH JALANDRE)	(D/o. DINESH PRAJAPATI).

(G-1091)

नाम परिवर्तन

मेरी पुत्री का नाम पूनम कुशवाह पिता दलपत सिंह कुशवाह (POONAM KUSHWAH D/o. DALPAT SINGH KUSHWAH), निवासी– ग्राम थाना पोस्ट सांगुल, तहसील शमशाबाद, थाना सांगुल विदिशा (म.प्र.). मेरी पुत्री के आधार कार्ड में त्रुटिवश नाम पूना पिता दलापत सिंह (PUNA D/o. DALAPAT SINGH) अंकित हो गया हैं, जो कि गलत है. मेरी पुत्री का सही नाम उसके शैक्षणिक दस्तावेजों में भी दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरी पुत्री का नाम पूनम कुशवाह पिता दलपत सिंह कुशवाह (POONAM KUSHWAH D/o. DALPAT SINGH KUSHWAH) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(पूना)	**(पूनम कुशवाह)**
(PUNA)	(POONAM KUSHWAH)
पिता– दलापत सिंह	पिता–दलपत सिंह कुशवाह
(D/o. DALAPAT SINGH)	(D/o. DALPAT SINGH KUSHWAH).

(G-1092)

नाम परिवर्तन

मेरे पुत्र का सही नाम सिद्धार्थ गोलाईत आत्मज श्री आनंद गोलाईत, निवासी– म.नं. 4/17, 52 क्वाटर पंचशील नगर, हुजूर, सी.टी.टी नगर, भोपाल (म.प्र.). मेरे पुत्र के आधार कार्ड में त्रुटिवश नाम सिद्धार्थ गोलाईत (SIDDHARTH GOLAIT) अंकित हो गया है, जो कि गलत है. मेरे पुत्र के जन्म प्रमाण–पत्र एवं शैक्षणिक दस्तावेजों में पुत्र का सही नाम सिद्धार्थ गोलाईत (SIDDHARTH GOLAIT) दर्ज है, जो कि सही है, परन्तु माता का नाम मेघा गोलाईत (Megha Golait) दर्ज हो गया है, जो कि गलत है, जबकि मेरे पुत्र की माता का सही नाम सृष्टि गोलाईत (SRUSHTI GOLAIT) है. उनके समस्त दस्तावेजों पैन कार्ड, आधार कार्ड में सृष्टि गोलाईत दर्ज है, जो कि सही है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे पुत्र को सिद्धार्थ गोलाईत आत्मज आनंद गोलाईत (SIDDHARTH GOLAIT S/o. ANAND GOLAIT) एवं उसकी माता को सृष्टि गोलाईत पत्नी श्री आनंद गोलाईत (SRUSHTI GOLAIT W/o. ANAND GOLAIT) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(सिद्धार्थ गोलाईत)	**(सिद्धार्थ गोलाईत)**
(SIDDHARTH GOLAIT)	(SIDDHARTH GOLAIT).

(G-1093)

नाम परिवर्तन

मैं, शैलेश वर्मा पिता श्री संतोष वर्मा, निवासी– C–88/1 सांईनाथ नगर, C–सेक्टर, नियर महाबली नगर, कोलार रोड, भोपाल (म.प्र.). मेरे पुत्र का नाम जन्म प्रमाण–पत्र में शिवांश वर्मा दर्ज है. मैंने अपने पुत्र का नाम परिवर्तन कर शिवांश वर्मा के स्थान पर नैवेद्य वर्मा (NAIVEDYA VERMA) किया है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे पुत्र को भविष्य में नैवेद्य वर्मा (NAIVEDYA VERMA) के नाम से जाना–पहचाना जावे.

आवेदक

(शैलेश वर्मा)

पिता– श्री संतोष वर्मा.

(G-1094)

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मे. जे. के. डेवलपर्स, रजिस्टर ऑफ फार्म्स एवं सोसाइटी, मध्यप्रदेश में पंजीयन क्रमांक 03/27/01/0140/20 है. इसके भागीदार जीतेन्द्र उपाध्याय S/o. राजकिशोर उपाध्याय, निवासी–10/83, स्टेशन रोड, कीबे कॉलोनी, राऊ रंगवासा, इंदौर (M.P.), 12 मार्च 2021 से निवृत होकर अजय कुमार पाठक S/o.कृष्णा कुमार पाठक, निवासी–HN 230, AM, स्कीम नंबर 140, पिपलीहाना, इंदौर दिनांक 12 मार्च 2021 से फर्म, मे. जे. के. डेवलपर्स के नए साझेदार के रूप में सम्मिलित हुए हैं. दिनांक 24 मार्च 2023 से फर्म का रजिस्टर्ड पता– बी–12 सिलिकॉन सिटी, इंदौर (M.P.), से A–221–222 सिलिकॉन सिटी, इंदौर (M.P.) हो गया है.

M/s. J.K. Developers

1. Kapil Choudhary
2. Jitendra Sankhala
3. Ajay Kumar Pathak

(Partner).

(G-1095)

नाम परिवर्तन

मैं, मोहिनी अहिरवार पत्नी श्री विमल कुमार मेहरा, निवासी– एम.आई.जी. 66, डॉ. हैडगेवार कॉलोनी सांची, रायसेन (म.प्र.). मेरा नाम मोहिनी अहिरवार है, जो कि मेरे सभी शैक्षणिक अभिलेख, पहचान–पत्र तथा अन्य दस्तावेजों में अंकित है. मेरा विवाह श्री विमल कुमार मेहरा से हो गया है. विवाह के उपरांत मैंने अपना नाम बदलकर मोहिनी विमल (नया नाम) रख लिया है. अतः प्रकाशन उपरान्त मुझे ''मोहिनी अहिरवार'' के स्थान पर ''मोहिनी विमल'' (Mohini Vimal) के नाम से जाना–पहचाना, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(मोहिनी अहिरवार)	**(मोहिनी विमल).**

(G-1096)

उपनाम परिवर्तन

मैं, संचिता तिवारी पत्नी श्री सचिन शर्मा मेरा पुराना नाम संचिता तिवारी है, जिसको मैं, बदलवाना चाहती हूँ. मेरी शादी सचिन शर्मा से हो गई है. अतः प्रकाशन उपरान्त अपना सरनेम संचिता तिवारी के स्थान पर संचिता शर्मा कर लिया है. अब मुझे संचिता शर्मा के नाम से ही जाना–पहचाना जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(संचिता तिवारी)	**(संचिता शर्मा).**

(G-1097)

उपनाम परिवर्तन

मैं, सयावती बचले पत्नी श्री रामकिशन रघुवंशी मेरा पुराना नाम सयावती बचले है, जिसको मैं, बदलवाना चाहती हूँ. मेरी शादी रामकिशन रघुवंशी से हो गई है. अतः प्रकाशन उपरान्त अपना सरनेम सयावती बचले के स्थान पर सयावती रघुवंशी कर लिया है. अब मुझे सयावती रघुवंशी के नाम से जाना–पहचाना जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(सयावती बचले)	**(सयावती रघुवंशी).**

(G-1098)

उपनाम परिवर्तन

मेरी पुत्री का नाम स्नेहा राय पुत्री रमेश राय (SNEHA RAI D/o. RAMESH RAI), निवासी– ग्राम मुगलिया, रायसेन (म.प्र.). मेरी पुत्री के आधार कार्ड में त्रुटिवश नाम स्नेहलता पुत्री रमेश राय (SNEHALATA D/o. RAMESH RAI) अंकित हो गया है, जो कि गलत है. मेरी पुत्री को सही नाम उसके जन्म प्रमाण–पत्र व शैक्षणिक दस्तावेजों में दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरी पुत्री को स्नेहा राय पुत्री रमेश राय (SNEHA RAI D/o. RAMESH RAI) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(स्नेहलता)	**(स्नेहा राय)**
(SNEHALATA)	(SNEHA RAI)
	पुत्री– रमेश राय
	(D/o. RAMESH RAI).

(G-1099)

नाम परिवर्तन

मैं, चन्दर सिंह बलाई पिता नन्नूलाल बलाई, निवासी– ग्राम झाडला, पोस्ट भीलखेड़ी, तहसील शुजालपुर, जिला शाजापुर (म.प्र.). मेरी पुत्री का नाम उसके आधार कार्ड में त्रुटिवश इशिका मालवीय (Ishika Malviya) पिता चन्दर सिंह मालवीय (Chandar Singh Malviya) दर्ज हो गया है, जो कि गलत है. मेरी पुत्री का सही नाम गुंजन मालवी (GUNJAN MALVI) पिता चन्दर मालवी (CHANDAR MALVI) है, जो कि मेरी पुत्री के जन्म प्रमाण–पत्र में उसका सही नाम दर्ज है. जिसे मैं, मेरी पुत्री के आधार कार्ड/शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में दर्ज करवाना चाहता हूँ. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरी पुत्री को गुंजन मालवी (GUNJAN MALVI) पिता चन्दर मालवी (CHANDAR MALVI) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(इशिका मालवीय)	**(गुंजन मालवी)**
(Ishika Malviya)	(GUNJAN MALVI)
पिता– चन्दर सिंह मालवीय	पिता– चन्दर मालवी
(Chandar Singh Malviya)	(CHANDAR MALVI).

(G-1100)

नाम परिवर्तन

मैं, पुरन अहिरवार पिता जमना प्रसाद, निवासी– वार्ड नं. 12, गैरतगंज, जिला रायसेन (म.प्र.). मेरी पुत्री के शैक्षणिक दस्तावेजों में त्रुटिवश उसका नाम महक अहिरवार पिता पुरन अहिरवार अंकित हो गया हैं, जो कि गलत है. मेरी पुत्री का सही नाम लक्ष्मी बाई अहिरवार (LAXMI BAI AHIRWAR) पिता पुरन अहिरवार (PURAN AHIRWAR) है जो कि उसके जन्म प्रमाण–पत्र, आधार कार्ड में पुत्री का नाम व शैक्षणिक दस्तावेजों में पिता का सही नाम दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरी पुत्री का सही नाम लक्ष्मी बाई अहिरवार (LAXMI BAI AHIRWAR) पिता पुरन अहिरवार (PURAN AHIRWAR) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(महक अहिरवार)	**(लक्ष्मी बाई अहिरवार)**
	(LAXMI BAI AHIRWAR)
	पिता– पुरन अहिरवार
	(PURAN AHIRWAR).

(G-1101)

नाम परिवर्तन

मेरा नाम रईस शाह पुत्र इस्माइल शाह, निवासी– वार्ड नं. 01, ग्राम खोकरा कला, तहसील कालापीपल, जिला शाजापुर (म.प्र.). मेरे पुत्र के आधार कार्ड में त्रुटिवश नाम अरमान शाह पुत्र रईश शाह (ARMAN S/o. RAEESH SHAH) अंकित हो गया है, जो कि गलत है. मेरे पुत्र का सही नाम मुनीश शाह पुत्र रईश शाह (MUNEESH SHAH S/o. RAEESH SHAH) जो कि उसके शैक्षणिक दस्तावेजों एवं जन्म प्रमाण–पत्र में भी दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे पुत्र का सही नाम मुनीश शाह पुत्र रईश शाह (MUNEESH SHAH S/o. RAEESH SHAH) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

आवेदक

(रईश शाह).

(G-1102)

उपनाम परिवर्तन

मेरा नाम पुष्पेंद्र चढ़ार पुत्र अमोल चढ़ार (PUSHPENDRA CHADAR S/o. AMOL CHADAR), निवासी– 65, गंभीरिया, ग्राम गंभीरिया, तहसील राहतगढ़, जिला सागर (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश नाम पुष्पेन्द्र पुत्र अमोल (PUSHPENDRA S/o. AMOL) अंकित हो गया है, जो कि गलत है. मेरा सही नाम मतदाता पहचान–पत्र में भी दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरा सही नाम पुष्पेंद्र चढ़ार पुत्र अमोल चढ़ार (PUSHPENDRA CHADAR S/o. AMOL CHADAR) के नाम से जाना--पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(पुष्पेन्द्र)	**(पुष्पेंद्र चढ़ार)**
(PUSHPENDRA)	(PUSHPENDRA CHADAR)
पिता-- अमोल	पुत्र– अमोल चढ़ार
(S/o. AMOL)	(S/o. AMOL CHADAR).

(G-1103)

नाम परिवर्तन

मैं, संजय पिता गोकुलप्रसाद, निवासी-- ग्राम श्यामपुरा, पोस्ट गनियारी, थाना व तहसील नरसिंहगढ़, जिला राजगढ़ (म.प्र.). मेरी पुत्री के आधार कार्ड में त्रुटिवश उसका नाम Ravina माता दीपिका अंकित हैं, जो कि गलत है. मेरी पुत्री का सही नाम कुसुम (KUSUM) पिता संजय कुमार (SANJAY KUMAR) है. जो कि मेरी पुत्री के जन्म प्रमाण–पत्र व शैक्षणिक दस्तावेजो में दर्ज है. यह कि कुसुम (KUSUM) पिता संजय कुमार (SANJAY KUMAR) व Ravina माता दीपिका दोनों एक ही महिला मेरी पुत्री हैं. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरी पुत्री का सही नाम कुसुम (KUSUM) पिता संजय कुमार (SANJAY KUMAR) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

आवेदक

(संजय कुमार).

(G-1104)

नाम परिवर्तन

मेरा नाम मीना सूर्यवंशी पति अक्षेंद्र नाथ (MEENA SURYAVANSHI W/o. ACHHENDRA NATH), निवासी– पथरिया फाटक, नया बाजार 04, दमोह (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश नाम दमयंती सूर्यवंशी पति अक्षेंद्र नाथ (DAMYANTI SURYAVANSHI W/o. ACHHENDRA NATH) अंकित हो गया है, जो कि गलत है. मेरा नाम मीना सूर्यवंशी पति अक्षेंद्र नाथ व दमयंती सूर्यवंशी पति अक्षेंद्र नाथ दोनों एक ही व्यक्ति हैं. मेरा सही नाम मतदाता पहचान--पत्र में दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरा सही नाम मीना सूर्यवंशी पति अक्षेंद्र नाथ (MEENA SURYAVANSHI W/o. ACHHENDRA NATH) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा--पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(दमयंती सूर्यवंशी)	**(मीना सूर्यवंशी)**
(DAMYANTI SURYAVANSHI)	(MEENA SURYAVANSHI)
	पति– अक्षेंद्र नाथ
	(W/o. ACHHENDRA NATH).

(G-1105)

नाम परिवर्तन

मैं, राजेश माली आत्मज राधेश्याम, निवासी– ग्राम गनोरा, तहसील खातेगांव, जिला देवास (म.प्र.). मेरे पुत्र का सही नाम स्वयं मावर (SWAYAM MAVAR) आत्मज राजेश मावर है. आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरे पुत्र का नाम सोयम माली (SOYAM MALI) आत्मज राजेश अंकित हो गया है. अतः प्रकाशन उपरान्त मैं, अपने पुत्र का नया नाम स्वयं मावर (SWAYAM MAVAR) आत्मज राजेश मावर अंकित किया जावे एवं सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में उसका यही नाम लिखा–पढ़ा जावे.

आवेदक

(G-1106) **(राजेश माली).**

नाम परिवर्तन

मैं, अशोक वर्मा आत्मज हरिप्रसाद, निवासी– ग्राम गनोरा, तहसील खातेगांव, जिला देवास (म.प्र.). मेरी पुत्री का सही नाम वंदना वर्मा (VANDNA VERMA) आत्मज अशोक वर्मा है. उसके आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरी पुत्री का नाम झलक आत्मज अशोक अंकित हो गया है. अतः प्रकाशन उपरान्त मैं, मेरी पुत्री का नया नाम वंदना वर्मा (VANDNA VERMA) आत्मज अशोक वर्मा अंकित किया जावे एवं सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में उसका यही नाम लिखा–पढ़ा जावे.

आवेदक

(G-1107) **(अशोक वर्मा).**

नाम परिवर्तन

मैं, कंचन असरानी पत्नी डॉ. सतीश असरानी, निवासी–1233/2 डी, आयोग्य धाम के पास, भार्गव कम्पाउन्ड, नर्मदा रोड, जबलपुर (म.प्र.). विवाह के पूर्व मेरा नाम मीना असरानी था. विवाह के बाद मेरा कंचन असरानी हो गया है. अतः प्रकाशन उपरान्त सरकारी एवं गैर सरकारी दस्तावेजों में मेरा नाम कंचन असरानी अंकित किया जावे एवं कंचन असरानी के नाम से जानी–पहचानी जावे.

पुराना नाम नया नाम

(मीना असरानी) **(कंचन असरानी).**

(G-1108)

नाम परिवर्तन

मैं, कमल श्रीमल आत्मज श्री त्रिलोक चंद श्रीमल, निवासी–सी.एच.डी. 27, सुखालिया, चन्द्रगुप्त चौराहा, इन्दौर (म.प्र.). मेरे कुछ दस्तावेजों में मेरा नाम कमल कुमार श्रीमल दर्ज है. मेरा सही नाम कमल श्रीमल है. अतः प्रकाशन उपरान्त समस्त दस्तावेजों में मेरा नाम कमल श्रीमल अंकित किया जावे एवं इसी नाम से जाना–पहचाना जावे.

पुराना नाम नया नाम

(कमल कुमार श्रीमल) **(कमल श्रीमल).**

(G-1109)

नाम परिवर्तन

मैं, वीर सिंह पिता धर्मदास, निवासी– ग्राम सोडरपुर, मबई, बेगमगंज, जिला रायसेन (म.प्र.). मेरे पुत्री के आधार कार्ड में त्रुटिवश सुहाना (SUHANA) दर्ज हो गया है, जो कि गलत है, जबकि मेरे पुत्री के जन्म प्रमाण–पत्र में सुहानी लोधी (SUHANI LODHI) नाम दर्ज है, जो कि सही है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे सभी शासकीय/अशासकीय/व्यक्तिगत दस्तावेजों में सही नाम सुहानी लोधी (SUHANI LODHI) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

आवेदक

(G-1110)　　　　**(वीर सिंह).**

नाम परिवर्तन

मैं, शेर सिंह चडार पिता गोकल चड़ार, निवासी–ग्राम जमुनिया कलां, तह. गैरतगंज, जिला रायसेन (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम त्रुटिवश अभिषेक गौर (ABHISHEK GOUR) दर्ज हो गया है, जो कि गलत है, जबकि मेरे वोटर कार्ड में शेर सिंह चडार (SHER SINGH CHADAR) नाम दर्ज है, जो कि सही है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे सभी शासकीय/अशासकीय/व्यक्तिगत दस्तावेजों में सही नाम शेर सिंह चडार (SHER SINGH CHADAR) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(अभिषेक गौर)	**(शेर सिंह चडार)**
(ABHISHEK GOUR)	(SHER SINGH CHADAR).

(G-1111)

नाम परिवर्तन

मैं, बेटी बाई पति सेव लाल, निवासी– ग्राम चंदोरिया, पोस्ट चंदोरिया, तहसील बेगमगंज, जिला रायसेन (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम त्रुटिवश मनती बाई (MANTI BAI) दर्ज हो गया है, जो कि गलत है, जबकि मेरे पहचान–पत्र पर बेटी बाई (BETI BAI) नाम दर्ज है, जो कि सही है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे सभी शासकीय/अशासकीय/व्यक्तिगत दस्तावेजों में सही नाम बेटी बाई (BETI BAI) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(मनती बाई)	**(बेटी बाई)**
(MANTI BAI)	(BETI BAI).

(G-1112)

नाम परिवर्तन

मेरा नाम आशा बी पति साहीद कुरैशी (Shahid Qureshi), निवासी– म.नं.–2148, राजीव नगर, सेंट्रल स्कूल के पास, स्कूल नं. 1, मेदा मिल, भोपाल (म.प्र.). मेरी पुत्री साज़िया कुरैशी (saziya Qureshi) के जन्म प्रमाण–पत्र, शैक्षणिक दस्तावेजों एवं आधार कार्ड में पिता का नाम त्रुटिवश सईद कुरैशी एवं माता का नाम आशिया अंकित हो गया है, जो कि गलत है. सही नाम आशा बी जो कि आधार कार्ड में एवं मूल निवासी प्रमाण–पत्र में दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरी पुत्री का नाम साज़िया कुरैशी पिता सहीद कुरैशी एवं माता का नाम आशा बी के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(साजिया कुरैशी)	**(साजिया कुरैशी)**
(saziya Qureshi)	(saziya Qureshi)
माता– (आशिया)	माता– आशा बी.

(G-1113)

नाम परिवर्तन

मेरे पुत्र का नाम युक्श पटेल पुत्र अंकित पटेल (Yuksh Patel S/o. Ankit Patel), निवासी–ग्राम बिजलपुर, जिला इन्दौर (म.प्र.). मेरे पुत्र के जन्म प्रमाण–पत्र में त्रुटिवश नाम युवराज पटेल पुत्र अंकित पटेल (Yuvraj Patel S/o. Ankit Patel) अंकित हो गया है, जो कि गलत है तथा सही नाम को सभी शासकीय एवं अशासकीय दस्तावेजों में भी दर्ज किया जावे. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे पुत्र का नाम युक्श पटेल पुत्र अंकित पटेल (Yuksh Patel S/o. Ankit Patel) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा एवं दर्ज किया जावे.

आवेदक
(अंकित पटेल)
पुत्र– नरेन्द्र पटेल.

(G-1114)

नाम परिवर्तन

मैं, सदुआ आत्मज श्री गणेश,निवासी– ग्राम सारंगपुर, मुख्य मार्ग, पोस्ट कामती, बिजली पोल के पास, तहसील सोहागपुर, नर्मदापुरम (म.प्र.). मेरा नाम मेरे दस्तावेजों आधार कार्ड में त्रुटिवश सदुआ आत्मज श्री गनेश अंकित हो गया है, जिसे परिवर्तित कर मेरा सही नाम सट्टू लाल धुर्वे आत्मज श्री गनेश राम धुर्वे अंकित कराया जाना है. मेरा नाम मेरे अन्य दस्तावेजों में मेरा सही नाम सट्टू लाल धुर्वे आत्मज श्री गनेश राम धुर्वे ही अंकित है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे सही नाम सट्टू लाल धुर्वे आत्मज श्री गनेश राम धुर्वे (SATTU LAL DHURVE S/o. GANESH RAM DHURVE) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

प्रार्थी
(सट्टू लाल धुर्वे)
आत्मज– श्री गनेश राम धुर्वे.

(G-1115)

नाम परिवर्तन

मेरा नाम मलका बाथम पत्नी कल्लूराम (Malka Batham W/o. Kalluram), निवासी–हाउस नं. 538, कोलार रोड, बी–सेक्टर, सर्वधर्म कॉलोनी, हुजूर, भोपाल, कोलार रोड, भोपाल (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम मलका बाथम पत्नी जगन्नाथ बाथम (Malka Batham W/o. Jagannath Batham) अंकित हो गया है, जो कि गलत है. मेरा सही नाम मेरे प्लाट के दस्तावेजों व मेरे पति के आधार कार्ड के दस्तावेजों में भी दर्ज है तथा सही नाम को सभी शासकीय एवं अशासकीय दस्तावेजों मे भी दर्ज किया जावें तथा उक्त दोनों नाम के व्यक्ति एक ही है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरा नाम मलका बाथम पत्नी कल्लूराम (Malka Batham W/o. Kalluram) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(मलका बाथम)	**(मलका बाथम)**
(Malka Batham)	(Malka Batham)
पत्नी– जगन्नाथ बाथम	पत्नी – कल्लूराम
(W/o. Jagannath Batham)	(W/o. Kalluram).

(G-1116)

नाम परिवर्तन

मैं, सालकराम शर्मा पुत्र श्री राजेन्द्र शर्मा, निवासी– ग्राम सिलावटी, पोस्ट कपासी, जिला गुना (म.प्र.). मेरा सही नाम सालकराम शर्मा (Salakram Sharma) है, परंतु आधार कार्ड में मेरा नाम कपिल शर्मा (Kapil Sharma) अंकित हो गया है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरा सही नाम सालकराम शर्मा (Salakram Sharma) से जाना–पहचाना जाउंगा एवं मेरे सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में मेरा यहीं नाम रहेगा.

पुराना नाम	नया नाम
(कपिल शर्मा)	**(सालकराम शर्मा)**
(Kapil Sharma)	(Salakram Sharma).

(G-1117)

नाम परिवर्तन

मेरे शासकीय दस्तावेजों जैसे आधार कार्ड व अन्य में मेरा नाम राकेश कुमार सोनी (RAKESH KUMAR SONI) आत्मज श्री बैजनाथ (BAIJNATH) है मेरी सर्विस पुस्तिका में मेरा नाम राकेश कुमार (RAKESH KUMAR) आत्मज श्री बैजनाथ स्वर्णकार (BAIJNATH SWARNKAR) है, मैं, अपने नाम के गजट प्रकाशन उपरांत राकेश कुमार सोनी (RAKESH KUMAR SONI) आत्मज श्री बैजनाथ (BAIJNATH) के नाम से जाना एवं पहचाना जाऊंगा.

पुराना नाम	नया नाम
(राकेश कुमार)	**(राकेश कुमार सोनी)**
(RAKESH KUMAR)	(RAKESH KUMAR SONI)
आत्मज– श्री बैजनाथ स्वर्णकार.	आत्मज – श्री बैजनाथ
(BAIJNATH SWARNKAR)	(BAIJNATH).

(G-1118)

नाम परिवर्तन

मेरे शासकीय दस्तावेजों जैसे आधार कार्ड व अन्य में मेरा नाम बद्री प्रसाद तिवारी आत्मज श्री रामस्वरूप तिवारी है मेरी सर्विस पुस्तिका में मेरा नाम बद्री प्रसाद आत्मज श्री रामस्वरूप है, मैं, अपने नाम के गजट प्रकाशन उपरांत बद्री प्रसाद तिवारी आत्मज श्री रामस्वरूप तिवारी के नाम से जाना एवं पहचाना जाऊंगा.

पुराना नाम	नया नाम
(बद्री प्रसाद)	**(बद्री प्रसाद तिवारी)**
आत्मज– श्री रामस्वरूप	आत्मज– श्री रामस्वरूप तिवारी.

(G-1119)

नाम परिवर्तन

मैं, सखी बाई (Sakhi Bai) पत्नी मांगीलाल (Mangeelal), निवासी– म.नं. 86, बैरागढ़ खुमान, तहसील श्यामपुर, जिला सीहोर (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम राखी बाई (Rakhi Bai) पत्नी मांगीलाल (Mangilal) दर्ज है, किंतु मेरे अन्य समस्त दस्तावेजों के अनुसार मेरा सही नाम सखी बाई (Sakhi Bai) पत्नी मांगीलाल (Mangeelal) है, उपरोक्त दोनों नाम मेरे स्वयं के अर्थात एक ही व्यक्ति के हैं जो कि मैं स्वयं हूँ. अब मैं अपना नाम सखी बाई (Sakhi Bai) पत्नी मांगीलाल (Mangeelal) कराना चाहती हूँ. अतः प्रकाशन उपरान्त मुझे इसी नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(राखी बाई)	**(सखी बाई)**
(Rakhi Bai)	(Sakhi Bai)
	पत्नी– मांगीलाल
	(Mangeelal).

(G-1120)

नाम परिवर्तन

मैं, मंजीत मीना (Manjeet Meena) पुत्र मोहन मीना (Mohan Meena), निवासी–म.नं. 9, सोहागपुर, कोलार रोड, भोपाल (म.प्र.). मेरे आधार में अंग्रेजी में मेरे नाम की स्पेलिंग Mamjeet Meena S/o. Mohan अंकित है, किंतु मेरे समस्त शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों के अनुसार मेरा सही नाम Manjeet Meena S/o. Mohan Meena है. अतः प्रकाशन उपरान्त मुझे इसी नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(Mamjeet Meena)	**(Manjeet Meena)**
S/o. Mohan	S/o. Mohan Meena.

(G-1121)

नाम परिवर्तन

मैं, महेंद्र प्रताप सिंह सूर्यवंशी (Mahendra Pratap Singh Suryavanshi) पुत्र मोर सिंह, मेरी पुत्री अंशिका सूर्यवंशी (Anshika Suryavanshi) है जिसके आधार कार्ड में उसका नाम अनायरा सूर्यवंशी (Anayra Suryavanshi) पुत्री महेंद्र सूर्यवंशी (Mahendra Suryavanshi) दर्ज है, किंतु मेरी पुत्री के जन्म प्रमाण–पत्र अन्य दस्तावेजों के अनुसार उसका सही नाम अंशिका सूर्यवंशी (Anshika Suryavanshi) पुत्री महेंद्र प्रताप सिंह सूर्यवंशी (Mahendra Pratap Singh Suryavanshi) है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरी पुत्री को अंशिका सूर्यवंशी (Anshika Suryavanshi) पुत्री महेंद्र प्रताप सिंह सूर्यवंशी (Mahendra Pratap Singh Suryavanshi) के नाम से जाना–पहचाना एवं अभिलेखों में दर्ज किया जावे.

आवेदक

(महेंद्र प्रताप सिंह सूर्यवंशी)
(Mahendra Pratap Singh Suryavanshi)
पता– 62, खनपुरा सोसायटी,
तहसील नसरूल्लागंज, जिला सीहोर (म.प्र.).

(G-1122)

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि भागीदारी फर्म मेसर्स एम.एस. कंबाइन, भारतीय भागीदारी फर्म 1932 के तहत् पंजीकृत फर्म है जिसका पंजीयन क्रमांक 03/27/03/00062/14 व पंजीयन दिनांक 25–06–2014 तथा पता– 12 पारसधाम शर्मा एन्क्लेव, गिरधर नगर, इंदौर जिला इंदौर है जिसमें प्रथम विलेख दिनांक 01/04/2010 के अनुसार फर्म में 2 भागीदार 1) श्री रोशन अग्रवाल पिता श्री शंकरलाल अग्रवाल 2) श्री मनोज झिरिवाल पिता श्री बालमुकुन्द झिरिवाल थे। दिनांक 03/04/2024 को फर्म में 1 नई भागीदार 1) श्रीमती प्रीति अग्रवाल पति श्री रोशन अग्रवाल सम्मिलित हो गई तथा इसी दिन फर्म से 1 भागीदार 1) श्री रोशन अग्रवाल पिता श्री शंकरलाल अग्रवाल प्रथक हो गए अत वर्तमान में फर्म में कुल 2 भागीदार शेष हैं जो इस प्रकार हैं: 1) श्री मनोज झिरिवाल पिता श्री बालमुकुन्द झिरिवाल 2) श्रीमती प्रीति अग्रवाल पति श्री रोशन अग्रवाल है.

फर्म मेसर्स एम.एस. कंबाइन

मनोज झिरिवाल
(भागीदार).

(G-1123)

CHANGE OF NAME

It is to be informed to the general public that I, Sarad Chandra Nair S/o. Ravi Kumar Nair, presently resident of 1, Alok Nagar, Kanadia Road, Indore, (M.P.) earlier known by the name of Sharad Chandra Nair S/o. Ravi Kumar Nair, has changed to Sarad Chandra Nair S/o. Ravi Kumar Nair for all purposes. Henceforth, I shall be known as Sarad Chandra Nair S/o. Ravi Kumar Nair only.

Old Name
(Sharad Chandra Nair)
S/o. Ravi Kumar Nair

New Name
(Sarad Chandra Nair)
S/o. Ravi Kumar Nair.

(G-1124)

CHANGE OF NAME

It is to be informed to the general public that my daughter, Hruddaya Nair, D/O Sarad Chandra Nair, presently resident of 1, Alok Nagar, Kanadia Road, Indore, (M.P.) earlier known by the name of Seraa Sharad Nair, D/O Sharad Chandra Nair, has changed to Hruddaya Nair, D/O Sarad Chandra Nair for all purposes. Henceforth, she shall be known as Hruddaya Nair, D/O Sarad Chandra Nair only.

Old Name
(Seraa Sharad Nair)

New Name
(Hruddaya Nair)
D/o. Sarad Chandra Nair

(G-1125)

नाम परिवर्तन

मैं, कु. शोभना कोकजे पिता रघुनाथ कोकजे (Ku. Shobhna Kokje D/o. Raghunath Kokje) के नाम से जानी पहचानी जाती थी. शादी के बाद मेरा नाम बदलकर अब शमिका पारोलकर पति कमलाकर पारोलकर (Shamika Parolkar W/o. Kamlakar Parolkar) हो गया है तथा उपरोक्त दोनों नाम कु. शोभना कोकजे पिता रघुनाथ कोकजे (Ku. Shobhna Kokje D/o. Raghunath Kokje) तथा शमिका पारोलकर पति कमलाकर पारोलकर (Shamika Parolkar W/o. Kamlakar Parolkar) एक ही महिला अर्थात मेरे ही नाम है. जो मेरे दस्तावेजों जैसे मार्कशीट, पैन कार्ड, आधार कार्ड आदि पर दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में मुझे मेरे सही नाम शमिका पारोलकर पति कमलाकर पारोलकर (Shamika Parolkar W/o. Kamlakar Parolkar) से ही जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम
(कु. शोभना कोकजे)
(Ku. Shobhna Kokje)

नया नाम
(शमिका पारोलकर)
(Shamika Parolkar)
निवासी– 63, मेन रोड, राजेंद्र नगर,
इन्दौर (म.प्र.).

(G-1126)

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है की फर्म M/s. Sagar City Developers C/o. Dr. Santosh Kumar Rai 14, Near Shanti Vihar Colony, Rajakhedi, Makronia, सागर (म.प्र.) 470004 पंजीयन क्रमांक 06–09–01–0131–26 दिनांक 20/01/2026 है भागीदारीनामा दिनांक 13/05/2024 अनुसार फर्म में 1. Dr. Santosh Kumar Rai 2. Mr. Ramrakshpal Singh Yadav 3. Mr. Akshay Guru 4. Mr. Shantam Jain पार्टनर थे दिनांक 19/12/2025 संशोधन विलेख अनुसार उक्त फर्म से 1. Dr. Santosh Kumar Rai 2. Mr. Ramrakshpal Singh Yadav अपनी स्वेक्छा से. पृथक हो गए हैं जिसके अनुसार दिनांक 19/12/2025 से पुनर्गठित फर्म में निम्नांकित भागीदार होंगे.

1. Mr. Akshay Guru
2. Mr. Shantam Jain

M/s. Sagar City Developers
Shantam Jain
(भागीदार).

(G-1127)

आम सूचना

फर्म Maa Vaishno Devi And Company पता– 393, Civil Ward No 09, दमोह, दमोह, 470661 पंजियत फर्म जिसका पंजीयन असिस्टेंट रजिस्ट्रार फर्म्स एवं संस्थाएं सागर द्वारा पंजीयन क्रमांक 06/10/01/0092/24 दिनांक 21 दिसम्बर 2024 को किया गया था यह की इस भागीदारी फर्म में पंजीयन के समय में 1. संतोष कुमार गंगेले 2. ब्रजमोहन गंगेले पार्टनर थे जिसमे दिनांक 26/01/2026 से ब्रजमोहन गंगेले अपनी स्वेक्छा से फर्म से प्रथक हो गए हैं अतः ब्रजमोहन गंगेले का दिनांक 26/01/2026 से भागीदारी फर्म Maa Vaishno Devi And Company से किसी भी प्रकार की लेनदारी व देनदारी शेष नहीं है फर्म में दिनांक 26/01/2026 से नवीन पार्टनर विवेक कुमार नामदेव को सम्मिलित किया गया है संशोधन के पश्चात वर्तमान फर्म में दिनांक 26/01/2026 से भागीदार 1. संतोष कुमार गंगेले 2. विवेक कुमार नामदेव की भागीदारी रहेगी.

फर्म– Maa Vaishno Devi And Company
संतोष कुमार गंगेले
(भागीदार).

(G-1128)

नाम परिवर्तन

मुझे पूर्व में मीना पिता राजकुमार, निवासी–जाट मोहल्ला, नरवर, जिला उज्जैन (म.प्र.) के नाम से जाना व पहचाना जाता था. इसके पश्चात् मैंने अपना नाम महक पिता राजकुमार रख लिया है. मेरी 10वीं एवं 12वीं की अंकसूची में भी मेरा नाम महक पिता राजकुमार अंकित है. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में मुझे महक पिता राजकुमार के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(मीना)	**(महक)**
(G-1129)	पिता– राजकुमार.

नाम परिवर्तन

मैं, सुखमणी हारोड़े पति जीवनलाल, निवासी– एच.नं.– 246, परमण्डल, जिला बैतूल (म.प्र.). मेरा नाम आधार कार्ड व अन्य दस्तावेजों में त्रुटिवश ज्योति (JYOTI) पति जीवनलाल दर्ज हो गया है, जो कि मेरा घरेलू नाम है. मेरे समग्र आई.डी., शैक्षणिक दस्तावेजों एवं वोटर आई.डी. कार्ड में मेरा सही नाम सुखमणी हारोडे (SUKHMANI HARODE) पति जीवनलाल हारोड़े (JEEVANLAL HARODE) दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त मुझे सुखमणी हारोड़े (SUKHMANI HARODE) पति जीवनलाल हारोड़े (JEEVANLAL HARODE) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(ज्योति)	**(सुखमणी हारोड़े)**
(JYOTI)	(SUKHMANI HARODE)
	पति– जीवनलाल हारोड़े
(G-1130)	(JEEVANLAL HARODE).

नाम परिवर्तन

मेरा सही नाम फरीना (Fareena) है. आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम करीना (Kareena) अंकित हो गया है, जो कि गलत है, किन्तु अब मैं, अपने सही नाम फरीना (Fareena) है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में मेरा सही नाम फरीना (Fareena) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(करीना)	**(फरीना)**
(Kareena)	(Fareena).

(G-1131)

नाम परिवर्तन

मेरा सही नाम करीना (Kareena) है, आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम फरीना (Fareena) अंकित हो गया है. जो गलत है. मेरा सही नाम करीना (Kareena) है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरी सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में मेरा सही नाम करीना (Kareena) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(फरीना)	**(करीना)**
(Fareena)	(Kareena).

(G-1132)

नाम परिवर्तन

मेरी पुत्री का सही नाम प्राक्षी (PRAKSHI) पुत्री श्री धरमसिंह, निवासी–ग्राम पागंरी, बसंतपुर, नसरूल्लागंज, जिला सीहोर (म.प्र.). मेरी पुत्री के आधार कार्ड में त्रुटिवश प्राची (PRACHI) दर्ज हो गया है, जो कि गलत है. मेरी पुत्री के जन्म प्रमाण–पत्र में मेरी पुत्री का सही नाम प्राक्षी (PRAKSHI) दर्ज है. प्राची (PRACHI) एवं प्राक्षी (PRAKSHI) दोनों नाम मेरी पुत्री के है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरी पुत्री को प्राक्षी (PRAKSHI) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

आवेदक

(धरमसिंह).

(G-1133)

नाम परिवर्तन

मेरी पुत्री का सही नाम रोशनी कुशवाह पिता राजाराम है. मेरी पुत्री के आधार कार्ड में राधिका पिता राजाराम (RADHIKA D/o. RAJARAM) दर्ज हो गया है, जो कि गलत है. मेरी पुत्री का सही नाम रोशनी कुशवाह पिता राजाराम (ROSHNI KUSHWAH D/o. RAJARAM) उसके शैक्षणिक दस्तावेजों की अंकसूची में दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरी पुत्री को रोशनी कुशवाह पिता राजाराम (ROSHNI KUSHWAH D/o. RAJARAM) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

आवेदक

(राजाराम)

पिता– शिवनारायण.

(G-1134)

नाम परिवर्तन

मेरा नाम ज्योति पिता प्रकाश मुंडे है. विवाह के पश्चात् मेरा नाम ज्योति पति विनोद गवारे हो गया है. अब मैं, इसी नाम से जानी–पहचानी जाती हूँ.

पुराना नाम	नया नाम
(ज्योति)	**(ज्योति)**
पिता – प्रकाश मुंडे	पति– विनोद गवारे
	निवासी– ग्राम नाचनखेड़ा,
	तहसील एवं जिला बुरहानपुर (म.प्र.).

(G-1135)

नाम परिवर्तन

मेरा नाम झीनी पिता श्री हरिसिंह, निवासी– भूरी टेक, भूरी टेक, बोदी, खेरी सीहोर (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम जारी पिता श्री हरि सिंह (JARI D/o. HARI SINGH) अंकित हो गया है, जो कि गलत है. मेरा सही नाम शैक्षणिक दस्तावेजो एवं जन्म प्रमाण–पत्र में दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरा नाम झीनी पिता श्री हरिसिंह (JHEENI D/o. HARISINGH) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(जारी)	**(झीनी)**
(JARI)	(JHEENI)
पिता– श्री हरि सिंह	पिता– श्री हरिसिंह
(D/o. HARI SINGH)	(D/o. HARISINGH).

(G-1136)

नाम परिवर्तन

मैं, दिनेश आ. श्री रामगोपाल, निवासी– म.नं. 97, बडझिरी, सीहोर बायपास रोड, खुर्द भोपाल (म.प्र.). मेरे पुत्र का सही नाम अभिषेक प्रजापति (ABHISHEK PRAJAPATI) है, आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरे पुत्र का नाम अभी प्रजापति (ABHI PRAJAPATI) अंकित हो गया है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे पुत्र का सही नाम अभिषेक प्रजापति (ABHISHEK PRAJAPATI) के नाम से जाना–पहचाना जायेगा एवं सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में मेरे पुत्र का यही नाम मान्य रहेगा.

आवेदक

(G-1137) **(दिनेश).**

नाम परिवर्तन

मेरी पुत्री का नाम अलिशबा खान पिता मशकूर खान (ALISHBA KHAN D/o. MASHKOOR KHAN), निवासी– 72 डी, जाकिर हुसैन, वार्ड न–05, औबेदुल्लागंज, तहसील गौहरगंज, जिला रायसेन (म.प्र.). मेरी पुत्री के आधार कार्ड में त्रुटिवश नाम इरम खान पिता मो मश्कूर खान (IRAM KHAN D/o. MASHKOOR KHAN) अंकित हो गया हैं, जो कि गलत है. मेरी पुत्री का सही नाम उसके शैक्षणिक दस्तावेजों की अंकसूची व जन्म प्रमाण–पत्र में भी दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरी पुत्री का नाम अलिशबा खान पिता मशकूर खान (ALISHBA KHAN D/o. MASHKOOR KHAN) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

आवेदक

(मशकूर खान)

(G-1138) पिता– मोहम्मद मसूद खान.

नाम परिवर्तन

मैं, शिवराज पिता मोतीलाल, निवासी– ग्राम खनोटा, जिला राजगढ़ (म.प्र.). मेरे पुत्र के आधार कार्ड में त्रुटिवश उसका नाम अवधराज (Avadhraj) आत्मज बनेसिंह (Banesingh) दर्ज हो गया है, जो कि गलत है. मेरे पुत्र का सही नाम अरविंद लोधी (ARVIND LODHI) पिता शिवराज लोधी (SHIVRAJ LODHI) उसके जन्म प्रमाण–पत्र व शैक्षणिक दस्तावेजों में दर्ज है. जिसे मैं, अपने पुत्र के आधार कार्ड/शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में दर्ज कराना चाहता हूँ. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे पुत्र को अरविंद लोधी (ARVIND LODHI) पिता शिवराज लोधी (SHIVRAJ LODHI) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(अवधराज)	**(अरविंद लोधी)**
(Avadhraj)	(ARVIND LODHI)
आत्मज– बनेसिंह	पिता– शिवराज लोधी
(Banesingh)	(S/o. SHIVRAJ LODHI).

(G-1139)

नाम परिवर्तन

मैं, रामनारायण दांगी पिता गोपी लाल, निवासी– आकखेड़ी, पो. पीपल्या कलां, तहसील खिलचीपुर, जिला राजगढ़ (म.प्र.). मेरे पुत्र के आधार कार्ड में त्रुटिवश उसका नाम कन्हैयालाल आत्मजा रामनारायण (Kanhaiyalal D/o. Ramnarayan) दर्ज हो गया है, जो कि गलत है. मेरे पुत्र का सही नाम राजू दांगी (RAJU DANGI) पिता रामनारायण दांगी (RAMNARAYAN DANGI) है, जो कि उसके जन्म प्रमाण–पत्र व शैक्षणिक दस्तावेजों में दर्ज है. जिसे मैं अपने पुत्र के आधार कार्ड/शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में दर्ज कराना चाहता हूँ. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे पुत्र को राजू दांगी (RAJU DANGI) पिता रामनारायण दांगी (RAMNARAYAN DANGI) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिख–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

आवेदक

(G-1140) **(रामनारायण दांगी).**

नाम परिवर्तन

मैं, आरिफ खान पिता रफीक अहमद, निवासी– वार्ड नं. 17, कसाई मंडी, नौगांव, जिला छतरपुर (म.प्र.). मेरी पुत्री का नाम उसके स्कूल/शाला रिकार्ड में त्रुटिवश INSHA KHAN दर्ज हो गया है, जो कि गलत है. मेरी पुत्री का सही नाम हानिया खान (HANIA KHAN) पिता आरिफ खान (ARIF KHAN) है, जो कि उसके जन्म प्रमाण–पत्र, आधार कार्ड में दर्ज है. जिसे मैं, अपनी पुत्री के शैक्षणिक/अशैक्षणिक दस्तावेजों में दर्ज कराना चाहता हूँ. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरी पुत्री को हानिया खान (HANIA KHAN) पिता आरिफ खान (ARIF KHAN) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

आवेदक

(G-1141) **(आरिफ खान).**

नाम परिवर्तन

मैं, उत्कर्ष बुंदेला पिता राजकुमार बुंदेला, निवासी– डी 90, विष्णु हाईटेक सिटी, अरेरा ई 8 एक्सटेंशन, दाना पानी रोड, बावड़िया कला, तहसील हुजूर, जिला भोपाल (म.प्र.). मेरी पुत्री का नाम उसके जन्म प्रमाण–पत्र एवं आधार कार्ड में मान्या राजे बुंदेला (MANYA RAJE BUNDELA) पुत्री उत्कर्ष बुंदेला दर्ज हो गया है जिसे परिवर्तित करके मेरी पुत्री का सही नाम मानविता राजे बुंदेला (MAANVITA RAJE BUNDELA) पुत्री उत्कर्ष बुंदेला (UTKARSH BUNDELA) रख लिया है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरी पुत्री को मानविता राजे बुंदेला (MAANVITA RAJE BUNDELA) पुत्री उत्कर्ष बुंदेला (UTKARSH BUNDELA) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

आवेदक

(G-1142) **(उत्कर्ष बुंदेला).**

नाम परिवर्तन

मेरे के आधार कार्ड एवं पैन कार्ड में नाम किशन गुर्जर (KISHAN GURJAR) अंकित है. जबकि मेरा सही नाम श्रीकिशन गुर्जर (SHRIKISHAN GURJAR) है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे आधार कार्ड एवं पैन कार्ड में मेरा सही नाम श्रीकिशन गुर्जर (SHRIKISHAN GURJAR) के नाम से जाना–पहचाना, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

(किशन गुर्जर)

(KISHAN GURJAR)

नया नाम

(श्रीकिशन गुर्जर)

(SHRIKISHAN GURJAR)

आत्मज– भिकाजी गुर्जर

(S/o. BHIKAJI GURJAR)

निवासी– म.नं.–83, श्री गंगा विहार कॉलोनी,

(G-1143) जिला इन्दौर (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

मेरे पुत्र के आधार कार्ड में उसका नाम कला बाई आ. मांगीलाल वसुनिया (KALA BAI S/o. MANGILAL VASHUNIYA) अंकित है. जबकि मेरे पुत्र का सही नाम यशवंत वसुनिया आ. मांगीलाल वसुनिया (YASHWANT VASHUNIYA S/o. MANGILAL VASHUNIYA) है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे पुत्र के आधार कार्ड एवं अन्य दस्तावेजों में मेरे पुत्र का सही नाम यशवंत वसुनिया आ. मांगीलाल वसुनिया (YASHWANT VASHUNIYA S/o. MANGILAL VASHUNIYA) के नाम से जाना–पहचाना एवं दर्ज किया जावे.

आवेदक

(मांगीलाल वसुनिया)

पुत्र– श्री मड़ा वसुनिया

निवासी– ग्राम सेमलिया, तहसील बदनावर,

(G-1144) जिला धार (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

मैं, सतीश कुमार ढिवरे पिता श्री श्याम राव ढिवरे, निवासी– वार्ड नं. 10, इन्द्रानगर, गोंची तरोंदा, न्यूयार्ड, इटारसी, जिला नर्मदापुरम (म.प्र.). मेरे पुत्र के आधार कार्ड में त्रुटिवश उसका नाम काव्या ढिवरे पिता श्री सतीश कुमार ढिवरे (KAVYA DHIVARE S/o. SATISH KUMAR DHIVARE) अंकित हो गया है, जो कि गलत है. मेरे पुत्र का सही नाम उसके जन्म प्रमाण–पत्र में दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरांत मेरे पुत्र को काव्य ढिवरे पिता श्री सतीश कुमार ढिवरे (KAVY DHIVARE S/o. SATISH KUMAR DHIVARE) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

आवेदक

(सतीश कुमार ढिवरे).

(G-1145)

उपनाम परिवर्तन

मैं, कृष्ण कांत सिंह (Krishn kant Singh) पुत्र श्रीनिवास साकेत (Shrinivas Saket), निवासी– ग्राम टिकरी, थाना मड़वास, जिला सीधी (म.प्र.). मेरी कक्षा 10वीं (हाई स्कूल) की अंकसूची में अधूरा नाम कृष्ण कांत (Krishn kant) अंकित है, जबकि पूरा नाम कृष्ण कांत सिंह (Krishn kant Singh) है, जो कि मेरी 12वीं की अंकसूची में अंकित है. अतः प्रकाशन उपरान्त मुझे मेरे सही नाम कृष्ण कांत सिंह (Krishn kant Singh) पुत्र श्रीनिवास साकेत (Shrinivas Saket) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

(कृष्ण कांत)

(Krishn kant)

नया नाम

(कृष्ण कांत सिंहे)

(Krishn Kant Singh)

पुत्र– श्रीनिवास साकेत

(S/o. Shrinivas Saket).

(G-1146)

नाम परिवर्तन

मेरा पुत्र कान्हा शर्मा का नाम आधार कार्ड में त्रूटिवश कुबेर शर्मा दर्ज हो गया है, जबकि मेरे पुत्र के अन्य दस्तावेजों जन्म प्रमाण–पत्र, समग्र आई.डी., स्कूली दस्तावेजों में उसका नाम कान्हा शर्मा आ. श्री मुकेश शर्मा दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे पुत्र को सही नाम कान्हा शर्मा के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

आवेदिक

(राजकुमारी शर्मा)

पत्नी– स्व. श्री मुकेश शर्मा

निवासी– चामुण्डा चौराहा, गॉधीनगर,

इटारसी, तहसील इटारसी,

जिला नर्मदापुरम (म.प्र.).

(G-1147)

नाम परिवर्तन

मेरे पुत्र का नाम क्रस राजपूत पुत्र श्री प्रहलाद सिंह राजपूत, निवासी– रपसोल, तहसील सिरोंज, जिला विदिशा (म.प्र.) नाम हो गया है. मेरे पुत्र का सही नाम अर्पित राजपूत पुत्र श्री प्रहलाद सिंह राजपूत है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे पुत्र को क्रस राजपूत के स्थान पर अर्पित राजपूत के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

आवेदिका

(प्रियंका राजपूत)

पत्नी– स्व. प्रहलाद सिंह राजपूत.

(G-1148)

नाम परिवर्तन

मैं, श्रीमती गीता अहिरवार पत्नी श्री अर्जुन अहिरवार, निवासी– म.नं. 02, अहिरवार मोहल्ला, लहारपुर, भोपाल (म.प्र.). मेरे पुत्र के आधार कार्ड में उसका नाम शकस अहिरवार अंकित हो गया है, जो कि गलत है. मेरे पुत्र का सही नाम अमन अहिरवार है. जो कि उसकी कक्षा आठवीं की अंकसूची में अंकित है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे पुत्र को सही नाम अमन अहिरवार के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

आवेदिका

(गीता अहिरवार)

पत्नी– श्री अर्जुन अहिरवार.

(G-1149)

CHANGE OF SURNAME

I PANKAJ S/o. RADHESHYAM hereby declare that I have change my name as PANKAJ VYAS S/o. RADHESHYAM VYAS. So from now I will be known by my new name PANKAJ VYAS S/o. RADHESHYAM VYAS and in future.

Old Name	New Name
(PANKAJ)	**(PANKAJ VYAS)**
S/o. RADHESHYAM	S/o. RADHESHYAM VYAS.

(G-1150)

नाम परिवर्तन

मैं, श्रीमती प्रभा सेन पत्नी श्री बसंत सेन, निवासी– म.नं. 556, पुरानी बस्ती, राम मंदिर, बागसेवनिया, भोपाल (म.प्र.). मेरी पुत्री के आधार कार्ड में का नाम पूजा श्रीवास पिता का नाम बसंत श्रीवास अंकित हो गया है, जो कि गलत है. मेरी पुत्री का सही नाम लक्ष्मी सेन पिता बसंत सेन है. जो कि उसकी कक्षा आठवीं की अंकसूची में अंकित है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरी पुत्री का सही नाम लक्ष्मी सेन व पिता का नाम बसंत सेन के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

आवेदिका

(प्रभा सेन)

पत्नी– बसंत सेन.

(G-1151)

नाम परिवर्तन

मैं, मदन आत्मज श्री मंगल, निवासी– ग्राम आडेगांव कला, तहसील गाडरवारा, जिला नरसिंहपुर (म.प्र.). मेरे पुत्र का सही नाम अनिकेत कुमार (Aniket Kumar) है, आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरे पुत्र का नाम मंजू (Manju) अंकित हो गया है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे पुत्र का सही नाम अनिकेत कुमार (Aniket Kumar) के नाम से जाना–पहचाना जावे एवं सभी शासकीय/अर्धशासकीय दस्तावेजों में दर्ज किया जावे.

आवेदक

(मदन)

आत्मज– श्री मंगल.

(G-1152)

नाम परिवर्तन

मैं, सुंमत्राबाई पत्नि श्री खेतसिंह, निवासी–पिपलिया गोली, तहसील गौहरगंज, रायसेन (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड एवं वोटर आई.डी. कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम सुमित्रा बाई पत्नी श्री खेत सिंह (SUMITRA BAI W/o. KHET SINGH) अंकित हो गया है, जो कि गलत है. मेरा सही नाम मूल निवासी प्रमाण–पत्र में दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरांत मेरा नाम सुंमत्राबाई पत्नी श्री खेतसिंह (SUNMATRABAI W/o. KHETSINGH) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(सुमित्रा बाई)	**(सुंमत्राबाई)**
(SUMITRA BAI)	(SUNMATRABAI)
पत्नी– श्री खेत सिंह	पत्नी– श्री खेतसिंह
(W/o. KHET SINGH)	(W/o. KHETSINGH).

(G-1153)

नाम परिवर्तन

मेरा नाम मनोज मांझी पिता श्री नाथूराम मांझी, निवासी–ग्राम मुरहारी, तहसील गौहरगंज, जिला रायसेन (म.प्र.). मेरी पुत्री के आधार कार्ड में त्रुटिवश उसका नाम रोशनी पिता श्री मनोज मांझी (ROSHNI D/o. MANOJ MANJHI) अंकित हो गया है एवं शैक्षणिक अभिलेखों में पिता का नाम त्रुटिवश मनोज (MANOJ) अंकित हो गया है, जो कि गलत है. मेरी पुत्री का सही नाम उसके जन्म प्रमाण–पत्र में दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरी पुत्री को मोना पिता श्री मनोज मांझी (MONA D/o. MANOJ MANJHI) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

आवेदक

(मनोज मांझी)

पिता– श्री नाथूराम मांझी.

(G-1154)

नाम परिवर्तन

मेरा नाम रंजीतराय पिता श्री गिरधारी राय, निवासी– ग्राम चौरसा, पोस्ट हिवरखेडी, जिला छिंदवाड़ा (म.प्र.). मेरे पुत्र के आधार कार्ड में त्रुटिवश उसका नाम नक्ष राय पिता श्री रंजीत राय (NAKSH RAI S/o. RANJEET RAI) अंकित हो गया है, जो कि गलत है. मेरे पुत्र का सही नाम उसके जन्म प्रमाण–पत्र एवं शैक्षणिक दस्तावेजों में दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे पुत्र का नाम अभिराज राय पिता श्री रंजीत राय (ABHIRAJ RAI S/o. RANJEET RAI) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

आवेदक

(रंजीतराय).

(G-1155)

नाम परिवर्तन

मैं, गोलू लोधी आत्मज श्री जमना प्रसाद, निवासी– वार्ड क्र. 3 राताताालाई, तहसील सांची, जिला रायसेन (म.प्र.). मेरी पुत्री का सही नाम वैष्णवी लोधी (VAISHNAVI LODHI) है, आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरी पुत्री का नाम गुड्डी लोधी अंकित हो गया है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरी पुत्री को अपने सही नाम वैष्णवी लोधी (VAISHNAVI LODHI) के नाम से जाना–पहचाना जावे एवं सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में यही नाम दर्ज किया जावे.

आवेदक

(गोलू लोधी).

(G-1156)

नाम परिवर्तन

मेरे समस्त दस्तावेजों में मेरा नाम संजय चौहान है एवं जन्म प्रमाण–पत्र एवं अंकसूची में भी मेरा नाम संजय चौहान अंकित है. त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड में मेरा गलत नाम संजू चौहान (Sanju Chohan) का राजपत्र दिनांक 29 अगस्त 2025 को प्रकाशित में अंग्रेजी में टाइपिंग त्रुटि हो जाने के कारण अंकित हो गया था. अतः आज से मुझे संजय चौहान (SANJAY CHOHAN) के नाम से जाना जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(संजू चौहान)	**(संजय चौहान)**
(G-1157)	(SANJAY CHOHAN).

नाम परिवर्तन

मेरा नाम राजपाल सिंह यादव पिता श्री लाल साहब यादव, निवासी– 201/G2, होशंगाबाद रोड, सहारा ई स्टेट छान, 11 मिल, हुजूर, भोपाल (म.प्र.). मेरे पुत्र के आधार कार्ड में त्रुटिवश नाम हेमंत यादव (Hemant Yadav) अंकित हो गया है, जो कि गलत है. मेरे पुत्र का सही नाम विवान यादव (Vivaan Yadav) जो उसके जन्म प्रमाण–पत्र में दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे पुत्र का नाम विवान यादव (VIVAAN YADAV) पिता श्री राजपाल सिंह यादव (RAJPAL SINGH YADAV) पुत्र लाल साहब यादव (S/o. Lal Sahab Yadav) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

आवेदक

(राजपाल सिंह यादव)

(G-1158) पिता– लाल साहब यादव.

नाम परिवर्तन

मैं, रोहित बिसे पुत्र श्री नारायण बिसे, निवासी–71, रुस्तम का बगीचा मालवा मिल, वार्ड नंबर 1, इंदौर (म.प्र.). मेरे पुत्र का नाम अंकसूचियों तथा जन्म प्रमाण–पत्र में रिषभ बिसे (Rishabh Bise) दर्ज है, जो कि सही है. जबकि भूलवश आधार कार्ड में नाम रिशव (Risav) दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे पुत्र के आधार कार्ड में नाम रिशव Risav से परिवर्तित कर रिषभ बिसे (Rishabh Bise) दर्ज किया जावे.

आवेदक

(रोहित बिसे)

(G-1159) पिता– नारायण बिसे.

नाम परिवर्तन

मेरा सही नाम SHAWAN SINGH YADAV पुत्र श्री BARE LAL है, जो कि मेरे समस्त मार्कशीटों में दर्ज है, जबकि त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम SEVAN दर्ज हो गया है, जो कि गलत है. अतः प्रकाशन उपरान्त मुझे मेरे सही नाम SHAWAN SINGH YADAV पुत्र श्री BARE LAL के नाम से जाना–पहचाना व लिखा–पढ़ा जावे एवं सभी शासकीय, अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में मान्य किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(SEVAN)	**(SHAWAN SINGH YADAV).**
	पता– मुंडला, मुन्देला, विदिशा,
(G-1160)	जिला विदिशा (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

मैं, अशोक कुमार अग्रवाल (ASHOK KUMAR AGRAWAL) पुत्र श्री पन्ना लाल अग्रवाल, निवासी– C–14, द्वारिकापुरी, साँई बाबा मंदिर के पास, खेड़ापति कॉलोनी, गिर्द, ग्वालियर (म.प्र.). मेरे 10वीं एवं 12वीं की अंकसूची व अन्य दस्तावेजों में मेरा सही नाम अशोक कुमार अग्रवाल है. मेरे आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट एवं म्यूचल फण्ड आदि में मेरा नाम अशोक अग्रवाल त्रुटिवश अंकित हो गया है. अशोक कुमार अग्रवाल और अशोक अग्रवाल दोनों नाम मेरे यानी एक ही व्यक्ति के हैं. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे शासकीय, अर्द्धशासकीय, दस्तावेजों में मुझे अशोक कुमार अग्रवाल के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(अशोक अग्रवाल)	**(अशोक कुमार अग्रवाल)**

(G-1161)

नाम परिवर्तन

मैं, तनुष्का गुर्जर (TANUSHKA GURJAR), निवासी– ग्राम अलापुर, आर.के. पुरी, ग्वालियर (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम तनु (TANU) त्रुटिवश अंकित हो गया है, जो कि गलत है. जबकि मेरा सही नाम तनुष्का गुर्जर (TANUSHKA GURJAR) है. जो कि मेरे अंकसूची, समग्र आई.डी., जाति प्रमाण–पत्र आदि दस्तावेजों में अंकित है. जो कि सही है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरा सही नाम तनुष्का गुर्जर (TANUSHKA GURJAR) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

प्रार्थिनी

(तनुष्का गुर्जर).

(G-1162)

उपनाम परिवर्तन

मैं, रिया रजक पुत्री लल्लन रजक पत्नी राजा बसोर, निवासी– वार्ड क्र. 24, बसोर मोहल्ला, हरनामपुर, मैहर, थाना व तहसील मैहर, जिला मैहर (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम रिया रजक पुत्री ललन रजक दर्ज है, जबकि मेरा विवाह राजा बसोर के साथ हुआ है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरा नाम रिया रजक पुत्री ललन रजक के स्थान पर रिया बसोर पत्नी राजा बसोर के नाम से जाना–पहचाना, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(रिया रजक)	**(रिया बसोर)**
पुत्री– ललन रजक	पत्नी– राजा बसोर.

(G-1163)

नाम परिवर्तन

मेरा नाम जामवती पत्नी श्री नाथूराम, निवासी–75, पाटनी, तहसील बाबई, जिला होशंगाबाद (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम श्याम बती बाई (SHYAM BATI BAI) अंकित हो गया है, जो कि गलत है. मेरा सही नाम वोटर आई.डी. कार्ड एवं बैंक पासबुक में दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरा सही नाम जामवती पत्नी श्री नाथूराम (JAMAVATI W/o. NATHURAM) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(श्याम बती बाई)	**(जामवती)**
(SHYAM BATI BAI)	(JAMAVATI)
	पत्नी– श्री नाथूराम
	(W/o. NATHURAM).

(G-1164)

नाम परिवर्तन

मेरा नाम प्रकाश कुमार पिता श्री छुट्टन लाल, निवासी– रेलवे कॉलोनी, बेरछा, शाजापुर (म.प्र.). मेरे पुत्र के आधार कार्ड में त्रुटिवश उसका नाम खनक पिता प्रकाश (KHANAK S/o. PRAKASH) अंकित हो गया है, जो कि गलत है. मेरे पुत्र का सही नाम उसके जन्म प्रमाण–पत्र में दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे पुत्र का सही नाम कार्तिक रायकवार पिता श्री प्रकाश कुमार (KARTIK RAYKWAR S/o. PRAKASH KUMAR) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

आवेदक

(प्रकाश कुमार)

पिता– छुट्टन लाल.

(G-1165)

नाम परिवर्तन

मेरा नाम शांति बाई पति सदाराम, निवासी– ग्राम तरावली ई., रायसेन (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम शांता बाई पाल पत्नी श्री सदाराम पाल (SHANTA BAI PAL W/o. SADARAM PAL) अंकित हो गया है, जो कि गलत है. मेरा सही नाम वोटर आई.डी. में दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरा नाम शांति बाई पत्नी श्री सदाराम (SHANTI BAI W/o. SADARAM) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(शांता बाई पाल)	**(शांति बाई)**
(SHANTA BAI PAL)	(SHANTI BAI)
पत्नी– श्री सदाराम पाल	पत्नी– सदाराम
W/o. SADARAM PAL	(W/o. SADARAM).

(G-1166)

नाम परिवर्तन

मैं, महेन्द सिंह पिता नारायण सिंह, निवासी– ग्राम कोहनिया, जिला रायसेन (म.प्र.). मेरे पुत्र के आधार कार्ड में उसका नाम त्रुटिवश हरिकृष्णा (HARIKRISHNA) दर्ज हो गया है, जो कि गलत है, जबकि मेरे पुत्र के जन्म प्रमाण–पत्र में कृष्ण (KRISHNA) नाम दर्ज है, जो कि सही है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे पुत्र के सभी शासकीय/अशासकीय/व्यक्तिगत दस्तावेजों में सही नाम कृष्ण (KRISHNA) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

आवेदक

(महेन्द सिंह)

पिता– नारायण सिंह.

(G-1167)

नाम परिवर्तन

मैं, मनजीत कौर (पत्नी) भूपेंदर सिंह, (पुत्री) श्याम सिंह अरोरा, निवासी– 03/53, नीलकंठ कॉलोनी, गुरूद्वारा के पास, ईदगाह हिल्स, भोपाल (म.प्र.). मेरे कुछ दस्तावेजों में मेरा नाम मनजीत कौर सचदेवा (MANJEET KAUR SACHDEVA) दर्ज है, जबकि मेरे अन्य दस्तावेजों में मेरा नाम मनजीत कौर (MANJEET KAUR) दर्ज है, उक्त दोनों नाम मुझ एक ही महिला के हैं, जो कि मेरे अलग–अलग दस्तावेजों में दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में मेरे सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय/व्यक्तिगत दस्तावेजों में सही नाम मनजीत कौर (MANJEET KAUR) के नाम से जाना–पहचाना व लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(मनजीत कौर सचदेवा)	**(मनजीत कौर)**
(MANJEET KAUR SACHDEVA)	(MANJEET KAUR).

(G-1168)

नाम परिवर्तन

मैं, संजू चौहान आ. श्री मेघराज सिंह, निवासी–म.नं. 144, वार्ड नं.04, राधा कृष्णा मंदिर के पास, पुरानी हवेली, मण्डीदीप, तह. गौहरगंज, जिला रायसेन (म.प्र.). मेरे द्वारा इण्डियन औवरसिस बैंक शाखा मण्डीदीप में खाता है. उक्त बैंक खाते में मेरा नाम संजय एवं पिता जी का नाम मेघराज जैन लिखा गया है, जो कि मेरे पूर्व के दस्तावेजों के आधार पर दर्ज हो गया है. मेरे द्वारा अपने सभी दस्तावेजों में अपना नाम संशोधन करा लिया गया है तथा मेरे आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राईविंग लाईसेंस, बैंक खाता में मेरा नाम संजू चौहान पिता का नाम मेघराज सिंह दर्ज है, जो कि सही है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरा नाम संजू चौहान पिता श्री मेघराज सिंह (SANJU CHAUHAN S/o. MEGHRAJ SINGH) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(संजय)	**(संजू चौहान)**
(SANJAY)	(SANJU CHAUHAN)
पिता– मेघराज जैन	पिता– मेघराज सिंह
(S/o. MEGHRAJ JAIN)	(S/o. MEGHRAJ SINGH).

(G-1169)

नाम परिवर्तन

पूर्व में मेरा नाम सागर तोमर पिता दिनेश तोमर (SAGAR TOMAR S/o. DINESH TOMAR) एवं करन सिंह पिता रामहेत सिंह (KARAN SINGH S/o. RAMHET SINGH) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा जाता था. जो मेरे दस्तावेजों में अंकित हो गया है, उक्त दोनों नाम मेरे अर्थात् एक व्यक्ति के ही नाम हैं. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरा सही नाम करन सिंह पिता रामहेत (KARAN SINGH S/o. RAMHET) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा एवं मेरे सभी शासकीय व अशासकीय दस्तावेजो में मेरे नाम को दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(सागर तोमर)	**(करन सिंह)**
(SAGAR TOMAR)	(KARAN SINGH)
पिता– दिनेश तोमर	पिता– रामहेत
(S/o. DINESH TOMAR)	(S/o. RAMHET)
	निवासी– ग्राम बडेरा फुटकर, मुरार, ग्वालियर, जिला ग्वालियर (म.प्र.).

(G-1170)

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स M/S. PRATHVI AGRO TECH पता– NH–59, साई मंदिर के पास, इन्दौर रोड हरदा जिसका फर्म एंड सोसाइटी कार्यालय में पंजीयन क्रमांक 01–08–002–0134–23 दिनांक 08/08/2023 को पंजीयत की गई थी. जिसमें दो भागीदार (1) कपिल जाट पिता श्री रामभरोस जाट (2) दिनेश जाट पिता श्री रामभरोस जाट थे, अब पार्टनरशिप में दिनांक 12/08/2025 को एक पार्टनर कपिल जाट पिता श्री रामभरोस जाट अपनी स्वेच्छा से फर्म से पृथक् हो रहे हैं और इसी दिन नए पार्टनर के रूप में श्री रामभरोस जाट पिता श्री जगदीश जाट सम्मिलित हो रहे हैं, दिनांक 12/08/2025 के बाद फर्म में दो पार्टनर (1) दिनेश जाट श्री रामभरोस जाट (2) रामभरोस जाट पिता श्री जगदीश जाट रहेंगे.

M/S. PRATHVI AGRO TECH

दिनेश जाट

(भागीदार).

(G-1171)

नाम परिवर्तन

मेरा नाम आशालता उपाध्याय पत्नी विष्णु (Ashalata Upadhyay W/o. Vishnu), निवासी–77 पिपरिया तेवर, तेवर त्रिपुरी जबलपुर, जबलपुर (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश नाम लता पत्नी विष्णु (Lata W/o. Vishnu) अंकित हो गया है, जो कि गलत है. मेरा सही नाम मेरे वोटर आई.डी. व केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के दस्तावेजों में भी दर्ज है तथा सही नाम को सभी शासकीय एवं अशासकीय दस्तावेजों में भी दर्ज किया जावे. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरा सही नाम आशालता उपाध्याय पत्नी विष्णु (Ashalata Upadhyay W/o. Vishnu), के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(लता)	**(आशालता उपाध्याय)**
(Lata)	(Ashalata Upadhyay)
	पत्नी– विष्णु
	(W/o. Vishnu).

(G-1172)

नाम परिवर्तन

मैं, राजकुमार रघुवंशी पुत्र उमकार रघुवंशी, निवासी– ग्राम उकाबाद, जिला गुना (म.प्र.). मेरे पुत्र के आधार कार्ड में त्रुटिवश शिवम रघुवंशी (SHIVAM RAGHUWANSHI) नाम दर्ज हो गया है, जो कि गलत है. जबकि मेरे पुत्र के शैक्षणिक दस्तावेजों में नाम सही दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में मेरे पुत्र के सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय/व्यक्तिगत दस्तावेजों में सही नाम शिवकुमार रघुवंशी (SHIVKUMAR RAGHUWANSHI) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

आवेदक

(राजकुमार रघुवंशी)

पुत्र– उमकार रघुवंशी.

(G-1173)

नाम परिवर्तन

मैं, बनवारी पुत्र छोटे, निवासी– ग्राम बारा, परसोटा, मुरैना (म.प्र.). मेरे पुत्र के आधार कार्ड, समग्र आई.डी. दस्तावेजों में मेरे पुत्र का नाम BEER SINGH बीर सिंह पुत्र बनवारी त्रुटिवश अंकित हो गया है, जो कि गलत है. जबकि मेरे पुत्र का सही नाम अंग्रेजी में VEER SINGH वीर सिंह पुत्र बनवारी है, जो कि मेरे पुत्र की अंकसूची, मूल निवासी, जाति प्रमाण–पत्र दस्तावेजों में अंकित है, जो कि सही है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे पुत्र का सही नाम VEER SINGH वीर सिंह पुत्र बनवारी के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

आवेदक

(बनवारी).

(G-1174)

नाम परिवर्तन

मैं, कालूराम पिता खुशीलाल, निवासी– वार्ड नं. 17, उचेरा जमुनिया, पोस्ट सोडरपुर, तह. सिलवानी, जिला रायसेन (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम त्रुटिवश वीरेंद्र (VEERENDRA) दर्ज हो गया है, जो कि गलत है. जबकि मेरे वोटर कार्ड पर कालूराम (KALURAM) नाम दर्ज है, जो कि सही है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे सभी शासकीय/अशासकीय/व्यक्तिगत दस्तावेजों में सही नाम कालूराम (KALURAM) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(वीरेंद्र)	**(कालूराम)**
(VEERENDRA)	(KALURAM).

(G-1175)

नाम परिवर्तन

पूर्व में मेरा नाम तैय्यब हुसैन पिता इब्राहीम खान (TAIYYAB HUSEN S/o. EBRAHIM KHAN), निवासी– 150 सुमति नगर, जे. के. मेमोरियल विद्यालय के पास, आजाद नगर, इन्दौर (म.प्र.) के नाम से जाना एवं पहचाना जाता था. आज दिनाँक से मैं तैय्यब हुसैन बनारसी पिता इब्राहीम खान (TAIYYAB HUSSAIN BANARSI S/o. IBRAHIM KHAN) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(तैय्यब हुसैन)	**(तैय्यब हुसैन बनारसी)**
(TAIYYAB HUSEN)	(TAIYYAB HUSSAIN BANARSI)
पिता– इब्राहीम खान	पिता– इब्राहीम खान
(S/o. EBRAHIM KHAN)	(S/o. IBRAHIM KHAN).

(G-1176)

नाम परिवर्तन

मैं, रामचंद्र दत्तात्रेय तेलंग पिता दत्तात्रेय नरहरी तेलंग, निवासी– म.नं. आर.52, शक्ति नगर, गुलाब सिंह वार्ड जबलपुर (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम आर.डी. तेलंग लिखा है, जो कि गलत है. जबकि मेरे पैन कार्ड एवं बैंक एवं अन्य दस्तावेजों में मेरा नाम रामचंद्र दत्तात्रेय तेलंग दर्ज है, जो कि सही है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे दस्तावेजों आधार कार्ड एवं मेरे अन्य समस्त दस्तावेजों में मेरा नाम रामचंद्र दत्तात्रेय तेलंग के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम
(आर.डी. तेलंग)

नया नाम
(रामचंद्र दत्तात्रेय तेलंग)
(RAMCHANDRA DATTATRAY TELANG)
पिता– दत्तात्रेय नरहरी तेलंग.

(G-1177)

उपनाम परिवर्तन

मेरा नाम गोपाल दास बाथम पुत्र भोला राम बाथम (GOPAL DAS BATHAM S/o. BHOLA RAM BATHAM), निवासी– मकान नंबर 3/11, सौरभ कॉलोनी, चांदबढ़, भोपाल (म.प्र.). मेरी सेवा पुस्तिका में त्रुटिवश नाम गोपाल दास पुत्र भोला राम बाथम (GOPAL DAS S/o. BHOLA RAM BATHAM) अंकित हो गया है, जो कि गलत है. मेरा सही नाम आधार कार्ड, पैन कार्ड में भी दर्ज है. यह दोनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरा नाम गोपाल दास बाथम पुत्र भोला राम बाथम (GOPAL DAS BATHAM S/o. BHOLA RAM BATHAM) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम
(गोपाल दास)
(GOPAL DAS)

नया नाम
(गोपाल दास बाथम)
(GOPAL DAS BATHAM)
पुत्र– भोला राम बाथम
(S/o. BHOLA RAM BATHAM).

(G-1178)

नाम परिवर्तन

मैं, श्यामा तिवारी पुत्री स्व. केशव प्रसाद तिवारी, निवासी– म.नं. 1649, कृपाल चौक, गुप्तेश्वर, जबलपुर जिला जबलपुर (म.प्र.). मेरे शैक्षणिक दस्तावेजों में दर्ज है, जो कि सही है तथा मेरे पिता केशव प्रसाद तिवारी के सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम तिज्जु तिवारी है, तथा मेरे पति से मेरे विवाह विच्छेद के उपरांत जारी डिक्री में मेरा नाम शमा उर्फ अपर्णा शर्मा दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त मैं अपने पिता के सर्विस रिकार्ड एवं न्यायालय द्वारा विवाह विच्छेद की जारी डिक्री में अपना नाम श्यामा तिवारी नाम दर्ज कराना चाहती हूँ.

पुराना नाम
(तिज्जू तिवारी/शमा उर्फ अपर्णा शर्मा)

नया नाम
(श्यामा तिवारी).

(G-1179)

नाम परिवर्तन

मैं, शीतल चंदेल पत्नी श्री धीरेन्द्र चंदेल, निवासी–वार्ड नं. 06, नियर ओल्ड फिश मार्केट, दशहरा मैदान, सब्जी मण्डी के पास, रामगंज, होशंगाबाद (म.प्र.). मेरी पुत्री तन्वी धीरेन्द्र चंदेल (TANVI DHEERENDRA CHANDEL) है. त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड में नाम तन्वी चंदेल दर्ज हो गया है. मेरी पुत्री का सही नाम उसके जन्म प्रमाण–पत्र एवं अंकसूचियों में दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में मेरी पुत्री का सही नाम तन्वी धीरेन्द्र चंदेल (TANVI DHEERENDRA CHANDEL) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

आवेदिका
(शीतल चंदेल)
पत्नी– श्री धीरेन्द्र चंदेल.

(G-1180)

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय, पंजीयक, लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी, बागली, जिला देवास, मध्यप्रदेश

बागली, दिनांक 22 जनवरी 2026

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 तीस (95) की धारा 5(2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम, 1963 नियम 5(1) के अंतर्गत]

क्र. 292–ट्रस्ट–2026.– आवेदक ''श्री जिनवरम न्यास'' पता– 32 महावीर मार्ग, वार्ड नंबर 13, हाटपीपल्या, जिला देवास, मध्यप्रदेश द्वारा ''श्री जिनवरम न्यास'' का मध्यप्रदेश का पब्लिक एक्ट की धारा 4 (2) के अंतर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन–पत्र प्रस्तुत किया है.

अतः, सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है, कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी संपत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के संबंध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात 30 दिन के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्तयार के माध्यम से आपत्ति दो प्रति में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं.

निश्चित अवधि के उपरान्त प्राप्त आपत्तियों / दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगाः–

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल–चल संपत्ति का विवरण)

1. ट्रस्ट का नाम	–	''श्री जिनवरम न्यास''
2. कार्यालय का पता	–	32 महावीर मार्ग, वार्ड नंबर 13, हाटपीपल्या, जिला देवास (म.प्र.)
3. चल–संपत्ति	–	27,000 / – (अक्षरी रुपये सत्ताईस हजार मात्र)
4. अचल–संपत्ति	–	निरंक

आज दिनांक 22 जनवरी 2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पदमुद्रा से प्रसारित किया गया.

(G-1181) **शिवम यादव,** अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक.

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, लोक न्यास, सोहागपुर, जिला शहडोल, मध्यप्रदेश

सोहागपुर, दिनांक 08 जनवरी 2026

प्रारुप क्रमांक–4

क्र. अ.वि.अधि–न्यास–000–बी–113–2025–26.– यतः कि श्री देवकीनन्दन खण्डेलिया, शक्तिधाम मंदिर, राव कालोनी, शहडोल, मध्यप्रदेश व्दारा देवकी नंदन खण्डेलिया निज न्यास श्री राणी शक्ति दादी जी, मंदिर ट्रस्ट, वार्ड नम्बर 13, शहडोल मध्यप्रदेश को लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा 4 के अन्तर्गत एक आवेदन एवं संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट संपत्ति के लिए लोक न्याय के रूप में पंजीयन किये जाने के लिए आवेदन किया है, एतद्द्वारा राजपत्र मे प्रकाशन हेतु सूचना– पत्र दिया जाता है कि कथित आवेदन–पत्र अधोहस्ताक्षरी के समक्ष दिनांक 24 जनवरी 2026 को समय 10.30 बजे मेरे न्यायालय में विचार में लिया जायेगा.

अतः, तत्संबंध में किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुए कथित न्यास या सम्पत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति को इस सूचना–पत्र के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करें और मेरे समक्ष उपरोक्त

तारीख को व्यक्तिशः अथवा अभिकर्ता, अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित हो. उपरोक्त अवधि के अवासान के उपरान्त प्राप्त आपत्तियों पर कोई विचार नही किया जावेगाः—

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता व संपत्ति का विवरण)

1. लोक न्यास का नाम और पता	—	देवकीनन्दन खण्डेलिया, निज न्यास श्री राणी शक्ति दादी जी, मंदिर ट्रस्ट, वार्ड नम्बर 13, शहडोल (म.प्र.).
2. अचल संपत्ति का विवरण	—	ग्राम शहडोल की आरजी खसरा नम्बर 1922/3 जुज रकबा 2462 अर्थात 0.022$^{3/4}$.
3. चल संपत्ति	—	निल
4. उद्देश्य	—	पूजा एवं संस्कृति का प्रचार, मंदिर के कार्यक्रम का आयोजन, धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन.
5. ट्रस्ट का कार्य क्षेत्र	—	सम्पूर्ण मध्यप्रदेश राजस्व सीमा.

अतः आज दिनांक 08 जनवरी 2026 को मेरे हस्ताक्षर व पदमुद्रा से जारी किया गया.

(G-1182) **अमृता गर्ग,** अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक.

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, रतलाम (शहर), मध्यप्रदेश

रतलाम, दिनांक 15 जनवरी 2026

फार्म--4

{नियम 5(1) देखिये}

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 की धारा 4(2) के तहत्]

क्र. 79—आर—1—26—प्र.क्र. 0004—बी—113(1)—2025—26.— आवेदक निर्मल कटारिया (कोषाध्यक्ष), निवासी— 65, वेदव्यास कॉलोनी, रतलाम एवं अन्य 06 द्वारा मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम की धारा 4 के अन्तर्गत एक संयुक्त आवेदन—पत्र प्रस्तुत कर ''श्री केसरीनन्दन सेवा न्यास रतलाम'' जिसके कार्यालय का पता— 65, वेदव्यास कॉलोनी, रतलाम पर रहेगा के नाम से नवीन ट्रस्ट का पंजीयन किये जाने को निवेदन किया गया है. जिसकी सुनवाई दिनांक 16 फरवरी 2026 को नवीन कलेक्टोरेट भवन, महू—नीमच रोड के कक्ष क्रमांक 5 में की जावेगी.

अतः, सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि इस संबंध में किसी को वैधानिक आपत्ति हो तो वह प्रकरण में नियत दिनांक 16 फरवरी 2026 को या इसके पूर्व इस न्यायालय में न्यायालयीन समय पर उपस्थित होकर अपनी आपत्ति पेश कर सकते हैं. नियत अवधी पश्चात् प्राप्त आपत्ति पर विचार न करते हुए प्रकरण में नियमानुसार आगामी कार्यवाही की जावेगी :—

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम, पता तथा संपत्ति का विवरण)

1. न्यास का पूरा नाम व पता	--	''श्री केसरीनन्दन सेवा न्यास, रतलाम'' कार्यालय का पता— 65, वेदव्यास कॉलोनी, रतलाम
2. अचल संपत्ति	—	निरंक
3. चल संपत्ति	—	नगद धनराशि 35,000/— रुपये

(G-1183) **आर्ची हरित,** रजिस्ट्रार.

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी, रघुराजनगर (नगरीय) एवं पंजीयक, लोक न्यास, जिला सतना, मध्यप्रदेश

सतना, दिनांक 13 जनवरी 2026

प्रारुप क्रमांक – 4

[नियम 5(1) देखें]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) और मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1962 के नियम 5(1) के द्वारा]

लोक न्यासों के पंजीयक सतना जिला के समक्ष,

यतः कि श्री मोती लाल गोयल पिता रामेश्वर अग्रवाल (गोयल), निवासी– प्रभात बिहार कालोनी, सतना, जिला सतना (म.प्र) में मध्यप्रदेश लोकन्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा 4 के अंतर्गत एक आवेदन–पत्र अनुसूची मे विनिर्दिष्ट सम्पत्ति के लिए लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किये जाने के लिए आवेदन किया है, एतद्द्वारा सूचना–पत्र दिया जाता है कि कथित आवेदन पर दिनांक 13 फरवरी 2026 को मेरे न्यायालय में विचार मे लिया जाएगा.

किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुए कथित न्यास या सम्पति में हितबद्ध कोई व्यक्ति को इस सूचना–पत्र के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिए और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जाएगाः–

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता व सम्पति का विवरण)

1. न्यास का नाम	–	श्री अग्रसेन मारवाडी सेवा ट्रस्ट
2. न्यास का पता	–	हरियाणा भवन, पन्ना नाका, सिविल लाइन, सतना, तहसील रघुराजनगर, सतना, जिला सतना, मध्यप्रदेश
3. अचल सम्पत्ति	–	निरंक
4. चल सम्पति	–	11,000 / – रुपये.

प्रारुप क्रमांक – 4

[नियम 5(1) देखें]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) और मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1962 के नियम 5(1) के द्वारा]

लोक न्यासों के पंजीयक सतना जिला के समक्ष,

अतः, मुझे यह प्रतीत होता है कि अनुसूची में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा 2 की उपधारा (4) के आशय के अधीन लोक न्यास का गठन करती है. अब इसलिए मैं, राहुल सिलाड़िया, लोक न्यासों का पंजीयक अपने न्यायालय में दिनांक 13 फरवरी 2026 को कथित अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा यथा–अपेक्षित जांच करना प्रस्तावित करता हूँ.

अतः, एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि कथित न्यास का सम्पत्ति का कोई न्यासी या कार्यकारी न्यासी या इसमे हितबद्ध कोई व्यक्ति और आपत्ति या सुझाव देने का आशय रखने वाले को दो प्रतियों में नियत दिनांक 13 फरवरी 2026 के भीतर लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिए और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों को विचार में नही लिया जाएगा.

(G-1184) **राहुल सिलाड़िया,** अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक.

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, उपखण्ड गुना, मध्यप्रदेश

गुना, दिनांक 27 जनवरी 2026

प्रारुप क्र. – 4

[नियम 7(1) देखिये]

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (1951 का 30) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 के नियम 5(1) के द्वारा]

न्यायालय लोक न्यासों का पंजीयक, उपखण्ड गुना, जिला गुना के समक्ष.

प्र.क्र.–07–बी–113–25–26.– यतः कि न्यासधारी अनिल कुमार जैन, निवासी– गुना एवं अन्य द्वारा ''दिगम्बर जैन समाज पंचायत ट्रस्ट गुना'' मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा 4 के अंतर्गत आवेदन अनुसूची में विनिर्दिष्ट संपत्ति के लिये लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किये जाने के लिये आवेदन किया है, एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि कथित आवेदन पर दिनांक 17 फरवरी 2026 के दिवस पर मेरे न्यायालय में विचार में लिया जायेगा.

किसी आपत्तियां सुझाव को करने का आशय रखते हुये कथित न्यास या संपत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति को इस सूचना–पत्र के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिये और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिये, उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जायेगा:–

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता व संपत्ति का विवरण)

1. लोक न्यास का नाम और पता	–	''दिगम्बर जैन समाज पंचायत ट्रस्ट, गुना''
2. चल संपत्ति	–	निरंक
3. अचल संपत्ति	–	निरंक

(G-1185)

गुना, दिनांक 16 जनवरी 2026

प्रारुप क्र. – 4

[नियम 7(1) देखिये]

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (1951 का 30) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 के नियम 5(1) के द्वारा]

न्यायालय लोक न्यासों का पंजीयक, उपखण्ड गुना, जिला गुना के समक्ष.

प्र.क्र.–05–बी–113–25–26–136.-- यतः कि न्यासधारी श्री राजेन्द्र कुमार जैन पुत्र श्री मांगीलाल जैन, निवासी– सदर बाजार, गुना एवं अन्य द्वारा ''श्री घासीलाल जैन पारमार्थिक न्यास ट्रस्ट, गुना'' मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा 4 के अंतर्गत आवेदन अनुसूची में विनिर्दिष्ट संपत्ति के लिये लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किये जाने के लिये आवेदन किया है, एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि कथित आवेदन पर दिनांक 12 फरवरी 2026 के दिवस पर मेरे

न्यायालय में विचार में लिया जायेगा.

किसी आपत्तियां सुझाव को करने का आशय रखते हुये कथित न्यास या संपत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति को इस सूचना–पत्र के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिये और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिये, उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जायेगाः–

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता व संपत्ति का विवरण)

1. लोक न्यास का नाम और पता	–	''श्री घासीलाल जैन पारमार्थिक न्यास ट्रस्ट, गुना''
2. चल संपत्ति	–	निरंक
3. अचल संपत्ति	–	निरंक

(G-1186)

गुना, दिनांक 16 जनवरी 2026

प्रारुप क्र. – 4

[नियम 7(1) देखिये]

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1951 (1951 का 30) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 के नियम 5(1) के द्वारा]

न्यायालय लोक न्यासों का पंजीयक, उपखण्ड गुना, जिला गुना के समक्ष,

प्र.क्र.–06–बी–113–25–26–37.– यतः कि न्यासधारी श्री प्रकाश सिंह धाकड पुत्र झम्मनसिंह, निवासी– गुना एवं अन्य द्वारा ''किरार धाकड समाज कल्याण प्रायवेट न्यास, गुना'' मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा 4 के अंतर्गत आवेदन अनुसूची में विनिर्दिष्ट संपत्ति के लिये लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किये जाने के लिये आवेदन किया है, एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि कथित आवेदन पर दिनांक 12 फरवरी 2026 के दिवस पर मेरे न्यायालय में विचार में लिया जायेगा.

किसी आपत्तियां सुझाव को करने का आशय रखते हुये कथित न्यास या संपत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति को इस सूचना–पत्र के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिये और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिये, उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जायेगाः–

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता व संपत्ति का विवरण)

1. लोक न्यास का नाम और पता	–	''किरार धाकड समाज कल्याण प्रायवेट न्यास, गुना''
2. चल संपत्ति	–	निरंक
3. अचल संपत्ति	–	निरंक

(G-1187)

शिवानी पाठक, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट वृत्त, गोविन्दपुरा, भोपाल, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 29 दिसम्बर 2025

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1951 की धारा 5 (1) पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1952 के नियम 5 (1) के अन्तर्गत]

समक्ष रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट जिला भोपाल–

क्र.–1021–अ.वि.अ.–वृतगो.–2025.– जैसा कि आवेदक श्री राम पाल सिंह पुत्र स्व. श्री शोभा सिंह, पता– ए–505, सागर लैंडमार्क, अयोध्या बायपास रोड, भोपाल द्वारा "भारतीय पूर्व सैनिक संगठन (भारत) के द्वारा मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1951 की धारा 4 के अन्तर्गत एक आवेदन–पत्र सूची में दर्शाई सम्पत्ति के अनुसार पब्लिक ट्रस्ट के रूप में पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया है.

2. एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन मेरे न्यायालय में मेरे द्वारा, दिनांक .... को विचार में लिया जावेगा. यदि कोई भी व्यक्ति या संस्था जो ट्रस्ट में या सम्पत्ति में हित रखता हो और कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहता हो तो लिखित में सूचना के प्रकाशन के एक माह के भीतर स्वयं या अपने अभिभाषक के माध्यम से उक्त प्रकरण में मेरे समक्ष उपस्थित होकर अपनी लिखित आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है. उपर्युक्त अवधि समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा:–

अनुसूची

1. ट्रस्ट का नाम व पता	–	"भारतीय पूर्व सैनिक संगठन (भारत)"
2. न्याय कार्यालय का पता	–	ए–505, सागर लैंडमार्क, अयोध्या बायपास रोड, भोपाल, मध्यप्रदेश–462010.
3. अचल सम्पत्ति	–	निरंक
4. चल सम्पत्ति	–	निरंक

भवन कुमार गुप्ता, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).

(G-1188)

अन्य सूचनाएं

कार्यालय, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश

शाजापुर, दिनांक 20 जनवरी 2026

कारण बताओ सूचना–पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रशासक / प्रबंधक,

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., शम्भुपरा,

पंजीयन क्रमांक 736, दिनांक 15 मार्च 2000, जिला शाजापुर.

विषय:– मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना–पत्र.

क्र.–परि–2026–69.– विषयान्तर्गत निम्न बिन्दुओं के आधार पर क्यों न आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे:–

1. संस्था गत वर्षों से अकार्यशील है तथा कार्यशील होने की कोई संभावना नहीं है.

2 संस्था द्वारा अपनी पंजीकृत उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों की पूर्ति नहीं की जा रही है.

3 संस्था निर्वाचन कराने में रूची नहीं ले रही है और वरिष्ठ कार्यालय के आदेश की अवहेलना की जा रही है.

अतः, मैं, ओ.पी. गुप्ता, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 (3) एवं सहकारिता विभाग की ज्ञापन क्रमांक–एफ–5–1–1999– पन्द्रह– 1 सी, दिनाक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह अपेक्षा करता हूँ कि इस सूचना–पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना–पत्र के संबंध में अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 19 फरवरी 2026 तक कार्यालयीन समय में मेरे समक्ष उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं.

यदि उक्त दिनांक अथवा उसके पूर्व संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया तो यह माना जाकर कि आपको उपरोक्त कारण बताओ सूचना–पत्र में उल्लेखित आरोप स्वीकार है. आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जा सकेगा.

यह कारण बताओ सूचना–पत्र दिनांक 20 जनवरी 2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(G-1189)

शाजापुर, दिनांक 20 जनवरी 2026

कारण बताओ सूचना–पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रशासक / प्रबंधक,

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., ढाबला हुसेन,

पंजीयन क्रमांक 708, दिनांक 31 मार्च 1999, जिला शाजापुर,

विषयः– मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना–पत्र.

क्र.–परि–2026–70.– विषयान्तर्गत निम्न बिन्दुओं के आधार पर क्यों न आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावेः–

1. संस्था गत वर्षों से अकार्यशील है तथा कार्यशील होने की कोई संभावना नहीं है.

2 संस्था द्वारा अपनी पंजीकृत उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों की पूर्ति नही की जा रही.

3 संस्था निर्वाचन कराने में रूची नहीं ले रही है और वरिष्ठ कार्यालय के आदेश की अवहेलना की जा रही है.

अतः, मैं, ओ.पी. गुप्ता, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 (3) एवं सहकारिता विभाग की ज्ञापन क्रमांक–एफ–5–1–1999– पन्द्रह– 1 सी, दिनाक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह अपेक्षा करता हूँ कि इस सूचना–पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना–पत्र के संबंध में अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 19 फरवरी 2026 तक कार्यालयीन समय में मेरे समक्ष उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं.

यदि उक्त दिनांक अथवा उसके पूर्व संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया तो यह माना जाकर कि आपको उपरोक्त कारण बताओ सूचना–पत्र में उल्लेखित आरोप स्वीकार है. आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जा सकेगा.

यह कारण बताओ सूचना–पत्र दिनांक 20 जनवरी 2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(G-1190)

शाजापुर, दिनांक 20 जनवरी 2026

कारण बताओ सूचना–पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रशासक / प्रबंधक,

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बर्डियासोन,

पंजीयन क्रमांक 417, दिनांक 07 सितम्बर 1987, जिला शाजापुर.

विषयः–मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना–पत्र.

क्र.–परि–2026–71.– विषयान्तर्गत निम्न बिन्दुओं के आधार पर क्यों न आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावेः–

1. संस्था गत वर्षो से अकार्यशील है तथा कार्यशील होने की कोई संभावना नहीं है.

2 संस्था द्वारा अपनी पंजीकृत उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों की पूर्ति नहीं की जा रही है.

3 संस्था निर्वाचन कराने में रूची नहीं ले रही है और वरिष्ठ कार्यालय के आदेश की अवहेलना की जा रही है.

अतः, मैं, ओ.पी. गुप्ता, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 (3) एवं सहकारिता विभाग की ज्ञापन क्रमांक–एफ–5–1–1999– पन्द्रह– 1 सी, दिनाक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह अपेक्षा करता हूँ कि इस सूचना–पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना–पत्र के संबंध में अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 19 फरवरी 2026 तक कार्यालयीन समय में मेरे समक्ष उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं.

यदि उक्त दिनांक अथवा उसके पूर्व संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया तो यह माना जाकर कि आपको उपरोक्त कारण बताओ सूचना–पत्र में उल्लेखित आरोप स्वीकार है. आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जा सकेगा.

यह कारण बताओ सूचना–पत्र दिनांक 20 जनवरी 2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(G-1191)

शाजापुर, दिनांक 20 जनवरी 2026

कारण बताओ सूचना–पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रशासक / प्रबंधक,

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बावडीखेडा,

पंजीयन क्रमांक 987, दिनांक 15 जनवरी 2009, जिला शाजापुर.

विषयः– मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना–पत्र.

क्र.–परि–2026–72.– विषयान्तर्गत निम्न बिन्दुओं के आधार पर क्यों न आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावेः–

1. संस्था गत वर्षो से अकार्यशील है तथा कार्यशील होने की कोई संभावना नहीं है.

2 संस्था द्वारा अपनी पंजीकृत उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों की पूर्ति नहीं की जा रही है.

3 संस्था निर्वाचन कराने में रूची नहीं ले रही है और वरिष्ठ कार्यालय के आदेश की अव्हेलना की जा रही है.

अतः, मैं, ओ.पी. गुप्ता, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 (3) एवं सहकारिता विभाग की ज्ञापन क्रमांक–एफ–5–1–1999– पन्द्रह– 1 सी, दिनाक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह अपेक्षा करता हूँ कि इस सूचना–पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना–पत्र के संबंध में अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 19 फरवरी 2026 तक कार्यालयीन समय में मेरे समक्ष उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं.

यदि उक्त दिनांक अथवा उसके पूर्व संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया तो यह माना जाकर कि आपको उपरोक्त कारण बताओ सूचना–पत्र में उल्लेखित आरोप स्वीकार है. आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जा सकेगा.

यह कारण बताओ सूचना–पत्र दिनांक 20 जनवरी 2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(G-1192)

शाजापुर, दिनांक 20 जनवरी 2026

कारण बताओ सूचना–पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रशासक / प्रबंधक,

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., अलसरिया,

पंजीयन क्रमांक 469, दिनांक 29 मार्च 1988, जिला शाजापुर.

विषयः– मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना–पत्र.

क्र.–परि–2026–73.– विषयान्तर्गत निम्न बिन्दुओं के आधार पर क्यों न आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावेः–

1. संस्था गत वर्षों से अकार्यशील है तथा कार्यशील होने की कोई संभावना नहीं है.

2 संस्था द्वारा अपनी पंजीकृत उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों की पूर्ति नहीं की जा रही है.

3 संस्था निर्वाचन कराने में रूची नहीं ले रही है और वरिष्ठ कार्यालय के आदेश की अवहेलना की जा रही है.

अतः, मैं, ओ.पी. गुप्ता, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 (3) एवं सहकारिता विभाग की ज्ञापन क्रमांक–एफ–5–1–1999– पन्द्रह– 1 सी, दिनाक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह अपेक्षा करता हूँ कि इस सूचना–पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना–पत्र के संबंध में अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 19 फरवरी 2026 तक कार्यालयीन समय में मेरे समक्ष उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं.

यदि उक्त दिनांक अथवा उसके पूर्व संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया तो यह माना जाकर कि आपको उपरोक्त कारण बताओ सूचना–पत्र में उल्लेखित आरोप स्वीकार है. आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जा सकेगा.

यह कारण बताओ सूचना–पत्र दिनांक 20 जनवरी 2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(G-1193)

शाजापुर, दिनांक 20 जनवरी 2026

कारण बताओ सूचना–पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रशासक / प्रबंधक,

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., अकलपुर बिन्नी,

पंजीयन क्रमांक 870, दिनांक 10 दिसम्बर 2003, जिला शाजापुर.

विषयः– मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना–पत्र.

क्र.–परि–2026–74.– विषयान्तर्गत निम्न बिन्दुओं के आधार पर क्यों न आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावेः–

1. संस्था गत वर्षों से अकार्यशील है तथा कार्यशील होने की कोई संभावना नहीं है.

2 संस्था द्वारा अपनी पंजीकृत उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों की पूर्ति नहीं की जा रही है.

3 संस्था निर्वाचन कराने में रूची नहीं ले रही है और वरिष्ठ कार्यालय के आदेश की अवहेलना की जा रही है.

अतः, मैं, ओ.पी. गुप्ता, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 (3) एवं सहकारिता विभाग की ज्ञापन क्रमांक–एफ–5–1–1999– पन्द्रह– 1 सी, दिनाक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह अपेक्षा करता हूँ कि इस सूचना–पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना–पत्र के संबंध में अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 19 फरवरी 2026 तक कार्यालयीन समय में मेरे समक्ष उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं.

यदि उक्त दिनांक अथवा उसके पूर्व संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया तो यह माना जाकर कि आपको उपरोक्त कारण बताओ सूचना–पत्र में उल्लेखित आरोप स्वीकार है. आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जा सकेगा.

यह कारण बताओ सूचना–पत्र दिनांक 20 जनवरी 2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(G-1194)

शाजापुर, दिनांक 20 जनवरी 2026

कारण बताओ सूचना–पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रशासक / प्रबंधक,

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., निपानिया खुर्द,

पंजीयन क्रमांक 470, दिनांक 29 मार्च 1988, जिला शाजापुर.

विषयः– मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना–पत्र.

क्र.–परि–2026–75.– विषयान्तर्गत निम्न बिन्दुओं के आधार पर क्यों न आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावेः–

1. संस्था गत वर्षों से अकार्यशील है तथा कार्यशील होने की कोई संभावना नहीं है.

2 संस्था द्वारा अपनी पंजीकृत उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों की पूर्ति नहीं की जा रही है.

3 संस्था निर्वाचन कराने में रूची नहीं ले रही है और वरिष्ठ कार्यालय के आदेश की अवहेलना की जा रही है.

अतः, मैं, ओ.पी. गुप्ता, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 (3) एवं सहकारिता विभाग की ज्ञापन क्रमांक–एफ–5–1–1999– पन्द्रह– 1 सी, दिनाक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह अपेक्षा करता हूँ कि इस सूचना–पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना–पत्र के संबंध में अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 19 फरवरी 2026 तक कार्यालयीन समय में मेरे समक्ष उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं.

यदि उक्त दिनांक अथवा उसके पूर्व संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया तो यह माना जाकर कि आपको उपरोक्त कारण बताओ सूचना–पत्र में उल्लेखित आरोप स्वीकार है. आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जा सकेगा.

यह कारण बताओ सूचना–पत्र दिनांक 20 जनवरी 2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(G-1195)

शाजापुर, दिनांक 20 जनवरी 2026

कारण बताओ सूचना–पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रशासक / प्रबंधक,

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., जाबडिया भील,

पंजीयन क्रमांक 527, दिनांक 26 अक्टूबर 1989, जिला शाजापुर.

विषयः– मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना–पत्र.

क्रं.–परि–2026–76.– विषयान्तर्गत निम्न बिन्दुओं के आधार पर क्यों न आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावेः–

1. संस्था गत वर्षों से अकार्यशील है तथा कार्यशील होने की कोई संभावना नहीं है.

2 संस्था द्वारा अपनी पंजीकृत उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों की पूर्ति नहीं की जा रही.

3 संस्था निर्वाचन कराने में रूची नही ले रही है, और वरिष्ठ कार्यालय के आदेश की अवहेलना की जा रही है.

अतः, मैं, ओ.पी. गुप्ता, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 (3) एवं सहकारिता विभाग की ज्ञापन क्रमांक–एफ–5–1–1999– पन्द्रह– 1 सी, दिनाक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह अपेक्षा करता हूँ कि इस सूचना–पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना–पत्र के संबंध में अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 19 फरवरी 2026 तक कार्यालयीन समय में मेरे समक्ष उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं.

यदि उक्त दिनांक अथवा उसके पूर्व संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया तो यह माना जाकर कि आपको उपरोक्त कारण बताओ सूचना–पत्र में उल्लेखित आरोप स्वीकार है. आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जा सकेगा.

यह कारण बताओ सूचना–पत्र दिनांक 20 जनवरी 2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(G-1196)

शाजापुर, दिनांक 20 जनवरी 2026

कारण बताओ सूचना–पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रशासक / प्रबंधक,

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., धुबोटी,

पंजीयन क्रमांक 543, दिनांक 07 जुलाई 1990, जिला शाजापुर.

विषयः– मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना–पत्र.

क्र.–परि–2026–77.– विषयान्तर्गत निम्न बिन्दुओं के आधार पर क्यों न आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावेः–

1. संस्था गत वर्षों से अकार्यशील है तथा कार्यशील होने की कोई संभावना नहीं है.

2 संस्था द्वारा अपनी पंजीकृत उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों की पूर्ति नहीं की जा रही है.

3 संस्था निर्वाचन कराने में रूची नहीं ले रही है और वरिष्ठ कार्यालय के आदेश की अवहेलना की जा रही है.

अतः, मैं, ओ.पी. गुप्ता, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 (3) एवं सहकारिता विभाग की ज्ञापन क्रमांक–एफ–5–1–1999– पन्द्रह– 1 सी, दिनाक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह अपेक्षा करता हूँ कि इस सूचना–पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना–पत्र के संबंध में अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 19 फरवरी 2026 तक कार्यालयीन समय में मेरे समक्ष उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं.

यदि उक्त दिनांक अथवा उसके पूर्व संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया तो यह माना जाकर कि आपको उपरोक्त कारण बताओ सूचना–पत्र में उल्लेखित आरोप स्वीकार है. आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जा सकेगा.

यह कारण बताओ सूचना–पत्र दिनांक 20 जनवरी 2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(G-1197)

शाजापुर, दिनांक 20 जनवरी 2026

कारण बताओ सूचना–पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रशासक / प्रबंधक,

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., डांडियाखेड़ी,

पंजीयन क्रमांक 710, दिनांक 31 मार्च 1999, जिला शाजापुर.

विषयः– मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना–पत्र.

क्र.–परि–2026–78.– विषयान्तर्गत निम्न बिन्दुओं के आधार पर क्यों न आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावेः–

1. संस्था गत वर्षों से अकार्यशील है तथा कार्यशील होने की कोई संभावना नहीं है.

2. संस्था द्वारा अपनी पंजीकृत उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों की पूर्ति नहीं की जा रही है.

3. संस्था निर्वाचन कराने में रूची नहीं ले रही है और वरिष्ठ कार्यालय के आदेश की अवहेलना की जा रही है.

अतः, मैं, ओ.पी. गुप्ता, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 (3) एवं सहकारिता विभाग की ज्ञापन क्रमांक–एफ–5–1–1999– पन्द्रह– 1 सी, दिनाक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह अपेक्षा करता हूँ कि इस सूचना–पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना–पत्र के संबंध में अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 19 फरवरी 2026 तक कार्यालयीन समय में मेरे समक्ष उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं.

यदि उक्त दिनांक अथवा उसके पूर्व संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया तो यह माना जाकर कि आपको उपरोक्त कारण बताओ सूचना–पत्र में उल्लेखित आरोप स्वीकार है. आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जा सकेगा.

यह कारण बताओ सूचना–पत्र दिनांक 20 जनवरी 2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(G-1198)

शाजापुर, दिनांक 20 जनवरी 2026

कारण बताओ सूचना–पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रशासक / प्रबंधक,

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., चारखेडी,

पंजीयन क्रमांक 735, दिनांक 13 दिसम्बर 1999, जिला शाजापुर.

विषयः– मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना–पत्र.

क्र.–परि–2026–79.– विषयान्तर्गत निम्न बिन्दुओं के आधार पर क्यों न आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे.

1. संस्था गत वर्षों से अकार्यशील है तथा कार्यशील होने की कोई संभावना नहीं है.

2. संस्था द्वारा अपनी पंजीकृत उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों की पूर्ति नही की जा रही है.

3. संस्था निर्वाचन कराने में रूची नहीं ले रही है और वरिष्ठ कार्यालय के आदेश की अवहेलना की जा रही है.

अतः, मैं, ओ.पी. गुप्ता, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 (3) एवं सहकारिता विभाग की ज्ञापन क्रमांक–एफ–5–1–1999– पन्द्रह– 1 सी, दिनाक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह अपेक्षा करता हूँ कि इस सूचना–पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना–पत्र के संबंध में अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 19 फरवरी 2026 तक कार्यालयीन समय में मेरे समक्ष उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं.

यदि उक्त दिनांक अथवा उसके पूर्व संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया तो यह माना जाकर कि आपको उपरोक्त कारण बताओ सूचना–पत्र में उल्लेखित आरोप स्वीकार है. आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जा सकेगा.

यह कारण बताओ सूचना–पत्र दिनांक 20 जनवरी 2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(G-1199)

शाजापुर, दिनांक 20 जनवरी 2026

कारण बताओ सूचना–पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रशासक / प्रबंधक,

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., रनायल,

पंजीयन क्रमांक 933, दिनांक 13 जनवरी 2006, जिला शाजापुर

विषयः– मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना–पत्र.

क्र.–परि–2026–80.– विषयान्तर्गत निम्न बिन्दुओं के आधार पर क्यों न आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावेः–

1. संस्था गत वर्षों से अकार्यशील है तथा कार्यशील होने की कोई संभावना नहीं है.
2. संस्था द्वारा अपनी पंजीकृत उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों की पूर्ति नही की जा रही है.
3. संस्था निर्वाचन कराने में रूची नहीं ले रही है और वरिष्ठ कार्यालय के आदेश की अवहेलना की जा रही है.

अतः, मैं, ओ.पी. गुप्ता, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 (3) एवं सहकारिता विभाग की ज्ञापन क्रमांक--एफ–5--1–1999– पन्द्रह– 1 सी, दिनाक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह अपेक्षा करता हूँ कि इस सूचना–पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना--पत्र के संबंध में अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 19 फरवरी 2026 तक कार्यालयीन समय में मेरे समक्ष उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं.

यदि उक्त दिनांक अथवा उसके पूर्व संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया तो यह माना जाकर कि आपको उपरोक्त कारण बताओ सूचना–पत्र में उल्लेखित आरोप स्वीकार है. आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जा सकेगा.

यह कारण बताओ सूचना–पत्र दिनांक 20 जनवरी 2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(G-1200)

शाजापुर, दिनांक 20 जनवरी 2026

कारण बताओ सूचना–पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रशासक / प्रबंधक,

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बमुल्या मुछाली,

पंजीयन क्रमांक 972, दिनांक 17 जून 2008, जिला शाजापुर.

विषयः– मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना–पत्र.

क्र.--परि–2026–81.– विषयान्तर्गत निम्न बिन्दुओं के आधार पर क्यों न आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे.

1. संस्था गत वर्षों से अकार्यशील है तथा कार्यशील होने की कोई संभावना नहीं है.

2. संस्था द्वारा अपनी पंजीकृत उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों की पूर्ति नहीं की जा रही है.

3. संस्था निर्वाचन कराने में रूची नहीं ले रही है और वरिष्ठ कार्यालय के आदेश की अवहेलना की जा रही है.

अतः, मैं, ओ.पी. गुप्ता, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 (3) एवं सहकारिता विभाग की ज्ञापन क्रमांक–एफ–5–1–1999– पन्द्रह– 1 सी, दिनाक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह अपेक्षा करता हूँ कि इस सूचना–पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना–पत्र के संबंध में अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 19 फरवरी 2026 तक कार्यालयीन समय में मेरे समक्ष उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं.

यदि उक्त दिनांक अथवा उसके पूर्व संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया तो यह माना जाकर कि आपको उपरोक्त कारण बताओ सूचना–पत्र में उल्लेखित आरोप स्वीकार है. आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जा सकेगा.

यह कारण बताओ सूचना–पत्र दिनांक 20 जनवरी 2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(G-1201)

शाजापुर, दिनांक 20 जनवरी 2026

कारण बताओ सूचना–पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रशासक / प्रबंधक,

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पाडली

पंजीयन क्रमांक 510, दिनांक 29 मार्च 1989, जिला शाजापुर.

विषयः– मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना–पत्र.

क्र.–परि–2026–82.– विषयान्तर्गत निम्न बिन्दुओं के आधार पर क्यों न आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावेः–

1. संस्था गत वर्षों से अकार्यशील है तथा कार्यशील होने की कोई संभावना नहीं है.

2. संस्था द्वारा अपनी पंजीकृत उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों की पूर्ति नहीं की जा रही है.

3. संस्था निर्वाचन कराने में रूची नहीं ले रही है और वरिष्ठ कार्यालय के आदेश की अवहेलना की जा रही है.

अतः, मैं, ओ.पी. गुप्ता, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 (3) एवं सहकारिता विभाग की ज्ञापन क्रमांक–एफ–5–1–1999– पन्द्रह– 1 सी, दिनाक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह अपेक्षा करता हूँ कि इस सूचना–पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना–पत्र के संबंध में अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 19 फरवरी 2026 तक कार्यालयीन समय में मेरे समक्ष उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं.

यदि उक्त दिनांक अथवा उसके पूर्व संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया तो यह माना जाकर कि आपको उपरोक्त कारण बताओ सूचना–पत्र में उल्लेखित आरोप स्वीकार है. आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जा सकेगा.

यह कारण बताओ सूचना–पत्र दिनांक 20 जनवरी 2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(G-1202)

शाजापुर, दिनांक 20 जनवरी 2026

कारण बताओ सूचना–पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रशासक / प्रबंधक,

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सिलोदा,

पंजीयन क्रमांक 552, दिनांक 07 जुलाई 1990, जिला शाजापुर.

विषयः– मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना–पत्र.

क्र.–परि–2026–83.– विषयान्तर्गत निम्न बिन्दुओं के आधार पर क्यों न आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावेः–

1. संस्था गत वर्षों से अकार्यशील है तथा कार्यशील होने की कोई संभावना नहीं है.

2 संस्था द्वारा अपनी पंजीकृत उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों की पूर्ति नहीं की जा रही है.

3 संस्था निर्वाचन कराने में रूची नहीं ले रही है और वरिष्ठ कार्यालय के आदेश की अव्हेलना की जा रही है.

अतः, मैं, ओ.पी. गुप्ता, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 (3) एवं सहकारिता विभाग की ज्ञापन क्रमांक–एफ–5–1–1999– पन्द्रह– 1 सी, दिनाक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह अपेक्षा करता हूँ कि इस सूचना–पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना–पत्र के संबंध में अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 19 फरवरी 2026 तक कार्यालयीन समय में मेरे समक्ष उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं.

यदि उक्त दिनांक अथवा उसके पूर्व संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया तो यह माना जाकर कि आपको उपरोक्त कारण बताओ सूचना–पत्र में उल्लेखित आरोप स्वीकार है. आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जा सकेगा.

यह कारण बताओ सूचना–पत्र दिनांक 20 जनवरी 2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(G-1203)

शाजापुर, दिनांक 20 जनवरी 2026

कारण बताओ सूचना–पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रशासक / प्रबंधक,

महिला मत्स्य उद्योग सहकारी संस्था मर्या., अकोदिया,

पंजीयन क्रमांक 604, दिनांक 14 जुलाई 1992, जिला शाजापुर.

विषयः– मध्यप्रदेश सहाकरी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना–पत्र.

क्र.–परि–2026–84.– विषयान्तर्गत निम्न बिन्दुओं के आधार पर क्यो न आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे.

1. संस्था गत वर्षों से अकार्यशील है तथा कार्यशील होने की कोई संभावना नहीं है.

2. संस्था द्वारा अपनी पंजीकृत उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों की पूर्ति नही की जा रही है.

3. संस्था निर्वाचन कराने में रूची नहीं ले रही है और वरिष्ठ कार्यालय के आदेश की अवहेलना की जा रही है.

अतः, मैं, ओ.पी. गुप्ता, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 (3) एवं सहकारिता विभाग की ज्ञापन क्रमांक–एफ–5–1–1999– पन्द्रह– 1 सी, दिनाक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह अपेक्षा करता हूँ कि इस सूचना–पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना–पत्र के संबंध में अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 19 फरवरी 2026 तक कार्यालयीन समय में मेरे समक्ष उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं.

यदि उक्त दिनांक अथवा उसके पूर्व संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया तो यह माना जाकर कि आपको उपरोक्त कारण बताओ सूचना–पत्र में उल्लेखित आरोप स्वीकार है. आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जा सकेगा.

यह कारण बताओ सूचना–पत्र दिनांक 20 जनवरी 2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(G-1204)

शाजापुर, दिनांक 20 जनवरी 2026

कारण बताओ सूचना–पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रशासक / प्रबंधक,

मत्स्य उद्योग सहकारी संस्था मर्या., बिरगोद

पंजीयन क्रमांक 1024, दिनांक 28 जून 2010, जिला शाजापुर.

विषयः– मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना–पत्र.

क्र.–परि–2026–85.– विषयान्तर्गत निम्न बिन्दुओं के आधार पर क्यों न आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे.

1. संस्था गत वर्षों से अकार्यशील है तथा कार्यशील होने की कोई संभावना नहीं है.

2. संस्था द्वारा अपनी पंजीकृत उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों की पूर्ति नही की जा रही है.

3. संस्था निर्वाचन कराने में रूची नहीं ले रही है और वरिष्ठ कार्यालय के आदेश की अवहेलना की जा रही है.

अतः, मैं, ओ.पी. गुप्ता, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 (3) एवं सहकारिता विभाग की ज्ञापन क्रमांक–एफ–5–1–1999– पन्द्रह– 1 सी, दिनाक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह अपेक्षा करता हूँ कि इस सूचना–पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना–पत्र के संबंध में अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 19 फरवरी 2026 तक कार्यालयीन समय में मेरे समक्ष उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं.

यदि उक्त दिनांक अथवा उसके पूर्व संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया तो यह माना जाकर कि आपको उपरोक्त कारण बताओ सूचना–पत्र में उल्लेखित आरोप स्वीकार है. आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जा सकेगा.

यह कारण बताओ सूचना–पत्र दिनांक 20 जनवरी 2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(G-1205)

शाजापुर, दिनांक 20 जनवरी 2026

कारण बताओ सूचना–पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रशासक/प्रबंधक,

शुयस मत्स्य सहकारी संस्था मर्या., खडी.

पंजीयन क्रमांक 851, दिनांक 06 जनवरी 2003, जिला शाजापुर.

विषयः– मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना–पत्र.

क्र.–परि–2026–86.– विषयान्तर्गत निम्न बिन्दुओं के आधार पर क्यों न आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे.

1. संस्था गत वर्षों से अकार्यशील है तथा कार्यशील होने की कोई संभावना नहीं है.

2. संस्था द्वारा अपनी पंजीकृत उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों की पूर्ति नहीं की जा रही है.

3. संस्था निर्वाचन कराने में रूची नहीं ले रही है और वरिष्ठ कार्यालय के आदेश की अवहेलना की जा रही है.

अतः, मैं, ओ.पी. गुप्ता, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 (3) एवं सहकारिता विभाग की ज्ञापन क्रमांक–एफ–5–1–1999– पन्द्रह– 1 सी, दिनाक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह अपेक्षा करता हूँ कि इस सूचना–पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना–पत्र के संबंध में अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 19 फरवरी 2026 तक कार्यालयीन समय में मेरे समक्ष उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं.

यदि उक्त दिनांक अथवा उसके पूर्व संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया तो यह माना जाकर कि आपको उपरोक्त कारण बताओ सूचना–पत्र में उल्लेखित आरोप स्वीकार है. आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जा सकेगा.

यह कारण बताओ सूचना–पत्र दिनांक 20 जनवरी 2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(G-1206)

शाजापुर, दिनांक 20 जनवरी 2026

कारण बताओ सूचना–पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रशासक/प्रबंधक

कृषि दर्पण बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., भैसाया नागीन.

पंजीयन क्रमांक 1228, दिनांक 13 जुलाई 2016, जिला शाजापुर.

विषयः– मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना–पत्र.

क्र.–परि–2026–87.– विषयान्तर्गत निम्न बिन्दुओं के आधार पर क्यों न आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे.

1. संस्था गत वर्षों से अकार्यशील है तथा कार्यशील होने की कोई संभावना नहीं है.

2. संस्था द्वारा अपनी पंजीकृत उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों की पूर्ति नहीं की जा रही है.

3. संस्था निर्वाचन कराने में रूची नहीं ले रही है और वरिष्ठ कार्यालय के आदेश की अवहेलना की जा रही है.

अतः, मैं, ओ.पी. गुप्ता, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 (3) एवं सहकारिता विभाग की ज्ञापन क्रमांक–एफ–5–1–1999– पन्द्रह– 1 सी, दिनाक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह अपेक्षा करता हूँ कि इस सूचना–पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना–पत्र के संबंध में अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 19 फरवरी 2026 तक कार्यालयीन समय में मेरे समक्ष उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं.

यदि उक्त दिनांक अथवा उसके पूर्व संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया तो यह माना जाकर कि आपको उपरोक्त कारण बताओ सूचना–पत्र में उल्लेखित आरोप स्वीकार है. आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जा सकेगा.

यह कारण बताओ सूचना–पत्र दिनांक 20 जनवरी 2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(G-1207)

शाजापुर, दिनांक 20 जनवरी 2026

कारण बताओ सूचना–पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रशासक / प्रबंधक,

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., छापरी,

पंजीयन क्रमांक 932, दिनांक 13 जनवरी 2006, जिला शाजापुर.

विषयः– मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना–पत्र.

क्र.–परि–2026–88.– विषयान्तर्गत निम्न बिन्दुओं के आधार पर क्यों न आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे.

1. संस्था गत वर्षों से अकार्यशील है तथा कार्यशील होने की कोई संभावना नहीं है.

2 संस्था द्वारा अपनी पंजीकृत उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों की पूर्ति नहीं की जा रही है.

3 संस्था निर्वाचन कराने में रूची नहीं ले रही है और वरिष्ठ कार्यालय के आदेश की अवहेलना की जा रही है.

अतः, मैं, ओ.पी. गुप्ता, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 (3) एवं सहकारिता विभाग की ज्ञापन क्रमांक–एफ--5–1–1999– पन्द्रह– 1 सी, दिनाक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह अपेक्षा करता हूँ कि इस सूचना–पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना–पत्र के संबंध में अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 19 फरवरी 2026 तक कार्यालयीन समय में मेरे समक्ष उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं.

यदि उक्त दिनांक अथवा उसके पूर्व संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया तो यह माना जाकर कि आपको उपरोक्त कारण बताओ सूचना–पत्र में उल्लेखित आरोप स्वीकार है. आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जा सकेगा.

यह कारण बताओ सूचना–पत्र दिनांक 20 जनवरी 2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(G-1208)

शाजापुर, दिनांक 20 जनवरी 2026

कारण बताओं सूचना–पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रशासक / प्रबंधक,

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कन्नडपुर मरेठी,

पंजीयन क्रमांक 1102, दिनांक 07 अक्टूबर 2014, जिला शाजापुर.

विषयः– मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना–पत्र.

क्र.–परि–2026–89.– विषयान्तर्गत निम्न बिन्दुओं के आधार पर क्यों न आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे.

1. संस्था गत वर्षों से अकार्यशील है तथा कार्यशील होने की कोई संभावना नहीं है.

2 संस्था द्वारा अपनी पंजीकृत उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों की पूर्ति नहीं की जा रही है.

3 संस्था निर्वाचन कराने में रूची नही ले रही है और वरिष्ठ कार्यालय के आदेश की अवहेलना की जा रही है.

अतः, मैं, ओ.पी. गुप्ता, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 (3) एवं सहकारिता विभाग की ज्ञापन क्रमांक–एफ–5–1–1999– पन्द्रह– 1 सी, दिनाक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह अपेक्षा करता हूँ कि इस सूचना–पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना–पत्र के संबंध में अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 19 फरवरी 2026 तक कार्यालयीन समय में मेरे समक्ष उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं.

यदि उक्त दिनांक अथवा उसके पूर्व संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया तो यह माना जाकर कि आपको उपरोक्त कारण बताओ सूचना–पत्र में उल्लेखित आरोप स्वीकार है. आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जा सकेगा.

यह कारण बताओ सूचना–पत्र दिनांक 20 जनवरी 2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है..

(G-1209)

शाजापुर, दिनांक 20 जनवरी 2026

कारण बताओं सूचना–पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रशासक / प्रबंधक,

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सुकल्या देहरी घाट,

पंजीयन क्रमांक 978, दिनांक 26 अगस्त 2008, जिला शाजापुर.

विषयः– मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना–पत्र

क्र.–परि–2026–90.– विषयान्तर्गत निम्न बिन्दुओं के आधार पर क्यो न आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे.

1. संस्था गत वर्षों से अकार्यशील है तथा कार्यशील होने की कोई संभावना नहीं है.

2. संस्था द्वारा अपनी पंजीकृत उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों की पूर्ति नहीं की जा रही है.

3. संस्था निर्वाचन कराने में रूची नहीं ले रही है और वरिष्ठ कार्यालय के आदेश की अव्हेलना की जा रही है.

अतः, मैं, ओ.पी. गुप्ता, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 (3) एवं सहकारिता विभाग की ज्ञापन क्रमांक–एफ–5–1–1999– पन्द्रह– 1 सी, दिनाक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह अपेक्षा करता हूँ कि इस सूचना–पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना–पत्र के संबंध में अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 19 फरवरी 2026 तक कार्यालयीन समय में मेरे समक्ष उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं.

यदि उक्त दिनांक अथवा उसके पूर्व संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया तो यह माना जाकर कि आपको उपरोक्त कारण बताओ सूचना–पत्र में उल्लेखित आरोप स्वीकार है. आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जा सकेगा.

यह कारण बताओ सूचना–पत्र दिनांक 20 जनवरी 2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(G-1210)

शाजापुर, दिनांक 20 जनवरी 2026

कारण बताओ सूचना–पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रशासक / प्रबंधक,

विजयाराजे प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार सहकारी मर्या., मक्सी,

पंजीयन क्रमांक 1059, दिनांक 25 फरवरी 2012, जिला शाजापुर.

विषयः– मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना–पत्र.

क्र.–परि–2026–91.– विषयान्तर्गत निम्न बिन्दुओं के आधार पर क्यो न आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे.

1. संस्था गत वर्षों से अकार्यशील है तथा कार्यशील होने की कोई संभावना नहीं है.

2 संस्था द्वारा अपनी पंजीकृत उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों की पूर्ति नहीं की जा रही है.

3 संस्था निर्वाचन कराने में रूची नहीं ले रही है और वरिष्ठ कार्यालय के आदेश की अवहेलना की जा रही है.

अतः, मैं, ओ.पी. गुप्ता, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 (3) एवं सहकारिता विभाग की ज्ञापन क्रमांक–एफ–5–1–1999– पन्द्रह– 1 सी, दिनाक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह अपेक्षा करता हूँ कि इस सूचना–पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना–पत्र के संबंध में अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 19 फरवरी 2026 तक कार्यालयीन समय में मेरे समक्ष उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं.

यदि उक्त दिनांक अथवा उसके पूर्व संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया तो यह माना जाकर कि आपको उपरोक्त कारण बताओ सूचना–पत्र में उल्लेखित आरोप स्वीकार है. आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जा सकेगा.

यह कारण बताओ सूचना–पत्र दिनांक 20 जनवरी 2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(G-1211)

शाजापुर, दिनांक 20 जनवरी 2026

कारण बताओ सूचना–पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रशासक / प्रबंधक,

चन्द्रशेखर आजाद प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार सहकारी मर्या., शाजापुर,

पंजीयन क्रमांक 888, दिनांक 19 अगस्त 2004, जिला शाजापुर.

विषयः– मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अन्तर्गत कारण बताओं सूचना–पत्र.

क्र.–परि–2026–92.– विषयान्तर्गत निम्न बिन्दुओं के आधार पर क्यों न आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे.

1. संस्था गत वर्षों से अकार्यशील है तथा कार्यशील होने की कोई संभावना नहीं है.

2 संस्था द्वारा अपनी पंजीकृत उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों की पूर्ति नहीं की जा रही है.

3 संस्था निर्वाचन कराने में रूची नहीं ले रही है और वरिष्ठ कार्यालय के आदेश की अवहेलना की जा रही है.

अतः, मैं, ओ.पी. गुप्ता, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 (3) एवं सहकारिता विभाग की ज्ञापन क्रमांक–एफ–5–1–1999– पन्द्रह– 1 सी, दिनाक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह अपेक्षा करता हूँ कि इस सूचना–पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना–पत्र के संबंध में अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 19 फरवरी 2026 तक कार्यालयीन समय में मेरे समक्ष उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं.

यदि उक्त दिनांक अथवा उसके पूर्व संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया तो यह माना जाकर कि आपको उपरोक्त कारण बताओ सूचना–पत्र में उल्लेखित आरोप स्वीकार है. आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जा सकेगा.

यह कारण बताओ सूचना–पत्र दिनांक 20 जनवरी 2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(G-1212)

शाजापुर, दिनांक 20 जनवरी 2026

कारण बताओ सूचना–पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रशासक / प्रबंधक,

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., अमलावती,

पंजीयन क्रमांक 923, दिनांक 30 अगस्त 2005, जिला शाजापुर.

विषयः– मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना–पत्र.

क्र.–परि–2026–101.– विषयान्तर्गत निम्न बिन्दुओं के आधार पर क्यों न आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे.

1. संस्था गत वर्षों से अकार्यशील है तथा कार्यशील होने की कोई संभावना नहीं है.

2 संस्था द्वारा अपनी पंजीकृत उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों की पूर्ति नहीं की जा रही है.

3 संस्था निर्वाचन कराने में रूची नहीं ले रही है और वरिष्ठ कार्यालय के आदेश की अवहेलना की जा रही है.

अतः, मैं, ओ.पी. गुप्ता, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 (3) एवं सहकारिता विभाग की ज्ञापन क्रमांक–एफ–5–1–1999– पन्द्रह– 1 सी, दिनाक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह अपेक्षा करता हूँ कि इस सूचना–पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना–पत्र के संबंध में अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 19 फरवरी 2026 तक कार्यालयीन समय में मेरे समक्ष उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं.

यदि उक्त दिनांक अथवा उसके पूर्व संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया तो यह माना जाकर कि आपको उपरोक्त कारण बताओ सूचना–पत्र में उल्लेखित आरोप स्वीकार है. आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जा सकेगा.

यह कारण बताओ सूचना–पत्र दिनांक 20 जनवरी 2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(G-1213)

शाजापुर, दिनांक 20 जनवरी 2026

कारण बताओ सूचना–पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रशासक / प्रबंधक,

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., देवलाबिहार,

पंजीयन क्रमांक 1163, दिनांक 15 दिसम्बर 2014, जिला शाजापुर.

विषय:– मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना–पत्र.

क्र.–परि–2026–100.– विषयान्तर्गत निम्न बिन्दुओं के आधार पर क्यों न आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे.

1. संस्था गत वर्षों से अकार्यशील है तथा कार्यशील होने की कोई संभावना नहीं है.

2 संस्था द्वारा अपनी पंजीकृत उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों की पूर्ति नहीं की जा रही है.

3 संस्था निर्वाचन कराने में रूची नहीं ले रही है और वरिष्ठ कार्यालय के आदेश की अव्हेलना की जा रही है.

अतः, मैं, ओ.पी. गुप्ता, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 (3) एवं सहकारिता विभाग की ज्ञापन क्रमांक–एफ–5–1–1999– पन्द्रह– 1 सी, दिनाक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह अपेक्षा करता हूँ कि इस सूचना–पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना–पत्र के संबंध में अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 19 फरवरी 2026 तक कार्यालयीन समय में मेरे समक्ष उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं.

यदि उक्त दिनांक अथवा उसके पूर्व संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया तो यह माना जाकर कि आपको उपरोक्त कारण बताओ सूचना–पत्र में उल्लेखित आरोप स्वीकार है. आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जा सकेगा.

यह कारण बताओ सूचना–पत्र दिनांक 20 जनवरी 2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(G-1214)

शाजापुर, दिनांक 20 जनवरी 2026

कारण बताओ सूचना–पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रशासक / प्रबंधक,

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., डुंगरगांव,

पंजीयन क्रमांक 1216, दिनांक 25 जून 2015, जिला शाजापुर.

विषयः– मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना–पत्र.

क्र.–परि–2026–98.– विषयान्तर्गत निम्न बिन्दुओं के आधार पर क्यों न आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे.

1. संस्था गत वर्षो से अकार्यशील है तथा कार्यशील होने की कोई संभावना नहीं है.

2 संस्था द्वारा अपनी पंजीकृत उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों की पूर्ति नहीं की जा रही है.

3 संस्था निर्वाचन कराने में रूची नहीं ले रही है और वरिष्ठ कार्यालय के आदेश की अवहेलना की जा रही है.

अतः, मैं, ओ.पी. गुप्ता, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 (3) एवं सहकारिता विभाग की ज्ञापन क्रमांक–एफ–5–1–1999– पन्द्रह– 1 सी, दिनाक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह अपेक्षा करता हूँ कि इस सूचना–पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना–पत्र के संबंध में अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 19 फरवरी 2026 तक कार्यालयीन समय में मेरे समक्ष उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं.

यदि उक्त दिनांक अथवा उसके पूर्व संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया तो यह माना जाकर कि आपको उपरोक्त कारण बताओ सूचना–पत्र में उल्लेखित आरोप स्वीकार है. आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जा सकेगा.

यह कारण बताओ सूचना–पत्र दिनांक 20 जनवरी 2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(G-1215)

शाजापुर, दिनांक 20 जनवरी 2026

कारण बताओ सूचना–पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रशासक / प्रबंधक,

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., टिगरिया करजू,

पंजीयन क्रमांक 508, दिनांक 29 मार्च 1989, जिला शाजापुर.

विषयः– मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना–पत्र.

क्र.–परि–2026–97.– विषयान्तर्गत निम्न बिन्दुओं के आधार पर क्यों न आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे.

1. संस्था गत वर्षो से अकार्यशील है तथा कार्यशील होने की कोई संभावना नहीं है.

2. संस्था द्वारा अपनी पंजीकृत उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों की पूर्ति नहीं की जा रही है.

3. संस्था निर्वाचन कराने में रूची नहीं ले रही है और वरिष्ठ कार्यालय के आदेश की अवहेलना की जा रही है.

अतः, मैं, ओ.पी. गुप्ता, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 (3) एवं सहकारिता विभाग की ज्ञापन क्रमांक–एफ–5–1–1999– पन्द्रह– 1 सी, दिनाक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह अपेक्षा करता हूँ कि इस सूचना–पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना–पत्र के संबंध में अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 19 फरवरी 2026 तक कार्यालयीन समय में मेरे समक्ष उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं.

यदि उक्त दिनांक अथवा उसके पूर्व संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया तो यह माना जाकर कि आपको उपरोक्त कारण बताओ सूचना–पत्र में उल्लेखित आरोप स्वीकार है. आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जा सकेगा.

यह कारण बताओ सूचना–पत्र दिनांक 20 जनवरी 2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(G-1216)

शाजापुर, दिनांक 20 जनवरी 2026

कारण बताओ सूचना–पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रशासक / प्रबंधक,

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., मेघा खेडी,

पंजीयन क्रमांक 1374, दिनांक 20 मई 2020 जिला शाजापुर.

विषयः– मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना–पत्र.

क्र.–परि–2026–96.– विषयान्तर्गत निम्न बिन्दुओं के आधार पर क्यों न आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे.

1. संस्था गत वर्षों से अकार्यशील है तथा कार्यशील होने की कोई संभावना नहीं है.

2 संस्था द्वारा अपनी पंजीकृत उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों की पूर्ति नहीं की जा रही है.

3 संस्था निर्वाचन कराने में रूची नहीं ले रही है और वरिष्ठ कार्यालय के आदेश की अवहेलना की जा रही है.

अतः, मैं, ओ.पी. गुप्ता, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 (3) एवं सहकारिता विभाग की ज्ञापन क्रमांक–एफ–5–1–1999– पन्द्रह– 1 सी, दिनाक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह अपेक्षा करता हूँ कि इस सूचना–पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना–पत्र के संबंध में अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 19 फरवरी 2026 तक कार्यालयीन समय में मेरे समक्ष उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं.

यदि उक्त दिनांक अथवा उसके पूर्व संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया तो यह माना जाकर कि आपको उपरोक्त कारण बताओ सूचना–पत्र में उल्लेखित आरोप स्वीकार है. आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जा सकेगा.

यह कारण बताओ सूचना–पत्र दिनांक 20 जनवरी 2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(G-1217)

शाजापुर, दिनांक 20 जनवरी 2026

कारण बताओ सूचना–पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रशासक / प्रबंधक,

बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., जाईहेडा,

पंजीयन क्रमांक 864, दिनांक ...., जिला शाजापुर.

विषयः– मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना–पत्र.

क्र.–परि–2026–93.– विषयान्तर्गत निम्न बिन्दुओं के आधार पर क्यों न आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे.

1. संस्था गत वर्षों से अकार्यशील है तथा कार्यशील होने की कोई संभावना नहीं है.

2. संस्था द्वारा अपनी पंजीकृत उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों की पूर्ति नहीं की जा रही है.

3. संस्था निर्वाचन कराने में रूची नहीं ले रही है और वरिष्ठ कार्यालय के आदेश की अवहेलना की जा रही है.

अतः, मैं, ओ.पी. गुप्ता, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 (3) एवं सहकारिता विभाग की ज्ञापन क्रमांक–एफ–5–1–1999– पन्द्रह– 1 सी, दिनाक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह अपेक्षा करता हूँ कि इस सूचना–पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना–पत्र के संबंध में अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 19 फरवरी 2026 तक कार्यालयीन समय में मेरे समक्ष उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं.

यदि उक्त दिनांक अथवा उसके पूर्व संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया तो यह माना जाकर कि आपको उपरोक्त कारण बताओ सूचना–पत्र में उल्लेखित आरोप स्वीकार है. आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जा सकेगा.

यह कारण बताओ सूचना–पत्र दिनांक 20 जनवरी 2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(G-1218)

शाजापुर, दिनांक 20 जनवरी 2026

कारण बताओ सूचना–पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रशासक / प्रबंधक,

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., खेरखेडी,

पंजीयन क्रमांक 1193, दिनांक 27 जनवरी 2015, जिला शाजापुर.

विषयः– मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना–पत्र.

क्र.–परि–2026–94.– विषयान्तर्गत निम्न बिन्दुओं के आधार पर क्यों न आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे.

1. संस्था गत वर्षों से अकार्यशील है तथा कार्यशील होने की कोई संभावना नहीं है.

2. संस्था द्वारा अपनी पंजीकृत उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों की पूर्ति नही की जा रही है.

3. संस्था निर्वाचन कराने में रूची नहीं ले रही है और वरिष्ठ कार्यालय के आदेश की अवहेलना की जा रही है.

अतः, मैं, ओ.पी. गुप्ता, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 (3) एवं सहकारिता विभाग की ज्ञापन क्रमांक–एफ–5–1–1999– पन्द्रह– 1 सी, दिनाक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह अपेक्षा करता हूँ कि इस सूचना–पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना–पत्र के संबंध में अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 19 फरवरी 2026 तक कार्यालयीन समय में मेरे समक्ष उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं.

यदि उक्त दिनांक अथवा उसके पूर्व संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया तो यह माना जाकर कि आपको उपरोक्त कारण बताओ सूचना–पत्र में उल्लेखित आरोप स्वीकार है. आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जा सकेगा.

यह कारण बताओ सूचना–पत्र दिनांक 20 जनवरी 2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(G-1219)

शाजापुर, दिनांक 20 जनवरी 2026

कारण बताओ सूचना–पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रशासक / प्रबंधक,

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बीजनाखेडी,

पंजीयन क्रमांक 1167, दिनांक 15 दिसम्बर 2014, जिला शाजापुर.

विषयः– मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना–पत्र.

क्र.–परि–2026–99.– विषयान्तर्गत निम्न बिन्दुओं के आधार पर क्यों न आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे.

1. संस्था गत वर्षों से अकार्यशील है तथा कार्यशील होने की कोई संभावना नहीं है.

2. संस्था द्वारा अपनी पंजीकृत उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों की पूर्ति नही की जा रही.

3. संस्था निर्वाचन कराने में रूची नहीं ले रही है और वरिष्ठ कार्यालय के आदेश की अवहेलना की जा रही है.

अतः, मैं, ओ.पी. गुप्ता, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 (3) एवं सहकारिता विभाग की ज्ञापन क्रमांक–एफ–5–1–1999– पन्द्रह– 1 सी, दिनाक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह अपेक्षा करता हूँ कि इस सूचना–पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना–पत्र के संबंध में अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 19 फरवरी 2026 तक कार्यालयीन समय में मेरे समक्ष उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं.

यदि उक्त दिनांक अथवा उसके पूर्व संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया तो यह माना जाकर कि आपको उपरोक्त कारण बताओ सूचना–पत्र में उल्लेखित आरोप स्वीकार है. आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जा सकेगा.

यह कारण बताओ सूचना–पत्र दिनांक 20 जनवरी 2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(G-1220)

शाजापुर, दिनांक 20 जनवरी 2026

कारण बताओ सूचना–पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रशासक / प्रबंधक,

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., भोपाखेडी,

पंजीयन क्रमांक 104948, दिनांक 30 जुलाई 2021, जिला शाजापुर.

विषयः– मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना–पत्र.

क्र.–परि–2026–95.– विषयान्तर्गत निम्न बिन्दुओं के आधार पर क्यों न आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे.

1. संस्था गत वर्षों से अकार्यशील है तथा कार्यशील होने की कोई संभावना नहीं है.

2. संस्था द्वारा अपनी पंजीकृत उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों की पूर्ति नहीं की जा रही है.

3. संस्था निर्वाचन कराने में रूची नही ले रही है और वरिष्ठ कार्यालय के आदेश की अवहेलना की जा रही है.

अतः, मैं, ओ.पी. गुप्ता, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 (3) एवं सहकारिता विभाग की ज्ञापन क्रमांक–एफ–5–1–1999– पन्द्रह– 1 सी, दिनाक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह अपेक्षा करता हूँ कि इस सूचना–पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना–पत्र के संबंध में अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 19 फरवरी 2026 तक कार्यालयीन समय में मेरे समक्ष उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं.

यदि उक्त दिनांक अथवा उसके पूर्व संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया तो यह माना जाकर कि आपको उपरोक्त कारण बताओ सूचना–पत्र में उल्लेखित आरोप स्वीकार है. आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जा सकेगा.

यह कारण बताओ सूचना–पत्र दिनांक 20 जनवरी 2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है.

ओ.पी. गुप्ता, उप पंजीयक.

(G-1221)

कार्यालय, परिसमापक, परिसमापनाधीन सहकारी संस्थाएं, दमोह, मध्यप्रदेश

दमोह, दिनांक 14 जनवरी 2026

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम, 57 (सी) के अंतर्गत]

क्र.–58–परि.–2026.– समस्त नीचे दर्शित परिसमापित संस्थाओं के सदस्यों को सूचित किया जाता है कि आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर हमें धारा 70 (1) के अंतर्गत उक्त संस्थाओं के परिसमापक नियुक्त किया गया है:–

अतः, मैं, पूनम जैन, उप–अंकेक्षक संबंधित संस्था के परिसमापक मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (सी) के अंतर्गत यह सूचना प्रसारित करते हैं कि संबंधित संस्था के प्रति कोई दावे या आपत्ति या कोई रिकार्ड हो तो वे इस सूचना–पत्र के जारी होने के दिनांक से 15 दिवस के अंदर हमें कार्यालय, सहायक आयुक्त, सहकारिता, जिला दमोह में, मय–प्रमाण के लिखित रूप से प्रस्तुत करें, समयावधि पश्चात् प्राप्त दावें आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा तथा संस्था की परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्त करने हेतु प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत कर दिया जायेंगा.

यह भी सूचित किया जाता है कि संबंधित संस्थां के कर्मचारी, सदस्य, सक्षम पदाधिकारियों के पास संस्था का रिकार्ड, परिसंपत्ति या नगदी कोई हो तो उसे उपरोक्त अवधि में हमारे पास जमा करवा देवें अन्यथा उनके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जावेगी:–

क्र. (1)	संस्था का नाम (2)	पंजीयन क्रमांक व दिनांक (3)	परिसमापन आदेश क्रमांक व दिनांक (4)	परिसमापक का नाम व पद (5)
1	मिनिसपल इम्पलाये सहकारी समिति, दमोह.	46 / 15.06.60	1000 / 25–08–2001	पूनम जैन, उप अंकेक्षक
2	मजदूर अल्प बचत सहकारी समिति, मर्यादित दमोह.	276 / 23.01.74	15 / 04–01–2001	पूनम जैन, उप अंकेक्षक
3	प्रगति रफतार यातायात सह समिति, मर्यादित दमोह.	420 / 30.03.91	1251 / 29–07–2006	पूनम जैन, उप अंकेक्षक
4	वीर सावरकर रफतार यातायात सहकारी समिति, दमोह.	424 / 22.01.92	1252 / 29–07–2006	पूनम जैन, उप अंकेक्षक
5	शासकीय वन कर्मी अल्प बचत सह समिति मर्या., दमोह.	463 / 09.02.96	99 / 05–02–2009	पूनम जैन, उप अंकेक्षक
6	जिला सहकारी मुद्रणालय परिमित दमोह	74 / 07.12.1962	125 / 04--01–2001	पूनम जैन, उप अंकेक्षक
7	चर्मकार सह. समिति, तेन्दूखेडा	451 / 30.07.1993	1299 / 29–07–2006	पूनम जैन, उप अंकेक्षक
8	वन श्रमिक सहकारी तारादेही	478 / 02.05.1996	399 / 13–08–1989	पूनम जैन, उप अंकेक्षक
9	संयुक्त कृषि सहकारी समिति, दोनी तेन्दूखेड़ा.	05 / 02.05.1962	3588 / 25–06–1970	पूनम जैन, उप अंकेक्षक

(G-1222)

पूनम जैन, उप अंकेक्षक.

दमोह, दिनांक 14 जनवरी 2026

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम, 57 (सी) के अंतर्गत]

क्र.–58–परि.–2026.– समस्त नीचे दर्शित परिसमापित संस्थाओं के सदस्यों को सूचित किया जाता है कि आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर हमें धारा 70 (1) के अंतर्गत उक्त संस्थाओं के परिसमापक नियुक्त किया गया हैः–

अतः, मैं, चन्द्रशेखर झा आजाद, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक संबंधित संस्था के परिसमापक मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम–57 (सी) के अंतर्गत यह सूचना प्रसारित करते हैं कि संबंधित संस्था के प्रति कोई दावे या आपत्ति या कोई रिकार्ड हो तो वे इस सूचना–पत्र के जारी होने के दिनांक से 15 दिवस के अंदर हमें कार्यालय, सहायक आयुक्त, सहकारिता जिला दमोह में, मय–प्रमाण के लिखित रूप से प्रस्तुत करें, समयावधि पश्चात् प्राप्त दावें आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा तथा संस्था की परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्त करने हेतु प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत कर दिया जायेंगा.

यह भी सूचित किया जाता है कि संबंधित संस्था के कर्मचारी, सदस्य, सक्षम पदाधिकारियों के पास संस्था का रिकार्ड, परिसंपत्ति या नगदीं कोई हो तो उसे उपरोक्त अवधि में हमारे पास जमा करवा देवें अन्यथा उनके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जावेगीः–

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक व दिनांक	परिसमापक का नाम व पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	नवयुवक बुनकर सह समिति मर्या., दमोह	381 / 21–11–88	720 / 27–09–2000	चन्द्रशेखर झा आजाद, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक.
2.	नूरी बुनकर सह समिति मर्यादित, दमोह	312 / 15–12–1992	22 / 04–01–2001	चन्द्रशेखर झा आजाद, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक.
3.	बुन्देलखंड बुनकर सह समिति मर्यादित दमोह.	225 / 16–06–1994	320 / 19–05–2000	चन्द्रशेखर झा आजाद, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक.
4.	तिलहन उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, खोजाखेड़ी.	387 / 30–11–89	502 / 07–04–2007	चन्द्रशेखर झा आजाद, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक.
5.	तिलहन उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, हिरदेपुर.	397 / 30–08–90	501 / 07–04–2007	चन्द्रशेखर झा आजाद, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक.
6.	तिलहन उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, पालर.	405 / 17–09–90	1392 / 28–08–2006	चन्द्रशेखर झा आजाद, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक.
7.	तिलहन उत्पादक सहकारी समिति, मर्यादित, लुहर्रा.	436 / 15–10–92	1385 / 28–08–2006	चन्द्रशेखर झा आजाद, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक.
8.	तिलहन उत्पादक सहकारी समिति, मर्यादित, रियाना	466 / 03–06–1995	500 / 04–04–2007	चन्द्रशेखर झा आजाद, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक.
9.	सेन्टल रेलवे इम्पाइलज कंजुमर कोपरेटिव सह. समिति, भण्डार दमोह.	40 / 22–03–60	32 / 04–01–2001	चन्द्रशेखर झा आजाद, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक.
10.	लुकायन सह. दुग्धालय सह. समिति मर्यादित, लुकायन.	238 / 27–10–1970	42 / 04–01–2001	चन्द्रशेखर झा आजाद, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
11.	आदिम जाति हरिजन खनिज कामगार सह.स., बटियागढ.	437 / 22–01–1993	04–01–1993	चन्द्रशेखर झा आजाद, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक.
12.	तिलहन उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, फुटेराकलां.	389 / 30–11–1989	1398 / 28–08–2006	चन्द्रशेखर झा आजाद, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक.
13.	तिलहन उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, खडेरी.	390 / 30–11–1990	1384 / 28–08–2006	चन्द्रशेखर झा आजाद, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक.
14.	तिलहन उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, विलानी.	391 / 30–11–1990	44 / 04–04–2001	चन्द्रशेखर झा आजाद, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक.
15.	तिलहन उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, केरवना.	398 / 30–08–1980	1402 / 28–08–2006	चन्द्रशेखर झा आजाद, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक.
16.	तिलहन उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, बम्होरी लडाई.	421 / 31–10–1991	48 / 04–01–2001	चन्द्रशेखर झा आजाद, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक.
17.	तिलहन उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, बकायन.	393 / 22.01.1990	1395 / 28–08–2006	चन्द्रशेखर झा आजाद, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक.
18.	तिलहन उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, मगरोन.	402 / 31.08.1990	1382 / 28–08–2006	चन्द्रशेखर झा आजाद, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक.
19.	बसोर अधोगिक सहकारी समिति, चिरोला	52 / 15.11.1960	1048 / 30–03–1979	चन्द्रशेखर झा आजाद, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक.
20.	बहुउदेशीय महिला सहकारी समिति मर्यादित, दमोह.	02 / 08–06–59	82 / 01–10–1963	चन्द्रशेखर झा आजाद, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक.
21.	शक्ति महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्यादित, इमलाई.	520 / 30–08–02	338 / 26–03–2016	चन्द्रशेखर झा आजाद, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक.
22.	आदिवासी सामूहिक क्शि सहकारी समिति, लखनपुरा.	86 / 13–01–64	2505 / 26–11–1988	चन्द्रशेखर झा आजाद, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक.
23.	जवाहर–वाग स्वकार सामूहिक कृषि सह. समिति, कुन्जपुरा.	105 / 15–02–65	1052 / 30–04–1992	चन्द्रशेखर झा आजाद, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक.
24.	इंदिरा गांधी दुग्ध उत्पादक सह. समिति, दमोह.	280 / 06–01–76	191 / 23–10–1982	चन्द्रशेखर झा आजाद, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक.

(G-1223) **चन्द्रशेखर झा आजाद,** वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक.

दमोह, दिनांक 14 जनवरी 2026

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम, 57 (सी) के अंतर्गत]

क्र.—58—परि.—2026.— समस्त नीचे दर्शित परिसमापित संस्थाओं के सदस्यों को सूचित किया जाता है कि आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर हमें धारा 70 (1) के अंतर्गत उक्त संस्थाओं के परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

अतः, मैं, उमेश कुमार खटीक, सहकारी निरीक्षक संबंधित संस्था के परिसमापक मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (सी) के अंतर्गत यह सूचना प्रसारित करते हैं कि संबंधित संस्था के प्रति कोई दावे या आपत्ति या कोई रिकार्ड हो तो वे इस सूचना—पत्र के जारी होने के दिनांक से 15 दिवस के अंदर हमें कार्यालय सहायक आयुक्त, सहकारिता, जिला दमोह में, मय—प्रमाण के लिखित रूप से प्रस्तुत करें, समयावधि पश्चात् प्राप्त दावें आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा तथा संस्था की परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्त करने हेतु प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत कर दिया जावेंगा.

21 यह भी सूचित किया जाता है कि संबंधित संस्था के कर्मचारी, सदस्य, सक्षम पदाधिकारियों के पास संस्था का रिकार्ड, परिसंपत्ति या नगदी कोई हो तो उसे उपरोक्त अवधि में हमारे पास जमा करवा देवें अन्यथा उनके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जावेगी:—

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक व दिनांक	परिसमापक का नाम व पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	तिलहन उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, सरखड़ी देवरान.	386 / 30.11.1989	1403 / 28—08—2006	उमेश कुमार खटीक, सहकारी निरीक्षक.
2.	तिलहन उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, किन्द्रहो.	388 / 30.11.1989	1383 / 28—08—2006	उमेश कुमार खटीक, सहकारी निरीक्षक.
3.	तिलहन उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, लखरौनी.	392 / 30.11.1989	1399 / 28—08—2006	उमेश कुमार खटीक, सहकारी निरीक्षक.
4.	तिलहन उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, सीतानगर.	395 / 30.08.1990	49 / 04—01—2001	उमेश कुमार खटीक, सहकारी निरीक्षक.
5.	तिलहन उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, चम्पत पिपरिया.	400 / 30.08.1990	1386 / 28—08—2006	उमेश कुमार खटीक, सहकारी निरीक्षक.
6.	तिलहन उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, किशुनगंज.	403 / 17.09.1990	1400 / 28—08—2006	उमेश कुमार खटीक, सहकारी निरीक्षक.
7.	तिलहन उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, बोतराई.	404 / 17.09.1990	1391 / 28—08—2006	उमेश कुमार खटीक, सहकारी निरीक्षक.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
8.	सामूहिक कृषि सह. समिति, खोजाखेडी	134 / 26.09.1967	230 / 04–02–1985	उमेश कुमार खटीक, सहकारी निरीक्षक.
9.	तिलहन उत्पादक सहकारी समिति, मर्यादित, नयागांव.	430 / 01.09.1992	1398 / 28–08–2006	उमेश कुमार खटीक, सहकारी निरीक्षक.
10.	हरिजन सामूहिक कृषि सह. समिति, सकोर	214 / 29.04.1970	1938 / 23–10–1982	उमेश कुमार खटीक, सहकारी निरीक्षक.
11.	आदिवासी सामूहिक कृषि समिति, कलकुंबा	251 / 07.01.1971	1937 / 23–10–1982	उमेश कुमार खटीक, सहकारी निरीक्षक.
12.	तिलहन उत्पादक सहकारी समिति, कांटी	399 / 30.08.1990	46 / 04–01–2001	उमेश कुमार खटीक, सहकारी निरीक्षक.
13.	तिलहन उत्पादक सहकारी समिति, कनकतला.	401 / 31.08.1990	47 / 04–01–2001	उमेश कुमार खटीक, सहकारी निरीक्षक.
14.	तिलहन उत्पादक सहकारी समिति, हिनोताकंला.	435 / 15.10.1992	1387 / 28–08–2006	उमेश कुमार खटीक, सहकारी निरीक्षक.
15.	तिलहन उत्पादक सहकारी समिति, रनेह	480 / 25.06.1996	1394 / 28–08–2006	उमेश कुमार खटीक, सहकारी निरीक्षक.
16.	तिलहन उत्पादक समिति, भैसा	460 / 17.11.1994	1395 / 28–08–2006	उमेश कुमार खटीक, सहकारी निरीक्षक.
17.	तिलहन उत्पादक सहकारी समिति, मडियादो.	493 / 21.01.1998	1389 / 28–08–2006	उमेश कुमार खटीक, सहकारी निरीक्षक.
18.	तिलहन उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, बोरीखुर्द.	481 / 26.06.1996	368 / 26–03–2016	उमेश कुमार खटीक, सहकारी निरीक्षक.

(G-1224) **उमेश कुमार खटीक,** सहकारी निरीक्षक.

दमोह, दिनांक 14 जनवरी 2026

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम, 57 (सी) के अंतर्गत]

क्र.–58–परि.–2026.– समस्त नीचे दर्शित परिसमापित संस्थाओं के सदस्यों को सूचित किया जाता है कि आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर हमें धारा 70(1) के अंतर्गत उक्त संस्थाओं के परिसमापक नियुक्त किया गया है:–

अतः, मैं, मनोज कुमार चौधरी, सहकारी निरीक्षक संबंधित संस्था के परिसमापक मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1962 के नियम–57 (सी) के अंतर्गत यह सूचना प्रसारित करते हैं कि संबंधित संस्था के प्रति कोई दावे या आपत्ति या कोई रिकार्ड हो तो वे इस सूचना–पत्र के जारी होने के दिनांक से 15 दिवस के अंदर हमें कार्यालय सहायक आयुक्त, सहकारिता जिला दमोह में, मय–प्रमाण के लिखित रूप से प्रस्तुत करें, समयावधि पश्चात् प्राप्त दावें आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा तथा संस्था की परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्त करने हेतु प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत कर दिया जावेगा.

यह भी सूचित किया जाता है कि संबंधित संस्था के कर्मचारी, सदस्य, सक्षम पदाधिकारियों के पास संस्था का रिकार्ड, परिसंपत्ति या नगदी कोई हो तो उसे उपरोक्त अवधि में हमारे पास जमा करवा देवें अन्यथा उनके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जावेगीः–

क्र.	संस्था के नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक व दिनांक	परिसमापक का नाम व पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	स्वादिष्ठ कत्था उधोग सहकारी समिति, दमोह.	272 / 17–05–73	224 / 23–01–1995	मनोज कुमार चौधरी, सहकारा निरीक्षक.
2.	डायमंड चर्म उघोग सह. समिति, मर्या., दमोह.	297 / 01–01–81	707 / 31–03–1995	मनोज कुमार चौधरी, सहकारी निरीक्षक.
3.	आर्दश तेलघानी उघोग सह. समिति मर्या., दमोह.	482 / 30–10–1996	3796 / 12–12–1967	मनोज कुमार चौधरी, सहकारी निरीक्षक.
4.	मछुआ सहकारी समिति, हिनोती खेतसींग	461 / 30–11–1994	1259 / 29–12–2009	मनोज कुमार चौधरी, सहकारी निरीक्षक.
5.	रानी दुर्गावती बुनकर सह. समिति, देवतरा	412 / 25–11–1993	1414 / 16–11–2000	मनोज कुमार चौधरी, सहकारी निरीक्षक.
6.	तिलहन उत्पादक सह. समिति, जबेरा	452 / 29–12–1993	1388 / 28–08–2006	मनोज कुमार चौधरी, सहकारी निरीक्षक.
7.	भारतीय कृषक बीज उत्पादक सह. समिति, हिनोती पिपरिया.	525 / 05–10–2002	766 / 31–01–2013	मनोज कुमार चौधरी, सहकारी निरीक्षक.
8.	माधौ संयुक्त सामूहिक कृषि सह. समिति, माधौ.	84 / 24–12–1963	3589 / 25–06–1970	मनोज कुमार चौधरी, सहकारी निरीक्षक.
9.	सामूहिक कृषि सह देवरी लीलाधर	231 / 07–07–1970	577 / 06–03–1995	मनोज कुमार चौधरी, सहकारी निरीक्षक.
10.	संयुक्त कृषि सहकारी समिति, धरी	06 / 26–10–1962	1452 / 06–09–1996	मनोज कुमार चौधरी, सहकारी निरीक्षक.
11.	संयुक्त कृषि सह समिति, जबाहर नगर तेन्दूखेड़ा	19 / 24–12–1962	4330 / 12–08–1968	मनोज कुमार चौधरी, सहकारी निरीक्षक.
12.	संयुक्त कृषि समिति, दिनारी	07 / 27–12–1963	3591 / 25–06–1970	मनोज कुमार चौधरी, सहकारी निरीक्षक.
13.	संयुक्त कृषि समिति, जरुआ	17 / 20–08–1963	1452 / 06–09–1996	मनोज कुमार चौधरी, सहकारी निरीक्षक.

(G-1225) **मनोज कुमार चौधरी,** सहकारी निरीक्षक.

दमोह, दिनांक 14 जनवरी 2026

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम, 57 (सी) के अंतर्गत]

क्र.–58–परि.–2026.– समस्त नीचे दर्शित परिसमापित संस्थाओं के सदस्यों को सूचित किया जाता है कि आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर हमें धारा 70 (1) के अंतर्गत उक्त संस्थाओं के परिसमापक नियुक्त किया गया है:–

अतः, मैं, प्रमोद कुमार खरे, सहकारी–निरीक्षक संबंधित संस्था के परिसमापक मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम–57 (सी) के अंतर्गत यह सूचना प्रसारित करते हैं कि संबंधित संस्था के प्रति कोई दावे या आपत्ति या कोई रिकार्ड हो तो वे इस सूचना–पत्र के जारी होने के दिनांक से 15 दिवस के अंदर हमें कार्यालय, सहायक आयुक्त, सहकारिता, जिला दमोह में, मय–प्रमाण के लिखित रूप से प्रस्तुत करें, समयावधि पश्चात् प्राप्त दावें आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा तथा संस्था की परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्त करने हेतु प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत कर दिया जावेगा.

यह भी सूचित किया जाता है कि संबंधित संस्था के कर्मचारी, सदस्य, सक्षम पदाधिकारियों के पास संस्था का रिकार्ड, परिसंपत्ति या नगदी कोई हो तो उसे उपरोक्त अवधि में हमारे पास जमा करवा देवें अन्यथा उनके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जावेगी:–

क्र.	संस्थाओं के नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक व दिनांक	परिसमापक का नाम व पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति, कुसमी	289 / 01–01–1981	2674 / 21–12–1994	प्रमोद कुमार खरे, सहकारी निरीक्षक.
2.	आदिवासी सामूहिक कृषि सहकारी समिति, जेर.	85 / 10–01–1964	1910 / 23–10–1982	प्रमोद कुमार खरे, सहकारी निरीक्षक.
3.	आदिवासी सामूहिक कृषि समिति, खेरी पैरवारा.	253 / 29–01–1971	1957 / 23–10–1982	प्रमोद कुमार खरे, सहकारी निरीक्षक.
4.	तिलहन उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, पटेरा.	429 / 01–09–1992	1387 / 28–08–2006	प्रमोद कुमार खरे, सहकारी निरीक्षक.
5.	तिलहन उत्पादक सहकारी समिति , मर्यादित, वनगांव.	396 / 30–08–1990	1404 / 28–08–2006	प्रमोद कुमार खरे, सहकारी निरीक्षक.
6.	आदिवासी सामूहिक कृषि समिति, माला बम्होरी	234 / 15–09–1970	1625 / 27–05–1976	प्रमोद कुमार खरे, सहकारी, निरीक्षक.
7.	सामूहिक कृषि सह समिति, खमरिया	241 / 05–12–1970	2284 / 24–01–1995	प्रमोद कुमार खरे, सहकारी निरीक्षक.
8.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति, हरदुआ सिंगौरगढ़	291 / 01–01–1981	2675 / 21–12–1994	प्रमोद कुमार खरे, सहकारी निरीक्षक.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
9.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति, भाटखमरिया.	292 / 01–01–1981	471 / 04–04–2007	प्रमोद कुमार खरे, सहकारी निरीक्षक.
10.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति, कोरता पिपरिया.	296 / 01–01–1981	477 / 05–04–2007	प्रमोद कुमार खरे, सहकारी निरीक्षक.
11.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति, गुबरा	298 / 01–01–1981	2676 / 21–12–1994	प्रमोद कुमार खरे, सहकारी निरीक्षक.
12.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति, बम्होरी	304 / 11–03–1981	483 / 05–04–2007	प्रमोद कुमार खरे, सहकारी निरीक्षक.
13.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति, चौरई	313 / 07–09–1983	2065 / 25–09–1993	प्रमोद कुमार खरे, सहकारी निरीक्षक.
14.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति, बम्होरी माला.	658 / 20–01–2011	472 / 04–04–2007	प्रमोद कुमार खरे, सहकारी निरीक्षक.
15.	आदिवासी वनवासी श्रमिक सह. समिति, सिंग्रामपुर.	94 / 25–02–1964	1945 / 12–10–1982	प्रमोद कुमार खरे, सहकारी निरीक्षक.
16.	मछुआ सहकारी समिति, जबरा	132 / 13–07–1967	1258 / 29–07–2006	प्रमोद कुमार खरे, सहकारी निरीक्षक.

(G-1226)

प्रमोद कुमार खरे, सहकारी निरीक्षक.

कार्यालय, सहायक आयुक्त (प्रशासन), सहकारिता, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश

बड़वानी, दिनांक 26 दिसम्बर 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1)(2) के अंतर्गत]

क्र.–परि.–2025–1550.– कार्यालयीन आदेश क्रमांक–परि.–939, बड़वानी, दिनांक 28 जनवरी 2009 के द्वारा सतपुड़ा फल साग – सब्जी सहकारी संस्था मर्यादित, खेतिया (पंजीयन प्रमाण–पत्र एवं पंजीयन नंम्बर व दिनांक के आधार पर) जिला बड़वानी, जिसका पंजीयन क्रमांक–25, दिनांक 6 जून 2001 है, को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 (1) के अन्तर्गत श्री राजेन्द्र सिरसाट, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, सहकारिता, जिला बड़वानी को संस्था परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की परिसमापन संबंधी कार्यवाही पूर्ण करके संस्था का स्थिति विवरण पत्रक निरंक किया जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन इस कार्यालय को प्रस्तुत किया गया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ, कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः, मैं, सुरेश सांवले, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) (2) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक–एफ–5–1–99–पन्द्रह–1–डी, दिनांक 26 जुलाई 1999 के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त परिसमापनाधीन सतपुड़ा फल साग – सब्जी सहकारी संस्था मर्यादित, खेतिया, जिला बड़वानी, जिसका पंजीयन क्रमांक 25, दिनांक 06 जून 2001 है; संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का (बॉडी कार्पोरेट) निकाय समाप्त करता हूँ.

आज दिनांक 26 दिसम्बर 2025 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(G-1227)

सुरेश सांवले, सहायक पंजीयक.

बड़वानी, दिनांक 26 दिसम्बर 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1)(2) के अंतर्गत]

क्र.–परि.–2025–1551.– कार्यालयीन आदेश क्रमांक–परि.--2023–455 बड़वानी, दिनांक 13 मार्च 2013 के द्वारा सेंधवा साख सहकारी संस्था. मर्यादित, सेंधवा (पंजीयन प्रमाण–पत्र एवं पंजीयन नम्बर व दिनांक के आधार पर) जिला बड़वानी, जिसका पंजीयन क्रमांक 352, दिनांक 28 फरवरी 2005 है, को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 (1) के अन्तर्गत श्री जे.एस. रावत, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक सहकारिता, जिला बड़वानी को संस्था परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की परिसमापन संबंधी कार्यवाही पूर्ण करके संस्था का स्थिति विवरण पत्रक निरंक किया जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन इस कार्यालय को प्रस्तुत किया गया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ, कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

' अतः, मैं, सुरेश सांवले, सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 18(1)(2) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक–एफ–5–1–99--पन्द्रह–1–डी, दिनांक 26 जुलाई 1999 के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त परिसमापनाधीन, सेंधवा साख सहकारी संस्था मर्यादित, सेंधवा जिला बड़वानी, जिसका पंजीयन क्रमांक 352, दिनांक 28 फरवरी 2005 है, संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का (बॉडी कार्पोरेट) निकाय समाप्त करता हूँ.

आज दिनांक 26 दिसम्बर 2025 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(G-1228)

बड़वानी, दिनांक 26 दिसम्बर 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1)(2) के अंतर्गत]

क्र.–परि.–2025–1552.– कार्यालयीन आदेश क्रमांक–परि.–757 बड़वानी, दिनांक 18 मई 2022 के द्वारा आदिवासी ग्रामीण महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्यादित, गारा (पंजीयन प्रमाण पत्र एव पंजीयन नम्बर व दिनाक के आधार पर) जिला बड़वानी, जिसका पंजीयन क्रमांक 79, दिनांक 4 दिसम्बर 2002 है, को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 (1) के अन्तर्गत श्री महेन्द्र तड़वाल, उप अंकेक्षण, सहकारिता, जिला बड़वानी को संस्था परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की परिसमापन संबंधी कार्यवाही पूर्ण करके संस्था का स्थिति विवरण पत्रक निरंक किया जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन इस कार्यालय को प्रस्तुत किया गया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ, कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

' अतः, मैं, सुरेश सांवले, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 18(1)(2) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक–एफ–5–1–99–पन्द्रह–1–डी, दिनांक 26 जुलाई 1999 के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त परिसमापनाधीन, आदिवासी ग्रामीण महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्यादित, गारा, जिसका पंजीयन क्रमांक 79, दिनांक 4 दिसम्बर 2002 है, संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का (बॉडी कार्पोरेट) निकाय समाप्त करता हूँ.

आज दिनांक 26 दिसम्बर 2025 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(G-1229)

बड़वानी, दिनांक 26 दिसम्बर 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1)(2) के अंतर्गत]

क्र.–परि.–2025–1553.– कार्यालयीन आदेश क्रमांक–परि.–556 बड़वानी, दिनांक 18 मई 2022 के द्वारा श्री सांई सेवा साख सहकारी संस्था मर्यादित, पानसेमल (पंजीयन प्रमाण–पत्र एव पंजीयन नम्बर व दिनांक के आधार पर) जिला बड़वानी, जिसका पंजीयन क्रमांक 518, दिनांक 05 अगस्त 2016 है, को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 (1) के अन्तर्गत श्री राधेश्याम चौहान, उप अंकेक्षक, सहकारिता, जिला बड़वानी को संस्था परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की परिसमापन संबंधी कार्यवाही पूर्ण करके संस्था का स्थिति विवरण पत्रक निरंक किया जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन इस कार्यालय को प्रस्तुत किया गया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ, कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः, मैं, सुरेश सांवले, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 18(1)(2) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक–एफ–5–1–99–पन्द्रह–1–डी, दिनांक 26 जुलाई 1999 के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त परिसमापनाधीन श्री सांई सेवा साख सहकारी संस्था मर्यादित, पानसेमल, जिला बड़वानी, जिसका पंजीयन क्रमांक 518, दिनांक 05 अगस्त 2016 है, संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का (बॉडी कार्पोरेट) निकाय समाप्त करता हूँ.

आज दिनांक 26 दिसम्बर 2025 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(G-1230)

बड़वानी, दिनांक 26 दिसम्बर 2025

[मध्यप्रदेश समितियॉ अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1)(2) के अंतर्गत]

क्र.–परि.–2025–1554.– कार्यालयीन आदेश क्रमांक–परि.–758, बड़वानी, दिनांक 18 मई 2022 के द्वारा मोहम्मदी साख सहकारी संस्था मर्यादित, बड़वानी (पंजीयन प्रमाण–पत्र एव पंजीयन नंम्बर व दिनांक के आधार पर) जिला बड़वानी, जिसका पंजीयन क्रमांक 394, दिनांक 21 नवम्बर 2014 है, को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 (1) के अन्तर्गत श्री जे.एस. चौहान, अंकेक्षक, अधिकारी सहकारिता, जिला बड़वानी को संस्था परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की परिसमापन संबंधी कार्यवाही पूर्ण करके संस्था का स्थिति विवरण पत्रक निरंक किया जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन इस कार्यालय को प्रस्तुत किया गया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ, कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः, मैं, सुरेश सांवले, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 18(1)(2) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक–एफ–5–1–99–पन्द्रह–1–डी, दिनांक 26 जुलाई 1999 के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त परिसमापनाधीन मोहम्मदी साख सहकारी संस्था मर्यादित, बड़वानी, जिसका पंजीयन क्रमांक 394, दिनांक 21 नवम्बर 2014 है, संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का (बॉडी कार्पोरेट) निकाय समाप्त करता हूँ.

आज दिनांक 26 दिसम्बर 2025 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(G-1231)

बड़वानी, दिनांक 26 दिसम्बर 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियॉ अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1)(2) के अंतर्गत]

क्र.–परि.–2025–1555.– कार्यालयीन आदेश क्रमांक–परि.–777 बड़वानी दिनांक 18 मई 2022 के द्वारा श्री राधे साख सहकारी संस्था मर्यादित, अंजड़ (पंजीयक प्रमाण–पत्र एव पंजीयन नंम्बर व दिनांक के आधार पर) जिला बड़वानी, जिसका पंजीयन क्रमांक 433 दिनांक 9 दिसम्बर 2014 है, को मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 (1) के अन्तर्गत श्री राजेन्द्र सिरसाट, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, सहकारिता, जिला बड़वानी को संस्था परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की परिसमापन संबंधी कार्यवाही पूर्ण करके संस्था का स्थिति विवरण पत्रक निरंक किया जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन इस कार्यालय को प्रस्तुत किया गया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ, कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः, मैं, सुरेश सांवले सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम 1960 की धारा 18(1)(2) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता. विभाग की अधिसूचना क्रमांक–एफ–5–1–99–पन्द्रह–1–डी दिनांक 26 जुलाई 1999 के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त परिसमापनाधीन श्री राधे साख सहकारी संस्था मर्यादित, अंजड़, जिला बड़वानी, जिसका पंजीयन क्रमांक 433 दिनांक 09 दिसम्बर 2014 है, संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का (बॉडी कार्पोरेट) निकाय समाप्त करता हूँ.

आज दिनांक 26 दिसम्बर 2025 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(G-1232)

बड़वानी, दिनांक 26 दिसम्बर 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियॉ अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1)(2) के अंतर्गत]

क्र.–परि.–2025–1556.– कार्यालयीन आदेश क्रमांक–परि.–2025–1467, बड़वानी, दिनांक 13 जुलाई 2022 के द्वारा बाबा महिला प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्यादित, बड़वानी (पंजीयन प्रमाण पत्र एव पंजीयन नंम्बर व दिनांक के आधार पर) जिला बड़वानी, जिसका पंजीयन कमांक 130 दिनांक 28 फरवरी 2005 है, को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 (1) के अन्तर्गत श्री जे.एस. रावत, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, सहकारिता, जिला बड़वानी को संस्था परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की परिसमापन संबंधी कार्यवाही पूर्ण करके संस्था का स्थिति विवरण पत्रक निरंक किया जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन इस कार्यालय को प्रस्तुत किया गया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ, कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः, मैं, सुरेश सांवले सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा 18(1)(2) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक–एफ–5–1–99–पन्द्रह–1–डी, दिनांक 26 जुलाई 1999 के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त परिसमापनाधीन, बाबा महिला प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्यादित, बड़वानी जिला बड़वानी, जिसका पंजीयन क्रमांक 130, दिनांक 28 फरवरी 2005 है, संस्था का पंजीयने निरस्त करते हुए संस्था का (बॉडी कार्पोरेट) निकाय समाप्त करता हूँ.

आज दिनांक 26 दिसम्बर 2025 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(G-1233)

बड़वानी, दिनांक 26 दिसम्बर 2025

[मध्यप्रदेश समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1)(2) के अंतर्गत]

क्र.–परि.–2025–1557.– कार्यालयीन आदेश क्रमांक–परि.–2025–1467, बड़वानी, दिनांक 13 जुलाई 2022 के द्वारा रेवाश्रय मुद्रणालय सहकारी संस्था संस्था मर्यादित, बड़वानी खुर्द (पंजीयन प्रमाण पत्र एवं पंजीयन नंम्बर व दिनांक के आधार पर) जिला बड़वानी, जिसका पंजीयन क्रमांक 10, दिनांक 20 सितम्बर 2000 है, को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां, अधिनियम 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70(1) के अन्तर्गत श्री जे.एस.रावत, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक सहकारिता, जिला बड़वानी को संस्था परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की परिसमापन संबंधी कार्यवाही पूर्ण करके संस्था का स्थिति विवरण पत्रक निरंक किया जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन इस कार्यालय को प्रस्तुत किया गया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः, मैं, सुरेश सांवले, सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 18(1)(2) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक–एफ–5–1–99–पन्द्रह–1–डी, दिनांक 26 जुलाई 1999 के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त परिसमापनाधीन, रेवाश्रय मुद्रणालय सहकारी संस्था मर्यादित, बड़वानी खुर्द, जिला बड़वानी, जिसका पंजीयन क्रमांक 10, दिनांक 20 सितम्बर 2000 है, संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का (बॉडी कार्पोरेट) निकाय समाप्त करता हूँ.

आज दिनांक 26 दिसम्बर 2025 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(G-1234)

बड़वानी, दिनांक 26 दिसम्बर 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियॉ अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1)(2) के अंतर्गत]

क्र.–परि.–2025–1558.– कार्यालयीन आदेश क्रमांक–परि.–358, बड़वानी, दिनांक 28 अप्रैल 2016 के द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, सुस्तीखेड़ा (पंजीयन प्रमाण–पत्र एवं पंजीयन नंम्बर व दिनांक के आधार पर) जिला बड़वानी, जिसका पंजीयन क्रमांक 230, दिनांक 01 नवम्बर 2007 है, को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 (1) के अन्तर्गत श्री जे.एस. चौहान, अंकेक्षण अधिकारी सहकारिता जिला बड़वानी को संस्था परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की परिसमापन संबंधी कार्यवाही पूर्ण करके संस्था का स्थिति विवरण पत्रक निरंक किया जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन इस कार्यालय को प्रस्तुत किया गया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ, कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः, मैं, सुरेश सांवले, सहायक पंजीयक सहकारी, संस्थाएं, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा 18(1)(2) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक–एफ–5–1–99–पन्द्रह–1–डी, दिनांक 26 जुलाई 1999 के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त परिसमापनाधीन दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, सुस्तीखेड़ा जिला बड़वानी, जिसका पंजीयन क्रमांक 230, दिनांक 01 नवम्बर 2007 है, संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का (बॉडी कार्पोरेट) निकाय समाप्त करता हूँ.

आज दिनांक 26 दिसम्बर 25 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(G-1235)

बड़वानी, दिनांक 26 दिसम्बर 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियॉ अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1)(2) के अंतर्गत]

क्र.–परि.–2025–1559.– कार्यालयीन आदेश क्रमांक–परि.–2541 बड़वानी, दिनांक 7 अक्टूबर 1998 के द्वारा महात्मा ज्योतिबा फुले दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित दोंदवाड़ा (पंजीयन प्रमाण–पत्र एवं पंजीयन नम्बर व दिनांक के आधार पर) जिला बड़वानी, जिसका पंजीयन क्रमांक 622 दिनांक 31 अक्टूबर 1983 है, को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 (1) के अन्तर्गत श्री भूपेन्द्र जामोद, उप अंकेक्षण सहकारिता, जिला बड़वानी को संस्था परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की परिसमापन संबंधी कार्यवाही पूर्ण करके संस्था का स्थिति विवरण पत्रक निरंक किया जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन इस कार्यालय को प्रस्तुत किया गया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः, मैं, सुरेश सांवले सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 18(1)(2) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक–एफ–5–1–99–पन्द्रह–1–डी दिनांक 26 जुलाई 1999 के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त परिसमापनाधीन महात्मा ज्योतिबा फुले दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, दोंदवाड़ा, जिला बड़वानी, जिसका पंजीयन क्रमांक 622, दिनांक 31 अक्टूबर 1983 है, संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का (बॉडी कार्पोरेट) निकाय समाप्त करता हूँ.

आज दिनांक 26 दिसम्बर 2025 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(G-1236)

बड़वानी, दिनांक 31 दिसम्बर 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1)(2) के अंतर्गत]

क्र.–परिसमापक–2025–1568.– कार्यालयीन आदेश क्रमांक–परि.–282, बड़वानी, दिनांक 19 जनवरी 1987 के द्वारा गायत्री दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, निवाली (पंजीयन प्रमाण–पत्र एवं पंजीयन नंम्बर व दिनांक के आधार पर) जिला बडवानी, जिसका पंजीयन क्रमांक 951, दिनांक 22 सितम्बर 1980 है. को मध्यप्रदेश सहकारी समितियों अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70(1) के अन्तर्गत श्री जे. एस. रावत, वरि. सहकारी निरीक्षक सहकारिता जिला बड़वानी को संस्था परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की परिसमापन संबंधी कार्यवाही पूर्ण करके संस्था का स्थिति विवरण पत्रक निरंक किया जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन इस कार्यालय को प्रस्तुत किया गया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ, कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः, मैं, सुरेश सांवले, सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम 1960 की धारा 18(1)(2) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक–एफ–5–99–पन्द्रह–1–डी, दिनांक 26 जुलाई 1999 के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त परिसमापनाधीन गायत्री दुग्ध सत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, निवाली, जिला बड़वानी, जिसका पंजीयन क्रमांक 951, दिनांक 22 सितम्बर 1980 है, संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का (बॉडी कार्पोरेट) निकाय समाप्त करता हूँ।

आज दिनांक 31 दिसम्बर 25 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(G-1237)

बड़वानी, दिनांक 31 दिसम्बर 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1)(2) के अंतर्गत]

क्र.–परिसमापक–2025–1569.– कार्यालयीन आदेश क्रमांक–परि. 131 बड़वानी, दिनांक 28 जून 2000 के द्वारा जय बजरंग आदिवासी मत्स्योघोग सहकारी संस्था मर्यादित, भोरवाड़ा (पंजीयन प्रमाण पत्र एवं पंजीयन नंम्बर व दिनांक के आधार पर) जिला बडवानी, जिसका पंजीयन क्रमांक 924, दिनांक 28 सितम्बर 1994 है. को मध्यप्रदेश सहकारी समितियों अधिनियम 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 (1) के अन्तर्गत श्री राधेश्याम चौहान उप अंकेक्षण सहकारिता जिला बड़वानी को संस्था परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा संस्था की परिसमापन संबंधी कार्यवाही पूर्ण करके संस्था का स्थिति विवरण पत्रक निरंक किया जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन इस कार्यालय को प्रस्तुत किया गया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ, कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, सुरेश सांवले, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 18(1)(2) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक–एफ–5–99–पन्द्रह–1–डी दिनांक 26 जुलाई 1999 के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त परिसमापनाधीन जय बजरंग आदिवासी मत्स्योघोग सहकारी संस्था मर्यादित, भोरवाड़ा जिला बड़वानी जिसका पंजीयन कमांक 924 दिनांक 28 सितम्बर 1994 है, संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का (बॉडी कार्पोरेट) निकाय समाप्त करता हूँ।

आज दिनांक 31 दिसम्बर 2025 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(G-1238)

बड़वानी, दिनांक 31 दिसम्बर 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1)(2) के अंतर्गत]

क्र.–परिसमापक–2025–1570.– कार्यालयीन आदेश क्रमांक–परि.–132 बड़वानी, दिनांक 28 जून 2006 के द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, तलाव (पंजीयन प्रमाण–पत्र एवं पंजीयन नंम्बर व दिनांक के आधार पर) जिला बड़वानी, जिसका पंजीयन क्रमांक 1104, दिनांक 16 जनवरी 1997 है, को मध्यप्रदेश सहकारी समितियों अधिनियम 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 (1) के अन्तर्गत श्री भूपेन्द्र जामोद, उप अंकेक्षक सहकारिता, जिला बड़वानी को संस्था परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की परिसमापन संबंधी कार्यवाही पूर्ण करके संस्था का स्थिति विवरण पत्रक निरंक किया जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन इस कार्यालय को प्रस्तुत किया गया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ, कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः, मैं, सुरेश सांवले, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 18(1)(2) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक–एफ–5–1–99–पन्द्रह–1–डी दिनांक 26 जुलाई 1999 के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त परिसमापनाधीन दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, तलाव, जिला बड़वानी, जिसका पंजीयन क्रमांक 1104, दिनांक 16 जनवरी 1997 है, संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का (बॉडी कार्पोरेट) निकाय समाप्त करता हूँ.

आज दिनांक 31 दिसम्बर 2020 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(G-1239)

बड़वानी, दिनांक 31 दिसम्बर 2025

[मध्यप्रदेश समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1)(2) के अंतर्गत]

क्र.—परिसमापक--2025--1571.— कार्यालयीन आदेश क्रमांक—परि.—1003 बड़वानी, दिनांक 08 दिसम्बर 2014 के द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मयादित, धमनई (पंजीयन प्रमाण—पत्र एवं पंजीयन नम्बर व दिनांक के आधार पर) जिला बड़वानी, जिसका पंजीयन क्रमांक 201, दिनांक 21 अप्रैल 2006 है, को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 (1) के अन्तर्गत श्री जगन्नाथ जमरे, सहकारी निरीक्षक, सहकारिता, जिला बड़वानी को संस्था परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की परिसमापन संबंधी कार्यवाही पूर्ण करके संस्था का स्थिति विवरण पत्रक निरंक किया जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन इस कार्यालय को प्रस्तुत किया गया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः, मैं, सुरेश सांवले, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला बडवानी, मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 18(1)(2) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता, विभाग की अधिसूचना क्रमांक—एफ—5—1—99—पन्द्रह—1—डी दिनांक 26 जुलाई 1999 के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त परिसमापनाधीन दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, धमनई, जिला बड़वानी, जिसका पंजीयन क्रमांक 201, दिनांक 21 अप्रैल 2006 है, संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का (बॉडी कार्पोरेट) निकाय समाप्त करता हूँ.

आज दिनांक 31 दिसम्बर 2025 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(G-1240)

बड़वानी, दिनांक 31 दिसम्बर 2025

[मध्यप्रदेश समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1)(2) के अंतर्गत]

क्र.—परिसमापक—2025—1572.— कार्यालयीन आदेश क्रमांक—परि.—2977, बड़वानी, दिनांक 22 अप्रैल 1971 के द्वारा हरिजन बुनकर साख सहकारी संस्था मर्यादित, सनगांव (पंजीयन प्रमाण—पत्र एवं पंजीयन नंम्बर व दिनांक के आधार पर) जिला बड़वानी, जिसका पंजीयन क्रमांक 129, दिनांक 22 सितम्बर 1953 है, को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 (1) के अन्तर्गत श्री जगन्नाथ जमरे, सहकारी निरीक्षक, सहकारिता, जिला बड़वानी को संस्था परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की परिसमापन संबंधी कार्यवाही पूर्ण करके संस्था का स्थिति विवरण पत्रक निरंक किया जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन इस कार्यालय को प्रस्तुत किया गया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः, मैं, सुरेश सांवले, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 18(1)(2) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक—एफ—5—1—99—पन्द्रह—1—डी दिनांक 26 जुलाई 1999 के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त परिसमापनाधीन हरिजन बुनकर साख सहकारी संस्था मर्यादित, सनगांव, जिला बड़वानी, जिसका पंजीयन क्रमांक 129, दिनांक 22 सितम्बर 1953 है, संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का (बॉडी कार्पोरेट) निकाय समाप्त करता हूँ.

आज दिनांक 31 दिसम्बर 2025 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा में जारी किया गया है.

(G-1241)

बड़वानी, दिनांक 31 दिसम्बर 2025

[मध्यप्रदेश समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1)(2) के अंतर्गत]

क्र.—परिसमापक—2025—1573.— कार्यालयीन आदेश क्रमांक—परि.—391 बड़वानी दिनांक 14 अगस्त 2019 के द्वारा प्राथमिक वृक्ष सहकारी संस्था मर्यादित, सोलवन (पंजीयन प्रमाण—पत्र एवं पंजीयन नम्बर व दिनांक के आधार पर), जिला बड़वानी, जिसका पंजीयन क्रमांक 838, दिनांक 28 अक्टूबर 1991 है, को मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 (1) के अन्तर्गत श्री जे.एस. रावत, पद वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक सहकारिता, जिला बड़वानी को संस्था परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की परिसमापन संबंधी कार्यवाही पूर्ण करके संस्था का स्थिति विवरण पत्रक निरंक किया जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन इस कार्यालय को प्रस्तुत किया गया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ, कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः, मैं, सुरेश सांवले, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश सहकारी समितियां, अधिनियम, 1960 की धारा 18(1)(2) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक—एफ—5—1—99—पन्द्रह—1—डी, दिनांक 26 जुलाई 1999 के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त परिसमापनाधीन प्राथमिक वृक्ष सहकारी संस्था मर्यादित, सोलवन, जिला बड़वानी, जिसका पंजीयन क्रमांक 838, दिनांक 28 अक्टूबर 1991 है, संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का (बॉडी कार्पोरेट) निकाय समाप्त करता हूँ.

आज दिनांक 31 दिसम्बर 2025 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(G-1242)

बड़वानी, दिनांक 31 दिसम्बर 2025

[मध्यप्रदेश समितियॉ अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1)(2) के अंतर्गत]

क्र.—परिसमापक—2025—1574.— कार्यालयीन आदेश क्रमांक—परि.—993 बड़वानी दिनांक 08 दिसम्बर 2014 के द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, साकड़ (पंजीयक प्रमाण—पत्र एवं पंजीयन नम्बर व दिनांक के आधार पर) जिला बड़वानी, जिसका पंजीयन क्रमांक 420, दिनांक 20 मार्च 2008 है. को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 (1) के अन्तर्गत श्री जगन्नाथ जमरे, सहकारी निरीक्षक, सहकारिता, जिला बड़वानी को संस्था परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की परिसमापन संबंधी कार्यवाही पूर्ण करके संस्था का स्थिति विवरण पत्रक निरंक किया जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन इस कार्यालय को प्रस्तुत किया गया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः, मैं, सुरेश सांवले, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 18(1)(2) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक—एफ—5—1—99—पन्द्रह—1—डी, दिनांक 26 जुलाई 1999 के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त परिसमापनाधीन दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित साकड़ जिला बड़वानी, जिसका पंजीयन क्रमांक 420, दिनांक 20 मार्च 2008 है, संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का (बॉडी कार्पोरेट) निकाय समाप्त करता हूँ.

आज दिनांक 31 दिसम्बर 2025 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(G-1243)

बड़वानी, दिनांक 31 दिसम्बर 2025

[मध्यप्रदेश समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1)(2) के अंतर्गत]

क्र.–परिसमापक–2025–1575.– कार्यालयीन आदेश क्रमांक–परि.–822 बड़वानी दिनांक 09 नवम्बर 2016 के द्वारा पार्श्वनाथ महिला प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्यादित, सेंधवा (पंजीयन प्रमाण–पत्र एव पंजीयन नम्बर व दिनांक के आधार पर) जिला बड़वानी, जिसका पंजीयन क्रमांक 117, दिनांक 09 जुलाई 2003 है, को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 (1) के अन्तर्गत श्रीमति प्रभा बघेल, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, सहकारिता, जिला बड़वानी को संस्था परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की परिसमापन संबंधी कार्यवाही पूर्ण करके संस्था का स्थिति विवरण पत्रक निरंक किया जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन इस कार्यालय को प्रस्तुत किया गया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः, मैं, सुरेश सांवले सहायक, पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 18(1)(2) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक–एफ–5–1–99–पन्द्रह–1–डी दिनांक 26 जुलाई 1999 के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त परिसमापनाधीन पार्श्वनाथ महिला प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्यादित, सेंधवा, जिला बड़वानी, जिसका पंजीयन क्रमांक 117, दिनांक 09 जुलाई 2003 है, संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का (बॉडी कार्पोरेट) निकाय समाप्त करता हूँ.

आज दिनांक 31 दिसम्बर 2025 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(G-1244)

बड़वानी, दिनांक 31 दिसम्बर 2025

[मध्यप्रदेश समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1)(2) के अंतर्गत]

क्र.–परिसमापक–2025–1576.– कार्यालयीन आदेश क्रमांक–परि.–836 बड़वानी दिनांक 09 फरवरी 2016 के द्वारा मॉ बिजासनी जिला परिवहन सहकारी संस्था मर्यादित बड़वानी (पंजीयन प्रमाण पत्र एव पंजीयन नंम्बर व दिनांक के आधार पर), जिला बड़वानी, जिसका पंजीयन क्रमांक 198 दिनांक 10 फरवरी 2006 है, को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 (1) के अन्तर्गत श्रीमती प्रभा बघेल, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, सहकारिता जिला बड़वानी को संस्था परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की परिसमापन संबंधी कार्यवाही पूर्ण करके संस्था का स्थिति विवरण पत्रक निरंक किया जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन इस कार्यालय को प्रस्तुत किया गया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः, मैं, सुरेश सांवले, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 18(1)(2) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक–एफ–5–1–99–पन्द्रह–1–डी, दिनांक 26 जुलाई 1999 के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त परिसमापनाधीन मॉ बिजासनी जिला परिवहन सहकारी संस्था मर्यादित, बड़वानी, जिला बड़वानी, जिसका पंजीयन क्रमांक 198, दिनांक 10 फरवरी 2006 है, संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का (बॉडी कार्पोरेट) निकाय समाप्त करता हूँ.

आज दिनांक 31 दिसम्बर 2025 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(G-1245)

बड़वानी, दिनांक 31 दिसम्बर 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1)(2) के अंतर्गत]

क्र.–परि.–2025–1577.– कार्यालयीन आदेश क्रमांक–परि.–474, बड़वानी, दिनांक 31 मार्च 2017 के द्वारा श्री विनायक साख सहकारी संस्था मर्यादित, बड़वानी (पंजीयन प्रमाण–पत्र एवं पंजीयन नंम्बर व दिनांक के आधार पर) जिला बड़वानी, जिसका पंजीयन क्रमांक 467, दिनांक 29 अप्रैल 2015 है, को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 (1) के अन्तर्गत श्रीमती प्रभा बघेल, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक सहकारिता, जिला बड़वानी को संस्था परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की परिसमापन संबंधी कार्यवाही पूर्ण करके संस्था का स्थिति विवरण पत्रक निरंक किया जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन इस कार्यालय को प्रस्तुत किया गया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः, मैं, सुरेश सांवले, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा 18(1)(2) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक–एफ–5–1–99–पन्द्रह–1–डी, दिनांक 26 जुलाई 1999 के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त परिसमापनाधीन श्री विनायक साख सहकारी संस्था मर्यादित, बड़वानी, जिला बडवानी, जिसका पंजीयन क्रमांक 467, दिनांक 29 अप्रैल 2015 है, संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का (बॉडी कार्पोरेट) निकाय समाप्त करता हूँ.

आज दिनांक 31 दिसम्बर 2025 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(G-1246)

बड़वानी, दिनांक 31 दिसम्बर 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1)(2) के अंतर्गत]

क्र.–परि.–2025–1578.– कार्यालयीन आदेश क्रमांक–परि.–996, बड़वानी, दिनांक 8 दिसम्बर 2014 के द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, बड़दा (पंजीयन प्रमाण पत्र एवं पंजीयन नम्बर व दिनांक के आधार पर) जिला बड़वानी, जिसका पंजीयन क्रमांक 613, दिनांक 23 अप्रैल 1983 है, को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 (1) के अन्तर्गत श्री राजेन्द्र सिरसाट, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, सहकारिता, जिला बड़वानी को संस्था परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की परिसमापन संबंधी कार्यवाही पूर्ण करके संस्था का स्थिति विवरण पत्रक निरंक किया जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन इस कार्यालय को प्रस्तुत किया गया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ, कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः, मैं, सुरेश सांवले, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 18(1)(2) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, की अधिसूचना क्रमांक–एफ–5–1–99–पन्द्रह–1–डी, दिनांक 26 जुलाई 1999 के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त परिसमापनाधीन दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, बड़दा, जिला बड़वानी, जिसका पंजीयन क्रमांक 613, दिनांक 23 अप्रैल 1983 है, संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का (बॉडी कार्पोरेट) निकाय समाप्त करता हूँ.

आज दिनांक 31 दिसम्बर 2025 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(G-1247)

बड़वानी, दिनांक 31 दिसम्बर 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1)(2) के अंतर्गत]

क्र.–परि.–2025–1579.– कार्यालयीन आदेश क्रमांक–परि.–1014, बड़वानी, दिनांक 8 दिसम्बर 2014 के द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, मोयदा (निवाली) (पंजीयन प्रमाण–पत्र एवं पंजीयन नंम्बर व दिनांक के आधार पर), जिला बड़वानी, जिसका पंजीयन क्रमांक 250, दिनांक 17 अप्रैल 2008 है, को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 (1) के अन्तर्गत श्री राजेन्द्र सिरसाट, वरि. सहकारी निरीक्षक सहकारिता जिला बड़वानी को संस्था परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की परिसमापन संबंधी कार्यवाही पूर्ण करके संस्था का स्थिति विवरण पत्रक निरंक किया जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन इस कार्यालय को प्रस्तुत किया गया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ, कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः, मैं, सुरेश सांवले, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 18(1)(2) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, की अधिसूचना क्रमांक–एफ–5–1–99–पन्द्रह–1–डी, दिनांक 26 जुलाई 1999 के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त परिसमापनाधीन दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, मोयदा, (निवाली) बड़वानी, जिसका पंजीयन क्रमांक 250, दिनांक 17 अप्रैल 2008 है, संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का (बॉडी कार्पोरेट) निकाय समाप्त करता हूँ.

आज दिनांक 31 दिसम्बर 2025 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(G-1248)

बड़वानी, दिनांक 31 दिसम्बर 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1)(2) के अंतर्गत]

क्र.–परि.–2025–1580.– कार्यालयीन आदेश क्रमांक–परि.–188, बड़वनी, दिनांक 28 जुलाई 2006 के द्वारा महर्षि वाल्मिकी यातायात सहकारी संस्थक मर्यादित, निवाली (पंजीयन प्रमाण–पत्र एवं पंजीयन नम्बर व दिनांक के आधार पर) जिला बड़वानी, जिसका पंजीयन क्रमांक 861, दिनांक 2 सितम्बर 2002 है, को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 (1) के अन्तर्गत श्री जे.एस., वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक सहकारिता जिला बड़वानी को संस्था परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की परिसमापन संबंधी कार्यवाही पूर्ण करके संस्था का स्थिति विवरण पत्रक निरंक किया जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन इस कार्यालय को प्रस्तुत किया गया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ, कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः, मैं, सुरेश सांवले, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 18(1)(2) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, की अधिसूचना क्रमांक–एफ–5–1–99–पन्द्रह–1–डी, 26 जुलाई 1999 के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त परिसमापनाधीन महर्षि वाल्मिकी यातायात सहकारी संस्था मर्यादित, निवाली जिला बड़वानी, जिसका पंजीयन क्रमांक 861, दिनांक 2 सितम्बर 2002 है, संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का (बॉडी कार्पोरेट) निकाय समाप्त करता हूँ.

आज दिनांक 31 दिसम्बर 2025 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(G-1249)

बड़वानी, दिनांक 31 दिसम्बर 2025

[मध्यप्रदेश समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1)(2) के अंतर्गत]

क्र.--परि.–2025–1581.– कार्यालयीन आदेश क्रमांक–परि.–985, बड़वानी, दिनांक 8 दिसम्बर 2014 के द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, खड़किया महु (पंजीयन प्रमाण–पत्र एवं पंजीयन नंम्बर व दिनांक के आधार पर), जिला बड़वानी, जिसका पंजीयन क्रमांक 228, दिनांक 31 अक्टूबर 2006 है, को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 (1) के अन्तर्गत श्री जे.एस., वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, सहकारिता, जिला बड़वानी को संस्था परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की परिसमापन संबंधी कार्यवाही पूर्ण करके संस्था का स्थिति विवरण पत्रक निरंक किया जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन इस कार्यालय को प्रस्तुत किया गया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः, मैं, सुरेश सांवले, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 18(1)(2) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक–एफ–5–1–99--पन्द्रह–1--डी, 26 जुलाई 1999 के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त परिसमापनाधीन दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित खड़किया महु, जिला बड़वानी, जिसका पंजीयन क्रमांक 228, दिनांक 31 अक्टूबर 2006 है, संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का (बॉडी कार्पोरेट) निकाय समाप्त करता हूँ.

आज दिनांक 31 दिसम्बर 2025 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(G-1250)

सुरेश सांवले , सहायक पंजीयक.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित–2026.

इसे वेबसाइट **www.govtpress.mp.gov.in**
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 6] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 6 फरवरी 2026—माघ 17, शक 1947

भाग 3 (2)

सांख्यिकी सूचनाऐं

(कुछ नहीं)

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2026.